



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2022-23



भारतीय पटसन निगम लिमिटेड THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED



Celebration of Independence Day at Head Office



JCI's participation in the National Handloom Expo 2023-24 at Guwahati, Assam



Launch of Patsan Jyoti Magazine on the occasion of Hindi Diwas

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

52 वीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची







विविध जूट उत्पाद (सोनाली)

जूट बीज

iii





86

86



विजन और मिशन



विजन

कच्चे जूट सेक्टर में पहल करने वाला होना, विशेष रूप से कृषकों के हितों और वृह्त में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना एवं विविध जूट व्यपार के क्रिया-कलाप जो दोहरे उद्देश्य आत्मिनर्भरता व धारणीय लाभप्रदत्ता के साथ पर्यावरण हितैषी है, के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताएं पूरी करना।

मिशन

- इस देश के जूट/मेस्ता कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए भारत सरकार की नीति का कार्यान्वयन करना।
- कच्चे जूट सेक्टर में मूल्य स्थिरीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करना और इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।
- विभिन्न जूट संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाना।





भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

बोर्ड के निदेशकगण

1.	श्री ए. के. जॉली	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019)
2.	श्री गौरव कुमार	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (08.12.2020)
3.	श्री पूर्णेश गुरुरानी	:	निदेशक (जूट), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (22.06.2023)
4.	श्री अमिताभ सिन्हा	:	निदेशक (वित्त) (10.12.2020)
5.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा		संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (15.07.2022 से
			22.06.2023)
6.	श्रीमती पूजा विधानी	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020 से 18.02.2023)
7.	श्री संजय शरण	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (14.02.2019 से
			15.07.2022)

लेखापरीक्षा समिति

1.	श्री गौरव कुमार	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (08.12.2020),
			अध्यक्ष
2.	श्री पूर्णेश गुरुरानी	:	निदेशक (जूट), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (22.06.2023), सदस्य
3.	श्री ए. के. जॉली	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य
4.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (15.07.2022 ये
			22.06.2023), सदस्य
5.	श्रीमती पूजा विधानी	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020 से 18.02.2023), अध्यक्षा
6.	श्री संजय शरण	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019 से 15.07.2022), सदस्य

सीएसआर समिति

1.	श्री गौरव कुमार	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (08.12.2020),
			अध्यक्ष
2.	श्री ए. के. जॉली		प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य
3.	श्री अमिताभ सिन्हा		निदेशक (वित्त) (10.12.2020), सदस्य
4.	श्रीमती पूजा विधानी	:	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020 से 18.02.2023), अध्यक्षा

श्री ए. साहा	:	कंपनी सचिव (03.08.2016)

लेखापरीक्षक	:	मेसर्स एस.के. मल्लिक एंड कं., सनदी लेखाकार,
		बिकानेर बिल्डिंग्स (1ला तल), 8-बी, लालबाजार स्ट्रीट,
		कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल, भारत

पंजीकृत कार्यालय	:	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087 वेबसाइट : www.jutecorp.in, ई-मेल : jci@jcimail.in
------------------	---	---





श्री ए. के. जॉली प्रबंध निदेशक



श्री गौरव कुमार आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री पूर्णेश गुरुरानी निदेशक (जूट), वस्त्र मंत्रालय सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री अमिताभ सिन्हा ^{निदेशक (वित्त)}



दिनांक : 16.11.2023

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

सं.भापनि/52वीं एजीएम/सचिवालय/2023-24

52वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की बावनवीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य संपादित करने के लिए इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087 में वृहस्पतिवार, 23 नवंबर, 2023 को अपराह्न 5.00 बजे से वीडियो कॉन्फोंसिंग के माध्यम से होगी:

सामान्य कारोबार:

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों के रिपोर्ट पर विचार करना एवं उसे पारित करना।
- 2. सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति को नोट करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

प्रस्तावित

कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 139 के अनुसार मेसर्स जे.के.वी.एस एण्ड कं., सनदी लेखाकार को वर्ष 2023-24 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत इस निगम के बोर्ड के निदेशकगण को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक, आनुषंगिक खर्च, सांविधिक कर एवं अन्य संबंधित खर्च तय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है एवं एतद्वारा किया जाता है"।

3. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 143.70 रुपये का लाभांश घोषित करना।

बोर्ड के निदेशकगण के आदेशानुसार

(अभिक साहा)

कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय: 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

टिप्पणी:

1. सदस्य जो बावनवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित एवं वोट देने के हकदार हैं वे अपने तरफ से परोक्षी को उपस्थित एवं वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं (धारा 105)। परोक्षी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का एक रिक्त फार्म संलग्न है, यदि इसका उपयोग होता है तो निगम को वार्षिक साधारण सभा प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले इसे विधिवत भरकर वापस किया जाना चाहिए।



प्रबंध निदेशक की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

निगम की 52वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समय निकाल कर निगम की 52वीं एजीएम में भाग लिये।

बोर्ड के निदेशकगण की ओर से मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन के मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित लेखों और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रिपोर्ट प्रस्तृत करता हूं:

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम को 1000 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। इसका मुख्य कारण एमएसपी का होना है जिससे विगत वर्ष की तुलना में अधिक बिक्री हुई।

बाजार का परिदृष्य

2021-22 से लाये गये 19.00 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2022-23 का प्रारंभ हुआ। जूट विशेषज्ञ सिमित (ईसीजे) द्वारा किये गये जूट फसल के आकलन के आधार पर कच्चे जूट का कुल उत्पादन 95 लाख गांठ (180 कि.ग्रा. प्रित गांठ) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 250/- रुपये (रु.4500/- रु.4750/-) की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2021-22 के वास्तिवक उत्पादन 90 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष वास्तिवक उत्पादन 91 लाख गांठ रहा। बंग्लादेश से लगभग 6.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 70 लाख गांठ की जगह वास्तिवक मिल खपत 76 लाख गांठ था। घरेलू खपत 12 लाख गांठ की अनुमानित खपत की जगह 15 लाख गांठ रहा। 2.00 लाख गांठ का निर्यात भी किया गया था। फसल वर्ष 2023-24 के लिए 23.00 लाख गांठ लाया गया। अधिकांश फसल वर्ष के दौरान फसल की कीमतें एमएसपी पर रहीं। फलस्वरूप, संबंधित फसल वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत लगभग 4.24 लाख क्विंटल की खरीद हुई। इसके अलावा, निगम ने वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 1.37 लाख क्विंटल कच्चे जूट की खरीद भी की।

आगामी फसल वर्ष 2023-24 के दौरान हालांकि कच्चे जूट की खेती के क्षेत्र में मामूली कमी आई है लेकिन अनुकूल मौसम की स्थिति इस कमी को पूरा कर देगी और कच्चे जूट की अधिक उपज होने की उम्मीद की जा सकती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर टीडीएन-3 (टीडी5 के स्थान पर) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए 4750/- रुपये प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2021-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 250/- रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी के आधार पर कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया। निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 373984 क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।



2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन

जैसाकि वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, अंतर-मंत्रालयी सिमिति (आईएमसी) ने 19.10.2022 को आयोजित बैठक में पाया कि भापिन का मुख्य अधिदेश जूट किसानों के आर्थिक समर्थन और कल्याण के लिए मूल्य समर्थन क्रिया-कलाप है। इसलिए आईएमसी ने निगम को एमओयू प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय लिया है।

कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में सीएसआर क्रिया-कलाप के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करता है क्योंकि यह सीएसआर क्रिया-कलापों को अनिवार्य रूप से संचालित करने के लिए उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। अपनी सीएसआर योजना के अंतर्गत की जाने वाली क्रिया-कलापों का निर्धारण करते समय निगम सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधी जारी दिशा-निदेशों का पालन करता है।

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर सिमित का गठन किया है जिसमें सिमित के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक एवं श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, श्री अजय कुमार जॉली, एमडी, भापनि और श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त), भापनि इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 15.67 लाख रुपये खर्च करना था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिए गए बजट के अंदर प्रस्तावित क्रिया-कलापें, जैसाकि सीएसआर समिति द्वारा संस्तुति की गई है और बाद में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	सद	क्रिया-कलाप	दी गई निधि
1.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए सामान्य विषय के रूप में 'स्वास्थ्य और पोषण' को मंजूरी देते हुए ''राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सीपीएसईज के सीएसआर व्यय का सरेखण" के संबंध में डीपीई	(टाइटेनियम) की खरीद हेतु राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, गुवाहाटी,	₹.3,00,000/-
	के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में सरकार/जिला अस्पतालों को अंशदान। बजट: रु.13,17,000/-	एक डीजल जनरेटर और एक वाटर कूलर प्यूरीफायर एक्वागार्ड की खरीद के लिए सीएचसी अस्पताल, बरचना, जाजपुर जिला, ओडिशा को अंशदान।	₹.6,23,990/-
		एक रोगी वेंटिलेटर की खरीद के लिए कंटोमेंट बोर्ड, बैरकपुर, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत जे.सी. बोस जनरल अस्पताल को अंशदान।	₹.3,93,010/-



क्रम सं.	सद	क्रिया-कलाप	दी गई निधि
2.	सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए अंशदान बजट : रु.2,50,000/-	पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ)।	₹.2,00,000/-
		7वें एडीएम अधर कुमार चटर्जी मेमोरियल लेक्चर नेवी फाउंडेशन, कोलकाता चैप्टर।	₹50,000/-
	कुल बजट : रु.15,67,000/-		₹.15,67,000/-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के सीएसआर क्रिया-कलापों के लिए आवंटित पूरा बजट संवधित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेन्स

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 पर आधारित मौजूदा कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यास एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स संबंधित नवीनतम दिशा-निदेशों का पालन करता है जो स्वभाविक रूप से अनिवार्य है क्योंकि निगम सीपीएसई है। कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट निदेशक के रिपोर्ट में दी गई है।

निगम अपने क्रिया-कलापों में अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कॉपोरेट गोवर्नेन्स अभ्यासों को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिसके अंतर्गत कॉपोरेट गोवर्नेन्स की अवधारणा को महत्व एवं सार्थकता का नया स्तर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपित ने निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है जिनके कुशल मार्गदर्शन ने निगम को अधिक पेशेवर और अग्रगामी तरीके से अपने कॉपोरेट गोवर्नेन्स अभ्यासों को मजबूत करने में मदद किया है एवं अपने निर्णय लेने में अधिक वस्तुनिष्ठता प्रदान की है।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम के मानव संसाधन विभाग निगम के कार्मिकों की भर्ती, नियुक्ति, अभिविन्यास और प्रशिक्षण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी महत्वपूर्ण एमएसपी क्रिया-कलापों सिहत अपने विभिन्न प्रयासों में निगम की सफलता मानव संसाधन विभाग की दक्षता पर बहुत अधिक निर्भर है। मानव संसाधन विभाग विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, सेमिनारों आदि की व्यवस्था कर निगम के कार्मिकों के ज्ञान और कौशल को उन्नत करने का हर संभव प्रयास करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भी मानव संसाधन विभाग ने विविध विषयों पर कई कार्यक्रम जैसे संगठनात्मक सीमाओं का पुन: मानचित्रण: मानव संसाधन की भूमिका, अनुबंध प्रबंधन, विवाद समाधान और मध्यस्थता, जूट और अन्य लिग्नोसेल्यूलोसिक फाइबर का उद्देश्यपूर्ण गुणवत्ता का मूल्यांकन, प्रभावी शिक्षण उद्देश्यों को लिखने से संबंधित कार्यशाला, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों संबंधी प्रशिक्षण, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, सचेतन, जेम और सीपीपीपी पोर्टल संबंधी कार्यशाला, निवारक सतर्कता, एन+ (बेसिक नेटवर्किंग) और सीआईएससीओ प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएट (200-301), बिना किसी तनाव और चिंता के प्रभावी ढंग से नेतृत्व और बढ़ती माँगों/चुनौतियों



और पीओएसएच के बावजूद शेष ऊर्जा अधिशेष आयोजित किए थे।

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

आगे की ओर देखना

निगम बदलती दुनिया की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने क्रिया-कलापों में विविधता लाने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

इसने कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनके अगले कुछ वर्षों में फलीभूत होने की उम्मीद है और यह निगम को अगले स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। कच्चे जूट आपूर्ति श्रृंखला में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन, कच्चे जूट के व्यापार के लिए ई-नीलामी मंच का प्रावधान, परिचालन सॉफ्टवेयर का विकास, ई-ऑफिस का कार्यान्वयन, एचआरएमएस आदि जैसी परियोजनाएं निगम के साथ-साथ सामान्य रूप से जूट उद्योग में एक नया बदलाव लाने का वादा करती हैं। निगम की तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम (टीटीडी) में एल्यूमीनियम लेपित पर्यावरण हितैषी जूट बैग के वितरण की परियोजना स्थायी हो गई है और आने वाले समय में इसमें और सुधार होने की उम्मीद है।

निगम अपनी वैकल्पिक राजस्व सृजन योजना के अंश के रूप में प्रमाणित जूट बीजों का वाणिज्यिक वितरण जारी रखा है।

आने वाले दिनों में जियो-टेक्सटाइल्स और एग्रो-टेक्सटाइल्स के कारोबार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के भी फलने-फूलने की उम्मीद है।

निगम विशेष रूप से जूट किसानों और सामान्य रूप से जूट अर्थव्यवस्था के हित में एनजेबी की प्रतिष्ठित जूट आई-केयर परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रखा है।

निगम ने निर्यात बाजार संवर्धन गतिविधि (ईएमपीए) योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा एनईसी, बर्मिंघम में आयोजित शरद मेला-2022 में भाग लिया था और कुछ व्यावसायिक सुराग प्राप्त हुए हैं।

मैं काफी आशावादी हूं कि नए भारत की लहर के चारों ओर सकारात्मकता के माहौल में निगम निश्चित रूप से सभी महत्वपूर्ण जूट किसानों सहित हितधारकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और कई वर्षों तक देश की सेवा करता रहेगा।

अभिस्वीकृति

मैं वस्त्र मंत्रालय, जूट आयुक्त के कार्यालय, राष्ट्रीय जूट बोर्ड और अन्य सभी जूट से संबंधित निकायों के अधिकारियों को निगम के क्रिया-कलापों के लिए उनके निरंतर समर्थन और संरक्षण हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

> (अजय कुमार जॉली) प्रबंध निदेशक



निदेशकों का रिपोर्ट वर्ष 2022-23

प्रिय शेयरधारीगण,

निगम की 52वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से निगम के कार्य-निष्पादन से संबंधित 52वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं 31 मार्च, 2023 के लेखापरीक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

उपरोक्त दर्शाये गये अवधि के दौरान निगम के कार्यों का मुख्य क्रिया-कलाप नीचे दर्शाये जा रहे हैं:

१. कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य

2021-22 से लाये गये 19.00 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2022-23 का प्रारंभ हुआ। जूट विशेषज्ञ समिति (ईसीजे) द्वारा किये गये जूट फसल के आकलन के आधार पर कच्चे जूट का कुल उत्पादन 95 लाख गांठ (180 कि.ग्रा. प्रित गांठ) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 250/- रुपये (रु.4500/- - रु.4750/-) की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2021-22 के वास्तविक उत्पादन 90 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष वास्तविक उत्पादन 91 लाख गांठ रहा। बंग्लादेश से लगभग 6.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 70 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 76 लाख गांठ था। घरेलू खपत 12 लाख गांठ की अनुमानित खपत की जगह 15 लाख गांठ रहा। 2.00 लाख गांठ का निर्यात भी किया गया था। फसल वर्ष 2023-24 के लिए 23.00 लाख गांठ लाया गया। अधिकांश फसल वर्ष के दौरान फसल की कीमतें एमएसपी पर रहीं। फलस्वरूप, संबंधित फसल वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत लगभग 4.24 लाख क्वंटल की खरीद हुई। इसके अलावा, निगम ने वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 1.37 लाख क्वंटल कच्चे जूट की खरीद भी की।

आगामी फसल वर्ष 2023-24 के दौरान हालांकि कच्चे जूट की खेती के क्षेत्र में मामूली कमी आई है लेकिन अनुकूल मौसम की स्थिति इस कमी को पूरा कर देगी और कच्चे जूट की अधिक उपज होने की उम्मीद की जा सकती है।

2. क्रिया-कलाप की समीक्षा

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर टीडीएन-3 (टीडी5 के स्थान पर) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए 4750/- रुपये प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2021-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 250/- रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी के आधार पर कच्चे जूट के विभिन्न किस्सों एवं श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।



31 मार्च, 2023 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2022-23 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा	क्रय मूल्य
(विवं. में)	(रु. ताख में)
373984.28	16490.40

2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

31 मार्च, 2023 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2022-23 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा	क्रय मूल्य
(विव. में)	(रु. ताख में)
136813.52	7730.97

3. वित्तीय समीक्षा

- 3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 3.74 लाख क्विं. एवं वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत 1.37 लाख क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।
- 3.2 वर्ष 2022-23 के दौरान निगम का कुल कारोबार 15198.52 लाख रु. का रहा। परिचालन परिणाम यह दर्शाता है कि सभी बंधे खर्च, भाड़ा, बीमा, ब्याज, मूल्यहास और सेवानिवृत कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ के प्रावधान चार्ज करने के उपरांत शुद्ध लाभ 1000.60 लाख रु. हुआ है। वर्ष के अंत में आरक्षित एवं अधिशेष खाते में शेष जमा राशि 13869.83 लाख रु. है जैसािक तुलन-पत्र में दर्शाया गया है।
- 3.3 विगत वर्ष के शुद्ध हानि 1378.21 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष 1000.60 लाख रु. का शुद्ध लाभ हुआ है।
- 3.4 2022-23 में निगम का अर्जित प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रु.) विगत वर्ष की राशि (-) 276 रु. की तुलना में 200 रु. है।
- 3.5 निगम के पास प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रु. से अधिक का समुचित कच्चे जूट का कारोबार करने के लिए आधारभूत ढांचा एवं आवश्यक कार्यकारी पूंजी सीमा है।
- 3.6 इस वर्ष के प्रस्तावित लाभांश विगत वर्ष की राशि 'शून्य' की तुलना में 718.50 लाख रु. है। समीक्षाधीन इस वर्ष के वित्तीय परिणाम को **परिशिष्ट-'ए'** में दिखाया गया है।



4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप के लिए निगम के आधारभूत ढांचा के रख-रखाव हेतू आर्थिक सहायता प्रदान करना

जैसाकि आप जानते हैं, निगम कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए भारत सरकार का नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर मुख्य रूप से जूट कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए हुई एवं जूट कृषकों व संपूर्ण जूट अर्थव्यवस्था के हितों के लिए कच्चे जूट के बाजार मूल्य को संभव सीमा तक स्थिर करने के लिए भी हुई। सरकार निगम को बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता का वार्षिक अनुदान प्रदान करता है और इसके बंधे खर्च को पूरा करता है तािक जब भी एमएसपी की स्थित उत्पन्न हो तो निगम एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए सदैव तैयार रहे।

जैसाकि विगत वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए निगम को 245.87 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार ने एमएसपी क्रिया-कलाप हेतु बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 27.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

5. समझौता ज्ञापन (एमओयू) २०२२-२३

जैसािक वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, अंतर-मंत्रालयी सिमिति (आईएमसी) ने 19.10.2022 को आयोजित बैठक में पाया कि भापिन का मुख्य अधिदेश जूट किसानों के आर्थिक समर्थन और कल्याण के लिए मूल्य समर्थन क्रिया-कलाप है। इसिलए आईएमसी ने निगम को एमओयू प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय लिया है।

6. जूट विविध उत्पादों (जेडीपीज) के विपणन के लिए वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

निगम तिरुपित तिरुमाला देवस्थानम में प्रसादम के वितरण के लिए जूट बैग की आपूर्ति का व्यवसाय जारी रखा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नया रूप दिया जा रहा है क्योंकि इसे जेडीपीज के वितरण के लिए एक व्यवहार्य चैनल के रूप में देखा जा रहा है। अपने ग्राहक आधार के विस्तार के उद्देश्य से निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बर्मिंघम, ब्रिटेन में प्रतिष्ठित शरद ऋतु मेले सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया है।

देश के लाखों जूट किसानों जिनमें अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं, के हितों की रक्षा के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा निगम की स्थापना से ही प्रचलन में रही है। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा कच्चे जूट की खरीद की जाती है जब चालू बाजार मूल्य उपरोक्त घोषित एमएसपी पर रहता है या उससे कम रहता है। सरकार ने निगम को यह एमएसपी क्रिया-कलाप करने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम देश में कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए नोडल एजेंसी है।



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से कच्चे जूट की बाजार कीमतें पहले कुछ महीनों के लिए अधिक रही। इस अविध के दौरान निगम ने कुछ विवेकपूर्ण वाणिज्यिक क्रिया-कलाप किए। इसके उपरांत चालू बाजार कीमतें एमएसपी स्तर से नीचे गिर गई और निगम ने अपने अधिदेश के अनुरूप एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में खरीददारी की।

निगम ने प्रमाणित जूट बीज के वितरण में भी पहल की है। प्रोजेक्ट जूट आई-केयर के अंतर्गत 50% सब्सिडी के साथ बीज वितरित किए गए जिसमें एचवाईवी (उच्च उपज किस्म) की नई किस्में शामिल थी।

इसके अलावा निगम ने लगातार आठवें वर्ष जूट आई-केयर (जूट: बेहतर खेती और उन्नत रिटिंग अभ्यास) परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य भी शुरू किया है जिसे एनजेबी के तत्वावधान में क्रियान्वित किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर मूल्य प्राप्ति और मूल्यवर्धन के लिए उत्पादकता और फाइबर की गुणवत्ता में सुधार करते हुए कच्चे जूट के उत्पादन की लागत को कम करना है। इस परियोजना में पंजीकृत किसानों को सब्सिडी पर प्रमाणित जूट बीज का वितरण, जागरूकता शिविर आयोजित करना, कृषि-सलाह जारी करना और उन्नत कृषि उपकरण जैसे सीड ड्रिल और साइकिल वीडर और क्रिजाफ-सोना एवं निनफेट साथी जैसे रेटिंग एक्सेलेरेटर का मुफ्त वितरण शामिल है।

इस परियोजना में शामिल उन्नत कृषि पद्धतियां हैं - सीड ड्रिल का उपयोग करते हुए लाइन बुवाई, मैकेनिकल नेल-वीडर द्वारा जूट फसल में खरपतवार प्रबंधन और उसमें शामिल श्रम लागत को कम करने और गुणवत्ता प्रमाणित जूट बीजों के वितरण के लिए हाथ से निराई करने के बजाय साइकिल वीडर।

इस परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत जूट कृषकों को निम्नलिखित सहयोग का विस्तार किया गया है:

- i) बहुत अधिक अंकुरण दर एवं अधिक उत्पादकता वाले 100% प्रमाणित जूट बीज प्रदान करना।
- ii) बीज ड्रील, नैल वीडर/साइकिल वीडर का उपयोग करते हुए यांत्रिक हस्तक्षेप के साथ कृषकों के खेतों में अपनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती प्रथा का प्रदर्शन।
- iii) रेटिंग की अवधि को कम करने एवं रेशे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्राइजाफ सोना, एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम (नि:शुल्क) का उपयोग करते हुए माइक्रोबियल रेटिंग का प्रदर्शन/वितरण।

इस परियोजना के अंतर्गत 2015 से प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध ढंग से क्रिया-कलाप किये जा रहे हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान आई-केयर के चरण-VIII के अंतर्गत की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	ब्यौरा	क्रिया-कलाप
1.	कवर किये गये जूट उगाने वाले ब्लॉक/राज्य की सं.	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश एवं त्रिपुरा के अंतर्गत 212 ब्लॉक।
2.	जमीन कवर किया गया (हेक्टर)	38757
3.	कवर किये गये कृषकों की संख्या	64862



क्र.सं.	ब्यौरा	क्रिया-कलाप
4.	प्रमाणित जूट बीज प्रदान किया गया (सीओ-58/जेबीओ- 2003एच/जेआरओ-204/जेआरओएम-1/जेबीओ-1/ जेआरसी-532) किस्म (मीट्रिक टन में)	193.54
5.	बीज ड्रील मशीन/जूट सीडर मशीन	800
6.	नैल वीडर मशीन/साइकिल वीडर	800
7.	रेटिंग एक्सीलेरैटर (क्राइजाफ सोना पाउडर/निनफेट साथी) (मीट्रिक टन में)	598.50/69.95
8.	बुवाई, वीडिंग और रेटिंग का प्रदर्शन	2269

8. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(ए) उद्योग ढांचा और विकास

भापिन द्वारा शासित एमएसपी दरों का प्रावधान कच्चे जूट के बाजार एवं जूट उद्योग का मुख्य आधार है। भापिन कच्चे जूट के कीमतों में एमएसपी स्तर पर गिरावट के मामूली संकेत आने पर कृषकों को एमएसपी का सहायता प्रदान करने में सिक्रिय भूमिका निभाता है। फसल वर्ष 2022-23 में कच्चे जूट का बाजार मूल्य फसल वर्ष के प्रथम कुछ महीनों के लिए एमएसपी से ऊपर चल रहा था और पहल को जब्त करते हुए निगम ने विवेकपूर्ण वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 1,36,813 क्विंटल कच्चे जूट की खरीद की। वर्ष के शेष महीनों में बाजार की कीमतें एमएसपी स्तर के आसपास घूम रही थी और निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 3,73,984 क्विंटल की खरीददारी की।

(बी) सुअवसर एवं खतरा/जोखिम व इससे संबंधित

🔷 सुअवसर

- एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा से जूट कैरी बैग का प्रसार करने के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है।
- तिरुपित तिरुमाला देवस्थान्म (टीटीडी) : हालांकि टीटीडी लड्डू कॉम्प्लेक्स में अभी भी कोविड-19 महामारी का प्रभाव है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चीजों में सुधार होना तय है। बड़े पैमाने पर जनता के बीच पर्यावरण हितैषी जूट बैग के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ने से निगम को निकट भविष्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद मिलेगी और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के साथ कारोबार में वृद्धि होगी।
- जियो टेक्सटाइल्स और एग्रो टेक्सटाइल्स व्यवसाय को पहले ही उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिल चुका है और
 निगम दोनों वर्टिकल में कुछ व्यवसाय सृजित करने में सफल रहा है।
- पारंपिरक एमएसपी क्रिया-कलाप को बढ़ाने के लिए भापिन ने अपनी ओर से खरीद करने के लिए सहकारी
 सिमितियों को काम पर लगा रहा है जिससे पिरमाण एवं कुल कारोबार दोनों ही बढ़ रहे हैं।



- जेडीपी का वितरण एवं कच्चे जूट के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप निगम के लिए व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में उभरे हैं।
- निगम सफलतापूर्वक प्रमाणित जूट बीज का वाणिज्यिक वितरण कर रहा है।

जोखिम एवं संबंधित/खतरा

- जबिक अधिदेश के अनुसार भापिन एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत सभी प्रकार के कच्चे जूट की खरीद करने के लिए बाध्य है जिसमें निम्न श्रेणी शामिल है, लेकिन इसका निपटान करते समय मिलें इस बहाने निम्न श्रेणी के जूट लेने के लिए अनिच्छुक हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुसार इसका उपयोग बी.ट्वील बैग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। उच्च ग्रेड शायद ही कभी निगम में आते हैं क्योंकि उच्च ग्रेड के लिए प्रचलित बाजार कीमतें हमेशा एमएसपी दरों से अधिक होती हैं।
- कुछ नए लोगों के आने के बावजूद कुशल जनशक्ति की भारी कमी है। नए लोगों को आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करने से पहले कुछ सीज़न की आवश्यकता होती है। अधिक एमएसपी वाला वर्ष बीत चुका है और ऐसा लगता है कि खरीद के लिए योग्यता स्तर एक मुद्दा है क्योंकि खरीद की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के कारण प्रशिक्षित जनशक्ति का लगातार कमी हो रहा है।
- गोदामों को बनाए रखना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मालिकगण किराए के लिए चालू बाजार दरों की मांग कर रहे हैं।

(सी) दृष्टिकोण

- निगम ने कृषकों द्वारा एमएसपी पर प्रस्तावित होने वाले सभी कच्चे जूट की खरीद एवं भंडारण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। निगम कार्यों को सुव्यवस्थित करने और तेजी से करने के लिए परिचालन में डिजिटल माध्यमों का उपयोग करेगा। ई-ऑफिस, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और ई-नीलामी ही आगे का रास्ता होगा।
- निगम की व्यापक जनशक्ति योजना के अनुसार फील्ड स्तर पर भर्ती के मुद्दे का हल भी किया जा रहा है।
- निगम उत्कृष्टता की अपनी खोज जारी रखेगा और आत्मिनर्भरता के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के तरीकों और साधनों का अनुसरण करेगा।

(डी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगम ने दक्ष संसाधन, लागत नियंत्रण, सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और वित्तीय रिपोर्ट की विश्वासनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और व्यापक विकास किया है। लेखापरीक्षा समिति निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव देती है।



(ई) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

- विगत वर्ष के दौरान 26.27 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 16490.40 लाख रु. का रहा।
- विगत वर्ष के दौरान 708.81 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 7730.97 लाख रु. का रहा।
- विगत वर्ष के दौरान 204.88 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 10482.84 लाख रु. का रहा।
- विगत वर्ष के दौरान 2017.74 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 219.36 लाख रु. का रहा।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम को 1000.60 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है जबकि विगत वर्ष के दौरान इसे 1378.21 लाख रुपये की शुद्ध हानि हुई थी। इसका मुख्य कारण एमएसपी का होना है जिससे विगत वर्ष की तुलना में अधिक बिक्री हुई।

(एफ) मानवीय श्रोत एवं औद्योगिक संबंध

निगम अपने कर्मचारियों की क्षमता, कौशल और ज्ञान में निरंतर वृद्धि की संस्कृति को बढ़ावा देता है ताकि उन्हें उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढालने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें अधिक सक्षम एवं साधन संपन्न बनाया जा सके। सीखना और विकास उन्हें उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार होने में भी मदद करता है। इस दिशा में मानव संसाधन विभाग द्वारा विविध विषयों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

(जी) सतर्कता विवरण

रिपोर्ट के इस भाग में दी गई विवरण मानी हुई बात एवं आगे की घटनाओं की उम्मीद पर आधारित है। फिर भी वास्तविक परिणाम दर्शाये अथवा कार्यान्वित किये गये से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो भिन्न बना सकता है उसमें सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी विनियम में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंध का माहौल एवं अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी शामिल हैं।

९. कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में सीएसआर क्रिया-कलाप के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करता है क्योंकि यह सीएसआर क्रिया-कलापों को अनिवार्य रूप से संचालित करने के लिए उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। अपनी सीएसआर योजना के अंतर्गत की जाने वाली क्रिया-कलापों का निर्धारण करते समय निगम सार्वजिनक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधी जारी दिशा-निदेशों का पालन करता है।



निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर सिमित का गठन किया है जिसमें सिमित के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक एवं श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, श्री अजय कुमार जॉली, एमडी, भापनि और श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त), भापनि इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 15.67 लाख रुपये खर्च करना था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिए गए बजट के अंदर प्रस्तावित क्रिया-कलापें, जैसाकि सीएसआर समिति द्वारा संस्तुति की गई है और बाद में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	मद	क्रिया-कताप	दी गई निधि
1.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए सामान्य विषय के रूप में 'स्वास्थ्य और पोषण' को मंजूरी देते हुए 'राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सीपीएसईज के सीएसआर व्यय का सरेखण'' के संबंध में डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में सरकार/जिला अस्पतालों को अंशदान। बजट: रु.13,17,000/-	1 यूएसजी मशीन और 3 मोतियाबिंद उपकरण सेट (टाइटेनियम) की खरीद हेतु राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, गुवाहाटी, असम को अंशदान।	₹.3,00,000/-
		एक डीजल जनरेटर और एक वाटर कूलर प्यूरीफायर एक्वागार्ड की खरीद के लिए सीएचसी अस्पताल, बरचना, जाजपुर जिला, ओडिशा को अंशदान।	₹.6,23,990/-
		एक रोगी वेंटिलेटर की खरीद के लिए कंटोमेंट बोर्ड, बैरकपुर, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत जे.सी. बोस जनरल अस्पताल को अंशदान।	₹.3,93,010/-
2.	सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए अंशदान बजट: रु.2,50,000/-	पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ)।	₹.2,00,000/-
		7वें एडीएम अधर कुमार चटर्जी मेमोरियल लेक्चर नेवी फाउंडेशन, कोलकाता चैप्टर।	₹.50,000/-
	कुल बजट : रु.15,67,000/-		₹.15,67,000/-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के सीएसआर क्रिया-कलापों के लिए आवंटित पूरा बजट संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय किया गया है।



जैसािक विगत वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया था, निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजीज) के लिए जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास हेतु दो नई परियोजनाएं शुरू की थी। संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दो संगठनों का चयन किया गया था। इसका विवरण निम्न प्रकार है:

संगठन का नाम	बजट का आवंटन (रू. लाख में)
चैपलिन क्लब, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	5.00
दिगंपुर अंगीकार, संदेशखाली, 24 परगना (पश्चिम), पश्चिम बंगाल	5.00

इसके अलावा विगत वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार व्यावसायिक पैमाने पर गुणवत्ता वाले जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन के अध्ययन, डिजाइन के विकास और हैंडहोल्डिंग हेतु एक परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के सीएसआर बजट से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को रु.6.52 लाख रुपये जारी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के सीएसआर क्रिया-कलाप से संबंधित विवरण को **परिशिष्ट "सी"** के रूप में दिया गया है।

१०. कार्पोरेट गवर्नेंस

- (ए) 1971 में निगम को कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में समाविष्ट िकया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि जब कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी पर या उससे नीचे रहेगा तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर जूट कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा दी गयी निधि का उपयोग एमएसपी क्रिया-कलाप के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव करने के लिए िकया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस निधि का सही ढंग से उपयोग हो। निगम ने अत्यधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ सरकारी अनुदान के बेहतर उपयोग में लगातार सुधार करने की कोशिश की है।
- (बी) 31.03.2023 तक बोर्ड के निदेशकगण निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।



बोर्ड की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (25.11.2022)
1.	श्री अजय कुमार जॉली (डीआईएन:08427305) (01.02.2019 से)	प्रबंध निदेशक	3	3	3	हां
2.	श्री गौरव कुमार (डीआईएन:02819625) (08.12.2020 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3	3	-
3.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा (डीआईएन:05117895) (15.07.2022 से 22.06.2023)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	2	1	हां
4.	श्री अमिताभ सिन्हा (डीआईएन:09022866) (10.12.2021 से)	निदेशक (वित्त)	3	3	3	हां
5.	श्रीमती पूजा विधानी (डीआईएन:08863071) (19.02.2020 से 18.02.2023)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	3	2	2	-
6. बोर्ड की	श्री संजय शरण (14.02.2019 से 15.07.2022) बैठकों की तिथि: 17.06.2022, 1	सरकार द्वारा नामित निदेशक 8 10 2022 एवं 31 03 20	3	1	0	-

(सी) 31.03.2023 तक लेखापरीक्षा सिमित – निगम की मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कार्पोरेट अनुभव का अनुसरण करने के लिए इस अधिनियम की धारा 292ए एवं इससे संबंधित प्रासंगिक/अनुषंगिक विनियम के अनुसार 2001 में निगम के लेखापरीक्षा सिमित का गठन किया गया। लेखापरीक्षा सिमित का कोरम दो सदस्यों का है।

समिति में निम्नलिखित समाविष्ट हैं:

- 1. श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष (18.02.2023 तक)
- 2. सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा, सरकारी निदेशक सदस्य
- 3. श्री गौरव कुमार, सरकारी निदेशक सदस्य
- 4. श्री अजय कुमार जॉली, प्रबंध निदेशक सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।



इस समिति से संबंधित शर्तों का संक्षिप्त ब्यौरा है:

- (ए) कंपनी के वित्तीय विवरणियों एवं अन्य रिपोर्टों का समय-समय पर समीक्षा करना।
- (बी) मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणियों एवं रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
 - (i) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में कोई परिवर्तन करना।
 - (ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाने पर योग्यताओं एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं का समायोजन करना।
 - (iii) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना।
 - (iv) लेखाकरण मानकों का अनुपालन करना।
 - (v) प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों से संबंधित तथ्य का आदान-प्रदान करना।
 - (vi) लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास संस्तुति करना।
 - (vii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन करना।
 - (viii) बोर्ड में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षा लागू कानून, विनियम एवं कंपनी के नीतियों के अनुसार हैं।
 - (ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
 - (x) निगम के किसी भी कर्मचारी से सूचना लेने का प्रयास करना।
 - (xi) यदि आवश्यकता हुई तो बाहर से कानूनी या किसी दूसरे विशेषज्ञों की सहायता सुनिश्चित करना।
 - (xii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विरोधों को कम करना।
 - (xiii) आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम वाले प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सुनिश्चित करना।
 - (xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया अथवा बाहरी लेखापरीक्षकों को अनियमितताओं की जानकारी देने वाले कर्मचारियों एवं अन्यान्य को संरक्षण देना (पहरेदारों को संरक्षण देना)।
 - (xv) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं वित्तीय स्थिति व क्रिया-कलाप के परिणाम के विश्लेषण का समीक्षा करना।
 - (xvi) प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य-प्रणाली, रिपोर्ट करने की संरचना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल की समीक्षा करना।
 - (xvii)कंपनी के वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन के नीतियों की समीक्षा करना।

ऐसे अन्य विषयों का निपटारा करना जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप से इसके पास भेजा जाता है या संगठन के हित में इसे आवश्यक समझा जाता है।



लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित
1.	श्रीमती पूजा विधानी (19.02.2020 से 18.02.2023)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	2	2	2
2.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा (15.07.2022 से 22.06.2023)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1	1
3.	श्री गौरव कुमार (08.12.2020 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2	1
4.	श्री अजय कुमार जॉली (01.02.2019 से)	प्रबंध निदेशक	2	2	2
5.	श्री संजय शरण (14.02.2019 से 15.07.2022)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1	0
लेखाप	रीक्षा समिति की बैठकों की तिथि: 17.0)6.2022 एवं 18.10.202	22		

(डी) साधारण निकाय की बैठकें:

क्र. सं.		2019-20 (49वीं एजीएम)	2020-21 (50वीं एजीएम)	2021-22 (51वीं एजीएम)
1.	तिथि	15.12.2020	14.12.2021	25.11.2022
2.	समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे	अपराह्न ३.०० बजे	अपराह्न ३.०० बजे
3.	स्थान	निगम के पंजीकृत कार्यालय,	निगम के पंजीकृत कार्यालय,	निगम के पंजीकृत कार्यालय,
		15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
		कोलकाता-700087 में वीडियो	कोलकाता-700087 में वीडियो	कोलकाता-700087 में वीडियो
		कान्फरेंसिंग के माध्यम से	कान्फरेंसिंग के माध्यम से	कान्फरेंसिंग के माध्यम से

(ई) प्रकटन:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013, लेखाकरण मानक पद्धति एवं अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।
- (ii) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम पर कोई दंड/अवक्षेप नहीं लगा है।
- (iii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।



- (iv) मार्ग-दर्शन में विनिर्दिष्ट बिंदुओं का यथासंभव अनुपालन किया गया है।
- (v) केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- (vi) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा-बही में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है।
- (vii) व्यक्तिगत खर्च का वहन नहीं किया गया है किंतु बैठकों से संबंधित निदेशकों के लिए आवासीय प्रभार आदि के रूप में खर्च किया गया है।

(viii) अन्य सूचना:

(i) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही -

प्रत्येक वर्ष बोर्ड/लेखापरीक्षा सिमित की न्यूनतम बैठकें की जाती हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है। बोर्ड के समक्ष साधारणत: निम्नलिखित सूचनाएं रखी गई:

- (ए) कार्यवृत्त की पृष्टि।
- (बी) अनुवर्ती कार्रवाई।
- (सी) कच्चे जूट के विपणन से संबंधित रिपोर्ट।
- (डी) जूट बीजों का वितरण।
- (ई) कानूनी मामलें।
- (एफ) सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट।
- (जी) सांविधिक अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट।
- (एच) वार्षिक लेखा।
- (आई) लेखापरीक्षक।
- (ii) बोर्ड/लेखापरीक्षा सिमित की बैठकों के लिए कार्यसूची बोर्ड/लेखापरीक्षा सिमित की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विभागीय प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करते हैं एवं निदेश देते हैं कि कार्यसूची से संबंधित कागजात कंपनी सिचव के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर दी जाए। कार्यसूची से संबंधित कागजात निदेशकों/सदस्यों के पास भेजी जाती है। ठीक वैसे ही बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचारार्थ भेजी जाती है।
- (iii) विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि बोर्ड/सिमिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।
- (iv) बोर्ड/सिमिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग कंपनी सिचव प्रत्येक बोर्ड/सिमिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन होने के उपरांत उसे सभी निदेशकों/सदस्यों के पास परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात् बोर्ड/सिमिति की आगामी बैठक में इस कार्यवृत्त की पृष्टि की जाती है एवं तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।



एफ) तिमाही रिपोर्ट

निगम ने वस्त्र मंत्रालय के पास कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुबंधित निर्धारित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट फाइल करता है। एक समेकित रिपोर्ट भी डीपीई के पास भेजी जाती है।

(जी) बोर्ड के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापार, आचरण एवं नीति संहिता का अंगीकरण – कार्पोरेट गोवर्नेस के अंश के रूप में धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाली नीति:

निगम ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस (सीपीएसईज) के कार्पोरेट गोवर्नेंस के मार्ग-दर्शन के आधार पर आचरण-संहिता, जोखिम प्रबंधन – धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाली नीति विकसित की है जिसे बोर्ड के निदेशकगण द्वारा अपनाया गया है। प्रत्येक नीति की प्रति वेब-साइट :www.jutecorp.in पर रखी गई है।

११. लाभांश

चूंकि निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया है, इसलिए निदेशकों ने इस संबंध में डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारक यानी भारत सरकार को प्रति शेयर रु.143.70 (विगत वर्ष शून्य) के हिसाब से लाभांश के भुगतान की संस्तुति की है। लाभांश के रूप में व्यय 718.50 लाख रुपये (विगत वर्ष शून्य) होगा। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

12. 52 वर्षों के वित्तीय निष्पादन का परिदृश्य

52 वर्षों के दौरान प्रारंभ से 2022-23 तक निगम की वित्तीय निष्पादन का एक सूक्ष्म-वीक्षण **परिशिष्ट- "बी"** में दिया गया है जो लाभ-हानि और आर्थिक सहायता के लेखा-जोखा से संबंधित है।

13. निदेशकगणों के दायित्वपूर्ण वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के अनुसार निगम के बोर्ड के निदेशकगण पृष्टि करते हैं कि :

- (i) वार्षिक लेखों की तैयारी करने में सामग्री को छोड़ने के संदर्भ में यदि कुछ होता है तो उसके उचित व्याख्या सहित लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है जैसाकि अलग से लेखाकरण नीति के टिप्पणियों में दर्शाया गया है।
- (ii) उन्होंने ऐसी ही लेखाकरण नीतियों को चुना है और उसे संगतिपूर्वक लागू किया है एवं उचित व विवेक से निर्णय एवं अनुमानित किया है जिससे 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की कार्य-प्रणाली एवं उस अविध के लिए कंपनी के लाभ-हानि के दृष्टिकोण से एक सच्ची एवं स्वच्छ तस्वीर दिखाई देता है।



- (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखा और अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड्स के रख-रखाव को उचित ढंग से रखा है।
- (iv) उन्होंने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।
- (v) कंपनी सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को रखने हेतु इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) का उप खंड(ई) लागू नहीं है।
- (vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

14. लेखा पर लेखापरीक्षा के मंतव्य एवं वक्तव्य

समीक्षाधीन वर्ष के लिए निगम के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों का मंतव्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. मानवीय श्रोत प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

निगम के मानव संसाधन विभाग मौजूदा कर्मचारियों से संबंधित क्षेत्रों में उनके कौशल और ज्ञान को निखारते और उन्हें बदलते व्यावसायिक जगत की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हुए उन्हें मूल्यवान बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और निगम के कर्मचारियों के उद्देश्य को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के नए और नवीन उपकरण तैयार किए जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पारंपरिक विषयों के साथ-साथ कई नवीन विषयों को कवर किया गया। कवर किए गए कुछ विषय थे - संगठनात्मक सीमाओं का पुन: मानचित्रण: मानव संसाधन की भूमिका, अनुबंध प्रबंधन, विवाद समाधान और मध्यस्थता, जूट और अन्य लिग्नोसेल्यूलोसिक फाइबर का उद्देश्यपूर्ण गुणवत्ता का मूल्यांकन, प्रभावी शिक्षण उद्देश्यों को लिखने से संबंधित कार्यशाला, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों संबंधी प्रशिक्षण, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, सचेतन, जेम और सीपीपीपी पोर्टल संबंधी कार्यशाला, निवारक सतर्कता, एन+ (बेसिक नेटवर्किंग) और सीआईएससीओ प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएट (200-301), बिना किसी तनाव और चिंता के प्रभावी ढंग से नेतृत्व और बढ़ती माँगों/चुनौतियों और पीओएसएच के बावजूद शेष ऊर्जा अधिशेष।

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

१६. सूचना अधिकार अधिनियम, २००५

निगम में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से की जाती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नामित किये गये हैं। मांगी गई सूचना नियत समय के अंदर दी जाती है।

१७७ मानव शक्ति

31.03.2023 तक निगम में 115 नियमित, 19 आकस्मिक एवं 131 संविदागत कर्मचारीगण थे।



१८. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.जा. की स्थिति

31.03.2023 तक निगम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में 15 अनु जाति, 09 अनु जनजाति एवं 24 अ.पि.जाति थे।

१९. परिवार कत्याण

परिवार कल्याण के संबंध में निगम ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी तरह का प्रयास किया है।

20. यौन उत्पीड़न संबंधी सरकारी निदेशों का अनुपालन

निगम ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत् आंतरिक समिति का गठन किया है जिसमें निगम के प्रधान कार्यालय के चार वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं जिनमें से दो महिलाएँ हैं।

21. विकलांग व्यक्तियों के कव्याण हेतू निगम द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा

निगम को शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई विनिर्दिष्ट योजना नहीं सौंपी गई है और उसके लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं की गई है। फिर भी शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को वाहन भत्ता पर खर्च की इजाजत दी जा रही है जो सामान्य मामले में भुगतान की गई वाहन भत्ता की राशि से दोगुना है।

31.03.2023 तक निगम के नियमित 09(नौ) शारीरिक विकलांग कर्मचारीगण इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं।

22. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

निगम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हमेशा सक्रिय रहा है।

प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को नियमित आधार पर हिंदी में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 14.9.2022 से 29.09.2022 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों ने सिक्रय भाग लिया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान निगम के सभी कार्यालयों में हिंदी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 14 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस मनाया गया। उत्सव के अंश के रूप में हिंदी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। निगम में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा, राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और मानदंडों के अनुसार बोर्ड को उनकी बैठकों में नियमित रूप से इसकी प्रगति के बारे में सूचित किया जा रहा है।



23. सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम

31.10.2022 से 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने वर्ष 2022-23 के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के थीम के रूप में "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" को अपनाया था। सप्ताह के दौरान निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। प्रधान कार्यालय में एमडी, जेसीआई द्वारा शपथ दिलाई गई। कर्मचारियों द्वारा सीवीसी की वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा भी ली गई। स्कूलों में निबंध लेखन प्रतियोगिता और पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता जैसी विभिन्न क्रिया-कलापें आयोजित की गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह से संबंधित पंपलेट एवं बैनर वितरित किये गये। संवेदीकरण कार्यक्रम और ग्राम सभाएँ भी आयोजित की गई।

सतर्कता सप्ताह के अंतिम दिन श्री प्रवीण प्रकाश अंबष्ठ, उप सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के थीम पर व्याख्यान दिया और सतर्कता मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।

24. बोर्ड के निदेशकगण

निगम के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय के नामांकन को 15.07.2022 को वापस ले लिया गया और सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा, संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय को उनके स्थान पर 15.07.2022 को नामित किया गया। निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती पूजा विधानी का कार्यकाल 19.02.2023 को समाप्त हो गया।

इसके उपरांत निगम के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा, संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय के नामांकन को 22.06.2023 को वापस ले लिया गया और श्री पूर्णेश गुरुरानी, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय को उनके स्थान पर 22.06.2023 को नामित किया गया।



25. वार्षिक विवरण का सार

फार्म सं.एमजीटी-9

वार्षिक विवरण का सार

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)

नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

ı d	जीकरण और अन्य ब्यौरा	
i)	सीआईएन	यू17232डह्ल्यूबी1971जीओआई027958
ii)	पंजीकरण तिथि	02/04/1971
iii)	कंपनी का नाम	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क ब्यौरा	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल,
		कोलकाता-700 087
		दूरभाष: 033 2252 7027 / 7028
		फैक्स: 91 33 2252 1771 / 7390
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	नहीं
vii)	रेजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क ब्यौरा, यदि	लागू नहीं
	कुछ हो	

।।. कंपनी के प्रधान व्यापार के क्रिया-कलाप:

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कंपनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा हो, को दर्शाया जाए:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	जूट बीज, जूट और इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार एवं विवरण		100 %

।।।. होटिडंग, सहायक और सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होत्डिंग/सहायक/सह	रखे गये शेयरों का %	लागू धारा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर होत्डिंग पेटर्न (कुल इविवटी की प्रतिशतता के रूप में इविवटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)



i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग:

वर्ष के प्रारंभ में		वर्ष के अंत में							
		रखे गये शेर				रखे गये शे	यरों की सं.		वर्ष के
शेयरधारकों की श्रेणी				कुल				कुल	दौरान %
C 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	शेयरों का	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	शेयरों का	परिवर्तन
		, ,	9	%			9	%	
ए. प्रोमोटर्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) भारतीय	61	α .	~	α .	α,	~	~	~	~
ए) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) एनआरआइज – व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
$(\overline{\mathbb{Q}}) = (\overline{\mathbb{Q}})(1) + (\overline{\mathbb{Q}})(2)$,,,,	300000	200000	100	,e' ,	300000	200000	100	,e, ,
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)									
2. गैर संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका	-,	-,	-,				-,		-,
नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
है।	•	~	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	~	~	~	•
ii व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका									
	111-11	 			W-W	W-W		, m-m	
नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अधिक है।									
सी) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग	זכופ		זכופ				זכופ	זכופ	गुलाह
(बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स एवं एडीआर्स हेतु	احتام	احاله	احتاه	احاله	गाः	احتاه	احاله	احاله	احتاه
रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य



(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		व				
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान रखे गये शेयर में % परिवर्तन
1.	भारत के राष्ट्रपति	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य
				~ ~			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	कुल	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)

		वर्ष के प्रारंभ	। में रखे गये शेयर	वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर		
क्र.सं.		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्डिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

		वर्ष के प्रारंभ में र	रखे गये शेयर	वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर		
क्र.सं.	भारत के राष्ट्रपति	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	
	वर्ष के प्रारंभ में	500000	100	500000	100	
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	



(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय	वर्ष के	प्रारंभ में रखे गये शेयर	वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर		
कार्मिक के लिए	शेयरों की	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की	कंपनी के कुत शेयरों का %	
	सं.		सं.		
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/					
बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का					
उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी					
वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि	NI-V	N. V.	W-W	W-W	
पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

V. कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

(रू. लाख मे)

				(હ. લાલ મ)
	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	0.02	-	-	0.02
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया				
गया				
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं				
कुल (i)+(ii)+(iii)	0.02			0.02
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
♦ बढ़ोतरी	2845.42			2845.42
♦ कटौती	0.00	-	-	0.00
		-	-	
शुद्ध परिवर्तन	2845.42			2845.42
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी:				
i) मूल राशि	2845.44	-	-	2845.44
ii) वकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया	-	-	-	-
गया				
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-		-	-
कुल (i)+(ii)+(iii)	2845.44			2845.44

VI. निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण दोनों कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी की नियुक्ति एवं कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किया जाता है।



VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्योरा	लगाये गये दंड/सजा/ समझौता फीस का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/ एजसीएलटी/कोर्ट)	अपील की गई, यदि कुछ हो (ब्यौरा दें)		
ए. कंपनी	ए. कंपनी						
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
बी. निदेशकों							
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
सी. चूक में अन्य अधिकारियों							
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		

26. विदेश यात्रा

(i) बर्मिंघम (यू.के.):

निगम ने निर्यात बाजार संवर्धन क्रिया-कलाप (ईएमपीए) योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा एनईसी, बर्मिंघम में आयोजित प्रतिष्ठित शरद मेला-2022 और 4 सितंबर, 2022 से 12 सितंबर, 2022 तक लंदन में क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लिया।

उपर्युक्त मेले में भागीदारी जेडीपी के विपणन और निर्यात के माध्यम से कारोबार बढ़ाते हुए राजस्व के वैकित्पक स्रोत सृजित करने के निगम के प्रयास का एक हिस्सा था। निर्यात आदेशों हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधनों में से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी है, जहां निगम को अपने द्वारा विपणन किए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने और संभावित अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलता है।

निगम के दो वरिष्ठ अधिकारियों महाप्रबंधक (परिचालन/विपणन) और मुख्य प्रबंधक (वित्त) को उपरोक्त कार्यक्रम में निगम का प्रतिनिधित्व करने और इसके व्यवसाय के विस्तार के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए नामित किया गया था।

कई संभावित ग्राहकों की पहचान की गई है और नमूने भेजने एवं ऑर्डर हासिल करने के लिए उनके साथ पत्राचार शुरू किया गया है। आशा है कि निकट भविष्य में कुछ संभावित व्यावसायिक प्रस्ताव मूर्त रूप ले लेंगे।



(ii) बंग्लादेश :

यह व्यापक रूप से स्वीकृत और अच्छी तरह से प्रलेखित तथ्य है कि बंग्लादेश में उत्पादित कच्चे जूट की गुणवत्ता भारत में उत्पादित गुणवत्ता से बेहतर है। इसलिए निगम ने जूट के कटाई से पहले और कटाई के बाद के प्रबंधन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण जूट उत्पादन की प्रिक्रिया का निरीक्षण करने और जूट की खेती के संबंध में बंग्लादेश की जनसांख्यिकी को समझने एवं बंग्लादेश के किसानों द्वारा अपनाई जा रही प्रथाओं का विश्लेषण करने के लिए 4 सदस्यीय प्रतिनिधि जिनमें तीन विपणन कैडर और एक वित्त विभाग से था, को बंग्लादेश भेजा था। प्रतिनिधि ने बेहतर गुणवत्ता वाले जूट फाइबर के उत्पादन के लिए ज्ञान और विचार के आदान-प्रदान की संभावनाओं को भी देखा और खोजा।

प्रतिनिधिमंडल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उम्मीद है कि भविष्य में निगम को इस दौरे से लाभ मिलेगा।

२७. उर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय

जैसािक विगत रिपोर्ट में सूचित किया गया है, निगम हमेशा ऊर्जा के संरक्षण के सकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत रहा है और इस संबंध में वह ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए हमेशा ग्रहणशील रहा है। वर्तमान में यह अपने सभी कार्यालयों में एलईडी लाइटों का उपयोग करता है। अपने कई क्षेत्रीय कार्यालयों/आरएलडीज एवं डीपीसीज में सौर लाइट प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। निगम के कार्यालयों में सभी विद्युत उपकरणें कार्य-समय के उपरांत अनिवार्य रूप से बंद हो जाती है। कार्यालय उपयोग के लिए विद्युत उपकरण चुनते समय उसकी उर्जा दक्षता सुनिश्चित की जाती है। निगम सभी कार्यालयों में बिजली की खपत को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। निगम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी "अनुशंसित इष्टतम तापमान सेटिंग के माध्यम से बिल्डिंग स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण" से संबंधित विशा-निर्देशों का निष्ठा से पालन करता है।

28. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, यथा संशोधित के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स जे.के.वी.एस, कोलकाता को निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम को लागत के रिकार्डों का रख-रखाव करने की आवश्यकता नहीं है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

29. आभार प्रदर्शन

निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पटसन आयुक्त का कार्यालय एवं नेशनल जूट बोर्ड को निगम के कार्यों में समय-समय पर उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे कृषि लागत



और मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि और सहकारिता विभागों, राज्य के शीर्ष सहकारिता संगठनों, पटसन विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक लि. तथा अन्य बैंकों को उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण मेसर्स स्पान एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, आंतरिक लेखापरीक्षक, एस.के.मिल्लिक एंड कं., सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं कंपनी पंजीयक कार्यालय एवं कॉपोरेट कार्य मंत्रालय को उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अंत में, निदेशकगण निगम के स्टाफ, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं।

.

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से (अजय कुमार जॉली) प्रबंध निदेशक

तिथि : 23.11.2023 स्थान : कोलकाता



परिशिष्ट "ए"

वित्तीय परिणाम २०२२-२३

(रु. लाख में)

	अन्तर्देशी	य कच्चा जट		Ì	રુ. ભાલ મ)
	मूट्य समर्थन	वाणिज्यिक	जूट बीज	विविध जूट उत्पाद	कुल
	आर	म			
विक्रय	10458.51	218.85	509.09	145.28	11331.73
ब्याज	397.05	0.00	0.00	0.00	397.05
सरकार से आर्थिक सहायता	2900.00	0.00	0.00	0.00	2900.00
अन्य जमा	552.00	0.00	17.74	0.00	569.74
अन्तर्देशीय कच्चा जूट में हस्तांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम स्टॉक	8531.12	7277.99	334.94	33.88	16177.93
पूर्व अवधि का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	22838.68	7496.84	861.77	179.16	31376.45
	व्यर	<u> </u>			
प्रारंभिक स्टॉक	53.07	228.30	179.53	33.09	493.99
क्रय	16528.00	7745.13	657.18	133.36	25063.67
व्यापारिक खर्चे	873.71	272.67	0.72	2.01	1149.11
गोदाम भाड़ा एवं बीमा	217.87	26.75	1.23	0.12	245.97
अन्तर्देशीय कच्चा जूट से हस्तांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थायी खर्चे	3103.99	0.00	0.00	24.85	3128.84
पूर्व अवधि का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	20776.64	8272.85	838.66	193.43	30081.58
अधिक्य(+)/कमी(-) ब्याज और मूल्यहास से पहले एक वर्ष का परिचालन	2062.04	-776.01	23.11	-14.27	1294.87
ब्याज	87.77	0.00	0.00	0.00	87.77
मूल्यहास और परिशोधन	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
आयकर के लिए प्रावधान	307.80	-122.19	3.64	-2.25	187.00
वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	1646.97	-653.82	19.47	-12.02	1000.60
प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	718.50
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2022 तक आरक्षित एवं अधिशेष					12869.23
31.03.2023 तक आरक्षित एवं अधिशेष					13869.83



परिशिष्ट ''बी'

52 वर्षों (1971-72 से 2022-23) के लाभ-हानि का सूक्ष्म-वीक्षण

(रु. करोड़ में)

		२०२२-२३ तक संचयी	कुल व्यय रु.५६६६.९४ के विभिन्न मदों की प्रतिशतता
I.	आय		
	विक्रय	3915.41	
	सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	803.53	
	सरकार से आर्थिक सहायता (बीज)	14.93	
	पश्चिम बंगाल से विशेष आर्थिक सहायता (एमएसपी)	1.55	
	अन्य आय	296.31	
	अंतिम स्टॉक	161.78	
		5193.51	92
II.	व्यय (स्थायी खर्च एवं ब्याज को छोड़कर)		
	क्रय ू	3297.42	
	व्यापारिक एवं परिचालन खर्चे	348.05	
	भंडारण	102.07	
	बीमा	34.45	
	पूर्व अवधि तथा अन्य का समायोजन	16.20	
	ओपवादिक मर्दे	24.74	. =
***	The state of the s	3822.93	67
III.	स्थायी खर्च एवं ब्याज से पहले का अधिशेष (I-II) बाद : स्थायी खर्च	1370.58	22
IV.		1258.46	22
V.	ब्याज से पहले का अधिशेष/(कमी) (III-IV) योग : उधार पर ब्याज	112.12	10
VI.	याग : उधार पर व्याज	(586.46)	10
VII	आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09,	(474.34) 82.58	
V 11.		62.36	
	2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16,		
	2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2022-23)		
	फ्रिंज लाभ कर (2005-06 से 2008-09 तक)	0.37	
	वितरण कर सहित सरकार को लाभांश (1971-72, 1973-74, 2016-17,	26.34	
	2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23)		
	हानि :	(583.63)	
VIII.	खाते में आर्थिक सहायता जमा (2002-03 तक)	555.20	
IX.	वित्तीय पुन:संरचना के परिणामस्वरूप बहे खाते में 2002-03 तक का	144.17	
	संचित हानि		
X.	वित्तीय पुन:संरचना के परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ	22.96	
XI.	तुलन-पत्र में लाये गये वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का लाभ (जमा अंक)	138.70	
	(VIII+IX+X-VII)		

परिशिष्ट "सी"

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी के सीएसआर की नीति के संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें अपनाये जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य और सीएसआर की नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ शामिल हैं।

भापिन एक लाभकारी संगठन होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापें करना है। सीएसआर की सिमिति द्वारा संस्तुत सीएसआर नीति एवं 25.06.2019 को आयोजित बोर्ड की 252वीं बैठक में उनके द्वारा दिये गये अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए निगम के सीएसआर क्रिया-कलापें की गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है।

निगम का सीएसआर नीति

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापिन), केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) का स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य साधारणत: उगाए गए जूट के लिए समुचित मूल्य प्रदान करते हुए और विशेषकर मजबूरन बिक्री करने से बचाते हुए जूट कृषकों के हितों का रक्षा करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप करने के अतिरिक्त भापिन बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक क्रय व विक्रय भी करता है। तदनुसार, जूट कृषकगण जो सीमित आय के साथ बड़े पैमाने पर छोटे और मार्जिनल कृषक हैं, का कल्याण इस सीएसआर नीति का फोकस व मार्ग-दर्शक कारक हो सकता है।

प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध सीएसआर क्रिया-कलापों पर विगत तीन वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2(दो) प्रतिशत व्यय करने का प्रयत्न करेगा।

किसी खास वर्ष में सीएसआर क्रिया-कलापों की पहचान एवं कार्यान्वित करते समय लोक उद्यम विभाग, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा जारी निदेशों, यदि कुछ हो, को ध्यान में रखा जाएगा।

जूट कृषकों/बुनकरों को उनकी कमाई और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए नए कौशल व प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने और जूट कृषकों/बुनकरों के संतानों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

चल रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को पूरा करने का प्रयास किये जाएंगे जिसमें जूट कृषकों/ बुनकरों के लिए पीने का पानी, स्वच्छता एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल टीकाकरण आदि शामिल हैं।

राशि जो वर्ष के अंत में अव्ययित रह सकती है उसे आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बनाये गये योजनाओं एवं बजट का कार्यक्रम

- 1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए सामान्य विषय के रूप में 'स्वास्थ्य और पोषण' को मंजूरी देते हुए ''राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सीपीएसईज के सीएसआर व्यय का संरेखण'' के संबंध में डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में सरकार/जिला अस्पतालों को अंशदान।
- 2. सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान।
- 7वें एडीएम अधर कुमार चटर्जी मेमोरियल लेक्चर नेवी फाउंडेशन, कोलकाता चैप्टर को प्रायोजन।



2	सीएसआर समिति का गठन	 श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्षा (18.02.2023 तक) श्री ए. के. जॉली, प्रबंध निदेशक – सदस्य श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) – सदस्य
3	विगत तीन वित्तीय वर्षों (2019-20,	₹.7,83,33,333/-
	2020-21 एवं 2021-22) के लिए कंपनी का कर से पहले औसतन शुद्ध लाभ	
4	निर्धारित सीएसआर पर खर्च (उपरोक्त 3 में	হ 15 67 000/-
.	दी गई राशि का दो प्रतिशत)	(.15,07,000)
5	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च	
	की गई राशि का ब्यौरा	
	1) वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की जाने वाली	₹.15,67,000/-
	कुल राशि	
	2) अव्ययित राशि, यदि कुछ हो	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर बजट से रु.2.00 लाख
		वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर बजट से रु.2.41 लाख
		2023-24 के सीएसआर बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च की
		जाएगी।
	3) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे तालिका में दी गई है:
	का ब्यौरा	

तालिका – 2022-23 के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना राज्य/ जिला	राशि (रु. में)
I	1 यूएसजी मशीन और 3 मोतियाबिंद उपकरण सेट (टाइटेनियम) की खरीद के लिए राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, गुवाहाटी, असम को अंशदान	स्वास्थ्य	असम	3,00,000/-
II	एक डीजल जनरेटर और एक वाटर कूलर प्यूरीफायर एक्वागार्ड की खरीद के लिए सीएचसी अस्पताल, बरचना, जाजपुर जिला, ओडिशा को अंशदान	स्वास्थ्य	ओडिशा	6,23,990/-
III	एक रोगी वेंटीलेटर की खरीद हेतु कंटोमेंट बोर्ड, बैरकपुर, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत जे.सी. बोस जनरल अस्पताल में अंशदान		पश्चिम बंगाल	3,93,010/-
IV	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित के लिए उपाय	पूरे भारत	2,00,000/-
V	7वें एडीएम अधर कुमार चटर्जी मेमोरियल लेक्चर नेवी फाउंडेशन, कोलकाता चैप्टर	सशस्त्र बलों के हित के लिए उपाय	पूरे भारत	50,000/-



VI	~ ~	हों (जेडीपी) के उत्पादन में के लिए परियोजनाएं	महिलाओं और बच्चों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाले रोजगार को बढ़ावा देना	पश्चिम बंगाल एवं आंध्रप्रदेश	9,00,000/-
VII	एसआर समिति द्वा जिलों जहां निगम व देखभाल संबंधी सीएसआर परियोज	के दिशा-निदेश के अनुसार रा चिन्हित आकांक्षी जिलों/ का परिचालन है, में स्वास्थ्य क्रिया-कलापों के लिए ानाओं का कार्यान्वयन	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल एवं असम	9,95,990/-
	-	के सहयोग से जेडीपी के लिए डिजाइन विकास	विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	पूरे भारत	6,50,000/-
		कुल			41,12,990/-
6	चिह्नीत राशि को खर्च नहीं करने का कारण	कौशल विकास के लिए दें संगठनों का चयन किया गर ऐसी किश्त जारी करने की इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 20 उत्पादन में कौशल विकास भुगतान जारी करना भी लं	दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी या था। दोनों संगठनों को अंतिम किस्तों व शर्तों को पूरा करने पर जारी किया जाएगा 20-21 के दौरान महिला स्वयं सहायता के लिए ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वि बेत है क्योंकि अंतिम किस्त जारी करने व	और तदनुसार इसके कार्या का भुगतान 31.03.2023 त । समूहों हेतु जूट विविध उत त करने वाले दो संगठनों को ि शर्त अभी पूरा होना बार्क	न्वयन के लिए दो कि लंबित है जिसे पादों (जेडीपी) के अंतिम किस्त का ो है।
7	सीएसआर समिति से विवरण	सीएसआर सिमति ने पुष्टि की है कि पैरा-1 में दी गई सीएसआर के क्रिया-कलापों की रूपरेखा के अनुरूप सीएसआर से संबंधित खर्च की गई है।			



पांच वर्षों की रूपरेखा

(रु. लाख में)

						((🔾 1)
क्र. सं.	ब्योरा	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ए	परिचालन के आंकड़े					
	कुल कारोबार	18433.84	12786.83	11577.60	3130.24	11331.73
	अन्य आय	6388.77	4820.68	3920.26	3479.73	3866.79
	खर्च	22789.88	15478.48	13898.41	5514.18	14010.92
	पूर्व अवधि का समायोजन (शुद्ध)	-18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	आपवादिक मदें	0.00	0.00	0.00	-2474.00	0.00
	कर से पहले लाभ (पीबीटी)	2051.39	2129.03	1599.44	-1378.21	1187.60
	कर	891.46	589.48	384.21	0.00	187.00
	आस्थगित कर खर्चे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर के उपरांत लाभ (पीएटी)	1159.93	1539.55	1215.23	-1378.21	1000.60
	लाभांश वितरण कर सहित भुगतान की गई लाभांश	419.53	462.00	776.18	0.00	0.00
	सामान्य रिजर्व में राशि हस्तांतरण	740.40	1077.55	439.05	-1378.21	1000.60
बी	वित्तीय स्थिति					
	नियोजित पूंजी	13650.37	14770.39	15523.62	13369.23	14369.83
	अप्रचलित परिसंपत्तियां	252.31	396.70	330.26	287.91	293.04
	प्रचलित परिसंपत्तियां	21865.66	21290.29	22910.69	20321.39	24170.16
	इक्विटी एवं देयताएं:					
	i) शेयर पूंजी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	ii) आरक्षित एवं अधिशेष	13150.37	14270.39	15023.62	12869.23	13869.83
	अप्रचलित देयताएं	3731.46	3988.10	4008.68	3550.06	3699.65
	प्रचलित देयताएं	4736.14	2928.51	3708.65	3690.01	6393.72
सी	अनुपात					
	पीबीटी/कुल कारोबार	0.11	0.17	0.14	-0.44	0.10
	पीएटी/कुल कारोबार	0.06	0.12	0.10	-0.44	0.09
	् पीबीटी/नियोजित पूंजी	0.15	0.14	0.10	-0.10	0.08
	पीएटी/कुल मूल्य	0.08	0.10	0.08	-0.10	0.07
	कुल कारोबार/कुल मूल्य (कितनी बार)	1.35	0.87	0.75	0.23	0.79
	प्राप्ति योग्य व्यापार/कुल कारोबार (%)	10.78	13.71	6.70	3.41	13.44



कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्रॉ

सेवा में, सदस्यगण, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा किये गये कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन की जांच की जैसािक केंद्रीय लोक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-सीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कार्पोरेट गोवर्नेंस से संबंधित मार्ग-दर्शन (''मार्ग-दर्शन'') में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस की शत्तों का अनुपालन करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव और कार्पोरेट गोवर्नेंस की शत्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारा उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जांच की दायरा सीमित है जिसे कंपनी द्वारा कार्पोरेट गोवर्नेंस की शत्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जैसाकि मार्ग-दर्शन में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर विचार प्रकट करना है।

हमारी राय से और जहां तक जानकारी है एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन किया है जैसाकि उपरोक्त मार्ग-दर्शन में निर्धारित किया गया है।

हम पुन: जानकारी देते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है न ही इसका दक्षता या प्रभाव है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य का संचालन किया है।

> वास्ते एस. के. मिल्लक एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष) साझेदार सदस्यता सं.055467 यूडीआईएन:23055467बीजीडब्ल्यूएक्सएचजेड9566

स्थान : कोलकाता तिथि : 28.09.2023



क्षेत्रीय कार्यालय 31.03.2023 को

राज्य	प्र.का./क्षे.का./आरएतडी	डीपीसीज/एससीज की संख्या	राज्यवार कुल डीपीसीज/एससीज
	कोलकाता आरएलडी	12	
	सिलीगुड़ी क्षे.का.	6	
	कूचिबहार क्षे.का.	6	
पश्चिम बंगाल	तुलसीहाटा आरएलडी	9	69
	कृष्णनगर क्षे.का.	14	
	बरह्मपुर क्षे.का.	12	
	बेथुवाडहरी आरएलडी	10	
	गुवाहाटी क्षे.का.	7	
असम	गौरीपुर आरएलडी	5	19
	नगांव क्षे.का.	7	
बिहार	फारबिसगंज आरएलडी	12	12
ओडिशा	भद्रक आरएलडी	6	6
आंध्रप्रदेश	पार्वतीपुरम् आरएलडी	2	2
त्रिपुरा	अगरताला क्षे.का.	2	2
	कुल	110	110



स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट

सदस्यगण,

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट

राय

हमने **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा किया जिसमें 31 मार्च, 2023 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और वर्ष के अंत तक का नकद प्रवाह विवरण और उस तिथि पर वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से देती हैं और कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित ("एएस") के साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरण मानकों और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के कार्य और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और उसके नकदी प्रवाह का सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

राय हेतु आधार

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई के नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था



और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान अवधि की लेखापरीक्षा में हमने अलग से रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित कोई मुख्य लेखापरीक्षा मामले नहीं देखे हैं।

अन्य मामले

हम उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उपरोक्त अवस्था में वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा निष्पादित किया गया है। हमने अपने रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए नीचे वर्णित अन्य मामलों को निर्धारित किया है:

- वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 30 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पाविध जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.1,19,99,465/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।
- 2. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.14 दर्शाता है कि व्यापार प्राप्य राशि रु.15,26,93,800/- (विगत जमा शेष राशि रु.1,10,47,789/-) में जमा शेष राशि रु.23,00,547/- शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।
- 3. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.36 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.5,32,181/- में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रु.1,54,138/- की वसूली हो चुकी है।
- 4. राय का अस्वीकरण:

हमने अचल परिसंपत्तियों के क्षेत्र में देखा है कि अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर हालांकि विगत कुछ वर्षों से कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध है लेकिन उससे पहले की अवधि के लिए अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया है एवं कम्प्यूटरीकृत तरीके से अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर का उन्नयन और रखरखाव का कार्य किया जाना अभी बाकी है लेकिन कार्य प्रक्रिया में है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणियों और उसपर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में प्रबंधन का विचार-विमर्श और विश्लेषण, बोर्ड के रिपोर्ट के परिशिष्ट सहित बोर्ड के रिपोर्ट, व्यापार के उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कार्पोरेट गोवर्नेंस और शेयरधारी का सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उसपर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करें कि क्या



अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना के भौतिक गलत विवरण है तो हमें उस तथ्य का रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार हैं जो साधारणत: भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों एवं इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के साथ-साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, इक्वीटी में परिवर्तन एवं नकद प्रवाह का सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है।

इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रख-रखाव, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन व प्रयोज्य, निर्णय व आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रबंधन को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रखने, प्रकटन करने जैसािक लागू है, लाभप्रद व्यवसाय से संबंधित मामले एवं लेखाकरण का लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर उपयोग करने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने की जिम्मेदारी है जबतक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बोर्ड के निदेशकगण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरणियां गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरणियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और वह सामग्री माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर उन्हें इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।



एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित को भी:

- ◆ वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के आधार को साबित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखाकरण के सिक्रिय और लाभप्रद के रूप में और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें िक क्या ऐसी घटनाओं या पिरिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की सिक्रयता और लाभप्रद के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं िक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को संशोधित करें। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी का सिक्रय और लाभप्रद के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- ♦ प्रकटीकरण सिंहत वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करें और क्या वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण का पिरमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित ज्ञान वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के पिरणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में गोवर्नेंस के प्रभारीगण के साथ संवाद करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण किमयां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं। हम उन प्रभारीगण को भी विवरण प्रदान करते हैं जिन पर गोवर्नेंस प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ सभी संबंध और अन्य मामलों का संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है



और जहां सुरक्षा उपाय से संबंधित लागू हो।

गोवर्नेंस के प्रभारीगण के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर रिपोर्ट करते हैं कि: हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे।

- (ए) हमारी राय से लेखा के समुचित बही-खाते को जैसाकि विधि द्वारा अपेक्षित है उसे कंपनी द्वारा रखा गया है जहां तक उन बही-खाते की हमारी जांच से प्रकट होता है।
- (बी) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण लेखा के बही-खाते से मेल खाते हैं।
- (सी) हमारी राय से उपरोक्त वित्तीय विवरणियों का अनुपालन इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के साथ किया गया है।
- (डी) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत अपनी वित्तीय विवरणियों में वित्तीय आंकड़ों को पूर्ण संख्या में प्रकट किया है।
- (ई) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के शर्तानुसार इस अधिनियम की धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट "संलग्नक-सी" में देखें। हमारा रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन की प्रभावपूर्णता पर असंशोधित राय प्रकट करता है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 का नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय से व जहां तक जानकारी है एवं हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार:

- ए. कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
- बी. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सिंहत कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिससे उन्हें लागू कानून या लेखा मानकों के अंतर्गत कोई भी सामग्री की पूर्वानुमान योग्य हानि हुआ हो।

भापनि

- सी. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि लागू हो, के हस्तांतरण में कोई विलंब नहीं हुई है।
- 2. जैसािक इस अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित विवरण को "संलग्नक-ए" में लागू सीमा तक दिये हैं।
- 3. जैसािक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित है, हम लेखापरीक्षा की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निदेशों/उप-निदेशों से संबंधित विवरण "संलग्नक-बी" में दिये हैं। उस पर और कंपनी के लेखों एवं वित्तीय विवरणों पर पड़े प्रभाव पर कार्रवाई की गई।

वास्ते एस. के. मिल्लिक एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या:324892 हे

> (सौमित्र घोष) साझेदार

सदस्यता सं.055467 यूडीआईएन:23055467बीजीडब्ल्यूएक्सएचक्यू6207

स्थान : कोलकाता

तिथि: 28.09.2023



31 मार्च, २०२३ को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का "संलग्नक-ए"

कंपनी (लेखापरीक्षक के रिपोर्ट) आदेश, 2020 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण

जहां तक हमें जानकारी है और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई बही एवं रिकार्डों, हम जानकारी देते हैं कि:

- (i) (ए) कंपनी ने संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव कर रहा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति शामिल है।
 - (बी) कंपनी के पास हर साल एक बार सभी परिसंपत्तियों को कवर करने के लिए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रत्यक्ष सत्यापन का एक कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण सत्यापन के लिए शेष थे और वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उसका प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया गया था।
 - सी) कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - (डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) एवं उसके अधीन बने नियम के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के विरूद्ध लंबित नहीं है।
- (ii) (ए) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है एवं ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।
 - (बी) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यकारी पूंजी सीमा (नकद ऋण) स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न/विवरण कंपनी के लेखा बही के अनुरूप हैं।
- (iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान निवेश नहीं किया है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है और अन्य पार्टियों को असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं की है। तदनुसार इस आदेश के (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
- (iv) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों से जुड़े ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है।
- (v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान या कोई अन्य संबंधित प्रावधान एवं उसके अंतर्गत तैयार नियमों के अधीन कंपनी ने जमा राशि स्वीकार नहीं किया है। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा अनुपालन की आवश्यकता वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।



- (vi) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी के उत्पादों के लिए लागत रिकार्डों के रख-रखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान लागू नहीं होता है।
- (vii) (ए) कंपनी आयकर, ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी की अविवादित सांविधिक बकाया राशि एवं कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि को सक्षम प्राधिकारी के पास साधारणत: नियमित रूप से जमा कर रहा है।
 - (बी) निर्धारण वर्ष 2009-10 के 896.76 लाख रु., 2011-12 के 84.02 लाख रु., निर्धारण वर्ष 2013-14 के 195.45 लाख रु., निर्धारण वर्ष 2018-19 के 188.29 लाख रु. एवं निर्धारण वर्ष 2019-20 के 140.42 लाख रु. की आयकर मांग आयकर प्राधिकारी के समक्ष अपील के अधीन है।
- (viii) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था।
- (ix) (ए) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
 - (बी) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
 - (सी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है और वर्ष की प्रारंभ में कोई आवधिक ऋण बकाया नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
 - (डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पाविध में कोई निधि नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
 - (ई) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संस्था से कोई निधि नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
 - (एफ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
- (x) (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से मुद्रा नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
 - (बी) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा बदलने योग्य डिबेंचरों (संपूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई भी तरजीही आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
- (xi) (ए) श्री कृष्णेंदु बसु (कर्म.सं.1963) कंप्यूटर ऑपरेटर-I को भर्ती से संबंधित रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। प्रारंभ में उन्हें आदेश सं.भापनि/प्र.का./कार्मिक2047/87 दिनांक 26.06.2022 द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही और उसके बाद 21 अक्टूबर, 2022 को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के बाद जिसे 31 अक्टूबर, 2022



- को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया, श्री बसु को 31 अक्टूबर, 2022 को निगम की सेवा से हटा दिया गया।
- (बी) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा 12 के अंतर्गत कोई रिपोर्ट फॉर्म एडीटी-4 में नहीं भरी गई है जैसािक कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ निर्धारित किया गया है।
- (सी) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) हमें कंपनी द्वारा पहरेदार द्वारा उठाई गई एवं कंपनी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी शिकायत के बारे में सूचित नहीं किया गया है और इसलिए आदेश के खंड 3(xi)(सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
- (xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
- (xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अंतर्गत कोई भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए आदेश के खंड (xiii) लागू नहीं होता है।
- (xiv) (ए) हमारी राय से कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
 (बी) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत इस वर्ष के आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (xv) हमारी राय से वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) (ए) हमारी राय से कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(ए), (बी) एवं (सी) लागू नहीं होता है।
 - (बी) हमारी राय से ग्रुप के अंदर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है {जैसाकि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है} और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
- (xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि हुई है और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते केंद्र सरकार लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करती है और इसलिए आदेश के खंड 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, बढ़ती उम्र और वित्तीय पिरसंपित्तयों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, बोर्ड के निदेशकगण एवं प्रबंधन की योजनाओं का हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा की तारीख तक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख तक मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है जब वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अविध के अंदर देय हों। हम आगे जानकारी देते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अविध के अंदर बकाया सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा जब कभी वे देय होंगे। हालांकि हम दर्शाते हैं कि कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।



- (xx) (ए) कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट के अनुसार चल रही परियोजना के अलावा आवश्यक राशि खर्च की है।
- (बी) चूंकि कंपनी कोई भी चल रहे परिचोजना से डील नहीं कर रही है इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(बी) लागू नहीं होता है। (xxi) आदेश के खंड 3(xxi) लागू नहीं होता है।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)

साझेदार

सदस्यता सं.055467

डीआईएन:23055467बीजीडब्ल्यूएक्सएचक्यू6207

स्थान : कोलकाता

तिथि: 28.09.2023



स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का "संलग्नक-बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के शर्त्तानुसार **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए हमारे रिपोर्ट में दर्शीये गये संलग्नक।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सामान्य दिशा-निर्देश

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण के लेन-देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो लेखों के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव की सत्यनिष्ठा पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेन-देन की प्रक्रिया के प्रभाव यदि कोई हो, को दर्शाया जाए।	रखरखाव करती है। सभी लेखाकरण की लेन-देन टैली ईआरपी 9 के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। हमने ऐसा कोई लेन-देन नहीं देखा जो टैली ईआरपी 9 के बाहर संसाधित किया गया हो।
2.	क्या ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन की जा रही है या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव दर्शाया जाए।	नहीं की गई थी या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधियों को इसके निबंधन और शर्ते के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किये गये थे? व्यतिक्रम के मामलों की सूची।	और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बहियों और अभिलेखों

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

> (सौमित्र घोष) साझेदार

सदस्यता सं.055467 यूडीआईएन:23055467बीजीडब्ल्यूएक्सएचक्यू6207

स्थान : कोलकाता तिथि : 28.09.2023



स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का "संलग्नक-सी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट।

31 मार्च, 2023 तक का हमने **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** (इसके उपरांत "कंपनी" के रूप में दर्शाया गया है) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों का हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी के प्रबंधन को कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व रख-रखाव करने का दायित्व है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार को सुव्यवस्थित रूप से एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रूप से परिचालन हो रहे थे जिसमें कंपनी के नीतियों का अवलंबन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखा-धड़ी व त्रुटियां रोकना एवं पता लगाना, लेखाकरण के रिकार्डों की शुद्धता व संपूर्णता एवं विश्वासनीय वित्तीय सूचना को सही समय से तैयार करना शामिल है जैसािक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विचार प्रकट करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी ('मार्ग-दर्शन की टिप्पणी'') एवं लेखाकरण संबंधी मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित समझा गया के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है, जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू है और दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं मार्ग-दर्शन की टिप्पणी की मांग है कि हम क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रख-रखाव किया गया है से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के नैतिक आवश्यकताओं, प्लान एवं कार्य-निष्पादन का अनुपालन करें और ऐसी नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावकारी रूप से परिचालित हुई है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उसके परिचालन के प्रभावपूर्णता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से संबंधित लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ताल-मेल प्राप्त करना, जोखिम आंकना जो भौतिक कमजोरी विद्यमान है, डिजाइन का जांच व मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्णता का परिचालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें वित्तीय विवरणियों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखा-धड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा का साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षा की राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता एवं साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां एवं कार्यविधि शामिल हैं:

भापनि

(1) उचित ब्यौरा के साथ रिकार्डों का रख-रखाव होना जो कंपनी के परिसंपत्तियों का लेन-देन व प्रबंधन को सही ढंग से व न्यायपूर्वक प्रतिविंबित करता है।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका लेन-देन रिकार्ड होता है जैसाकि साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमित के लिए आवश्यक है एवं कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों की अनुमित के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं खर्च की जा रही है और

(3) कंपनी के परिसंपत्तियों का अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा प्रबंध को रोकने या सही समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणियों पर प्रभाव डाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा धोखा-धड़ी की वजह से गलत विवरणियों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय से सभी मामलों में कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का रख-रखाव किया है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2023 तक का प्रभावी ढंग से परिचालन किया है।

वास्ते एस. के. मिल्लक एण्ड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

> (सौमित्र घोष) साझेदार

सदस्यता सं.055467 यूडीआईएन:23055467बीजीडब्ल्यूएक्सएचक्यू6207

स्थान : कोलकाता तिथि : 28.09.2023



वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए निगम पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अन्य मामलों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
अन्य	मामले	
1.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 30 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.1,19,99,465/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।	भापनि केवल इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए भापनि ऐसी आवधिक जमा राशि पर अर्जित ब्याज से मृजित आय का दावा नहीं कर रहा है। चूंकि ये आवधिक जमा राशि भापनि के नाम से हैं और बैंकों द्वारा भापनि के पैन के विरूद्ध टीडीएस की कटौती की जा रही है इसलिए भापनि के खातों एवं संबंधित परियोजनाओं के खातों के बीच आवश्यक आयकर लेखांकन प्रविष्टियां पास हुई हैं। इसे पहले ही वार्षिक लेखा की टिप्पणी सं.4 एवं 30 के अंतर्गत दर्शाया जा चुका है।
2.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.14 दर्शाता है कि व्यापार प्राप्य राशि रु.15,26,93,800/- (विगत जमा शेष राशि रु.1,10,47,789/-) में जमा शेष राशि रु.23,00,547/- शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	जेसीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एमएसपी देखा, यह देखते हुए कि मार्च, 2023 के अंतिम आधे महीने के दौरान एमएसपी की बिक्री चरम पर पहुंच गई थी जिसके फलस्वरूप सामान्य से अधिक व्यापार देय हुआ। तीन वर्षों से अधिक की शेष राशि से संबंधित मामले निरंतर निगरानी, समीक्षा और समाधान के अधीन है। जेसीआई अपने ग्राहकों के साथ निरंतर निगरानी और सामंजस्य कर तीन वर्ष से अधिक की प्राप्य राशि को 53% तक कम करने में सक्षम हुआ। प्राप्य शेष राशि, यदि कोई हो, के लिए सुधारात्मक उपाय वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए जाएंगे।



क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
3.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.36 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.5,32,181/- में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रु.1,54,138/- की वसूली हो चुकी है। .	निगम ने एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के विरूद्ध ऑनलाइन (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से सीधे जूट कृषकों को भुगतान का संवितरण करने की पहल की थी। इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनाया गया था और जूट कृषकों को भुगतान करने के लिए खरीद इनपुट डेटा भी संसाधित किया गया था। हालांकि, एक अनपेक्षित त्रुटि के कारण जो सामान्य जोखिमों से परे थी जिसे कंप्यूटरीकरण करते समय नहीं देखा जा सकता था, ऑनलाइन भुगतान के निष्पादन की प्रारंभिक अवधि के दौरान अज्ञात लाभार्थियों को रु.1.45 करोड़ की राशि हस्तांतरित हो गई थी। प्रबंधन ने तुरंत हमारे बैंकरों के पास यह मामला उठाया एवं राशि जो गलत लाभार्थियों को चला गया था, की वसूली करने में सत्त प्रयास किए। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान रु.139.68 लाख की वसूली की गई एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्रारंभिक जमा शेष राशि रु.5.32 लाख था। इसके अलावा हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान रु.1.54 लाख की वसूली की और 31.03.2023 तक अंतिम जमा शेष राशि रु.3.78 लाख था। इसके अलावा 01.04.2023 से 15.09.2023 के बीच रु.0.54 लाख की वसूली की गई। साथ ही हम शेष राशि की वसूली करने के लिए बैंकों के साथ इस मामले का लगातार अनुसरण कर रहे हैं और बकाया राशि वसूल होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ब्यौरे को लेखा की टिप्पणी सं.36 में दर्शाया गया है।
4.	राय का अस्वीकरण: हमने अचल परिसंपत्तियों के क्षेत्र में देखा है कि अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर हालांकि विगत कुछ वर्षों से कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध है लेकिन उससे पहले की अविध के लिए अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर का रख- रखाव उचित तरीके से नहीं गया है एवं कम्प्यूटरीकृत तरीके से अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर का उन्नयन और रखरखाव का कार्य किया जाना अभी बाकी है लेकिन कार्य प्रक्रिया में है।	जेसीआई ने पहले ही फाइलों के पूर्ण डिजिटलीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। इसके जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है।



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य-प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणियों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि 28 सितंबर, 2023 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया हूं।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

(विभुदत्त बसंतिया) महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान) कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक: 17 अक्टूबर, 2023



३१ मार्च, २०२३ तक का तुलन-पत्र

(राशि लाख में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31/03/2023 को	31/03/2022 को
I. इक्वीटी एवं देयताएं			
अंशधारियों की निधि			
शेयर पूंजी	3(ए)	500.00	500.00
आरक्षित एवं अधिशेष	3(बी)	13,869.83	12,869.23
अप्रचलित देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	2,734.74	2,685.10
दीर्घावधि प्रावधान	5	964.91	864.96
चालू देयताएं			
अल्पावधि उधार	6	2,845.44	0.02
व्यापारिक देय			
ए. सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	7	8.98	66.19
बी. सुक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	7	1,067.27	874.46
अन्य चालू देयताएँ अल्पावधि प्रावधान	8	2,300.26	2,477.89
अल्पावधि प्रावधान	9	171.77	271.45
कुल		24,463.20	20,609.30
II. परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10	255.55	243.15
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	10	1.61	2.70
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	11	0.29	0.73
अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां	12	35.59	41.33
चालू परिसंपत्तियां			
वस्तुसूची व्यापारिक प्राप्य	13	16,177.93	493.99
	14	1,523.25	106.75
नकद एवं नकद समतुल्य	15	5,891.89	18,831.88
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	381.84	670.12
अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	195.25	218.65
कुल		24,463.20	20,609.30

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एस.के. मल्लिक एंड कं.

सनदी लेखाकार कृते एवं बोर्ड की ओर से

फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

(सौमित्र घोष)(अभिक साहा)(अमिताभ सिन्हा)(अजय कुमार जॉली)साझेदारकंपनी सचिवनिदेशक (वित्त)प्रबंध निदेशक(सदस्यता सं.055467)डीआईएन : 09022866डीआईएन : 08427305

स्थान: कोलकाता दिनांक: 28.09.2023



31 मार्च २०२३ को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(राशि लाख में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31/03/2023 को	31/03/2022 को
I. राजस्व			
परिचालन से राजस्व	18	14,231.73	5,584.24
अन्य आय	19	966.79	1,025.73
कुल राजस्व		15,198.52	6,609.97
II.खर्च			
व्यापारिक वस्तुओ का लागत एवं प्रत्यक्ष खर्च	20	25,898.66	1,676.46
व्यापारिक वस्तुओं का लागत एवं प्रत्यक्ष खर्च व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन	21	(15,683.94)	1,127.00
कर्मचारी लाभ खर्च	22	2,557.09	2,170.58
वित्तीय लागत	23	87.77	0.03
मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च	24	19.50	19.48
अन्य खर्चे	25	1,033.65	469.40
विविध खर्चे	26	98.19	51.23
कुल खर्च		14,010.92	5,514.18
अपवादी एवं असाधारण खर्चे से पहले लाभ		1,187.60	1,095.79
अपवादी मदें		-	2,474.00
असाधारण मर्दे		-	-
कर से पहले लाभ		1,187.60	(1,378.21)
कर् खर्चे:			
वर्तमान् कर		(187.00)	-
आस्थिगित कर		-	-
इस अवधि के लिए लाभ/(हानि)		1,000.60	(1,378.21)
इक्वीटी शेयर का औसतन सं.(प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रु.)		5,00,000	5,00,000
मूल अर्जन प्रति शेयर		200	(276)
मिश्रित अर्जन प्रति शेयर		200	(276)
सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1&2		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	27-41		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है। हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एस.के. मल्लिक एंड कं.

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष)(अभिक साहा)(अमिताभ सिन्हा)(अजय कुमार जॉली)साझेदारकंपनी सचिवनिदेशक (वित्त)प्रबंध निदेशक(सदस्यता सं.055467)डीआईएन : 09022866डीआईएन : 08427305

स्थान: कोलकाता दिनांक: 28.09.2023



31 मार्च, २०२३ को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि लाख में)

		(सारा लाख म)
ब्यौरा	2022-2023	2021-2022
ए. परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
कर एवं पूर्व अवधि के समायोजन से पहले लाभ/(हानि)	1,187.60	1,095.79
समायोजने हेतु :		
अपवादी मद	-	(2,474.00)
मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च	19.50	19.48
अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ	(1.33)	(1.52)
ब्याज आय	(397.05)	(588.63)
वित्तीय लागत	87.77	0.03
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	896.49	(1,948.85)
वस्तुसूची में (बढ़ोतरी)/कमी	(15,683.94)	1,127.00
विविध देनदारों में (बढ़ोतरी)/कमी	(1,416.50)	668.51
ऋण एवं अग्रिम राशि में (बढ़ोतरी)/कमी	162.02	4,625.15
देयताओं एवं प्रावधानों में बढ़ोतरी/(कमी)	(70.17)	(567.56)
	(16,112.10)	3,904.25
बाद : भुगतान किए गए आयकर	52.13	267.41
परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	(16,164.23)	3,636.84
, and the second		
बी. निवेश के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का क्रय	(30.89)	(30.43)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की बिक्री/वसूली	1.42	2.39
प्राप्त ब्याह	397.05	588.62
निवेश के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	367.58	560.58
सी. वित्तीय क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
लिया गया/(चुकाया गया) अल्पावधि ऋण	2,845.41	0.02
वित्तीय लागत	(87.77)	(0.03)
वितरण कर सहित भुगतान किये गये लाभांश	_	(776.18)
वित्तीय क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	2,757.64	(776.19)
वित्तीय क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह नकद एवं नकद के समतुल्य में शुद्ध बढ़ोतरी/कमी	(13,039.01)	3,421.23
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद के समतुल्य	16,436.60	13,015.37
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद के समतुल्य	3,397.59	16,436.60

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एस.के. मल्लिक एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष) साझेदार (सदस्यता सं.055467) (अभिक साहा) कंपनी सचिव (अमिताभ सिन्हा) निदेशक (वित्त) डीआईएन : 09022866

(अजय कुमार जॉली) प्रबंध निदेशक डीआईएन : 08427305

स्थान: कोलकाता दिनांक: 28.09.2023



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणी

(राशि लाख में)

ब्यौरा	2022-2023	2021-2022
नकद एवं नकद के समतुल्य		
तुलन-पत्र के अनुसार - नकद एवं नकद के समतुल्य	5,891.89	18,831.88
बाद : नकद, बैंक एवं सावधि जमा		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	83.97	80.32
बायो-टेक्नोलॉजिकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	1.17	1.17
आईजेएसजी	13.97	13.95
भारत सरकार से रिबनर का विकास	138.06	132.10
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	2,257.13	2,167.74
कुल नकद एवं नकद के समतुल्य	3,397.59	16,436.60



टिप्पणी:

1. सामान्य सूचना

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के अंतर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापिन), सीपीएसई की स्थापना भारत में कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 1971 में हुआ। प्रारंभ में भापिन ने छोटे व्यापार एजेंसी के रूप में अपना क्रिया-कलाप प्रारंभ किया किंतु इसके उपरांत धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उगाही क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अभी यह सफलतापूर्वक भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश) में फैला हुआ है। भापिन अपने 110 विभागीय क्रय केंद्र एवं 14 क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय लीड डीपीसीज के साथ-साथ कोलकाता में प्रधान कार्यालय के माध्यम से क्रिया-कलाप करता है।

भापिन जूट की खरीद करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलापों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है एवं वह कच्चे जूट के बाजार में स्थिरता लानेवाला एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भापिन के मूल्य समर्थन क्रिया-कलापों में एमएसपी पर कृषकों, सामान्यत: छोटे एवं उपांतिक (मार्जिनल) कृषकों से कच्चे जूट की खरीददारी करना शामिल है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना है और जब कच्चे जूट का चालू बाजार मूल्य एमएसपी स्तर पर या उससे नीचे रहता है। ये क्रिया-कलापें अधिक आपूर्ति को रोकते हुए बाजार में किल्पत बफर को सृजित करने में मदद करते हैं तािक कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी चंचलता रुक सके। यह जमीनी मूल्य भी प्रदान करता है जिस पर जूट कृषक अपने उत्पाद को बेच सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप (एमएसपी) के अलावा भापनि कच्चे जूट का वाणिज्यिक क्रिया-कलाप, विविध जूट उत्पादों में व्यापार एवं प्रमाणित जूट बीज का वितरण भी करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.1 लेखाकरण का आधार और वित्तीय विवरणियों की तैयारी

लेखा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखाकरण सिद्धांत, लागू लेखाकरण मानकों के साथ सभी सामग्री में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को निगम के सामान्य परिचालन परिधि एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में विस्थापित अन्य मानदंड के अनुसार चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत रिवाज के अंतर्गत एकीकृत के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने में अपनाये गये लेखाकरण नीतियां विगत वर्ष के समान हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूल्यहास:

- i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को मूल्यहास बाद कर अर्जन के लागत पर दिखाया गया है।
- ii) लीजहोल्ड परिसर की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।
- iii) लीजहोल्ड परिसर के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यहास को उपयोगी जीवन पर सीधी तौर पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित तरीके से दिखाया गया है।



iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अंतर्गत कंप्यूटर में अंतिम उपयोगकर्ता डिवाइस के रूप में मोबाइल फोन शामिल हैं।

2.3 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां और परिशोधन

- i) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां जैसे कंप्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसाकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक 26 में परिभाषित किया गया है, को परिशोधन बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।
- ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 26 के अनुरूप उसके व्यवहारिक जीवन पर विचार करते हुए पांच वर्ष से दस वर्ष तक के लिए सीधे लाइन पर परिशोधित किया गया है।

2.4 वस्तुसूचियां

- ं) क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत उसके वजन के औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।
- ii) जूट विविध वस्तुओं का कीमत उसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।
- iii) जूट बीज का कीमत उसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।
- iv) लेखा में कच्चे जूट के स्टॉक की मात्रा को 180 किलोग्राम प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

2.5 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद जिसमें नकद हाथ में, बैंकों में जमा शेष राशि जो नकद राशि में परिवर्तनीय पढ़ा जाता है, सम्मिलित है और वह परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है।

2.6 नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धित का उपयोग करते हुए नकद प्रवाहों का रिपोर्ट किया जाता है जिसके द्वारा अपवादी एवं असाधारण मदों व कर से पहले नकद प्रवृति के लेन-देन के लिए लाभ को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नकद प्रवाह निगम के परिचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रिया-कलापों से अलग रहता है एवं लेखाकरण मानक 3 का अनुपालन किया जाता है।

2.7 कर्मचारियों को लाभ

i) ग्रेच्युटी

ए) नियमित कर्मचारीगण

निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ग्रुप ग्रेच्युटी निधि में नियमित अंशदान करता है एवं इस निधि से नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता दी जाती है।

बी) आकस्मिक कर्मचारीगण, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट कर्मचारीगण

निगम वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्तीय विवरण में आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिंजेंट कर्मचारियों के ग्रेच्युटी हेतु देयता प्रदान करता है एवं निगम द्वारा आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिंजेंट कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी देयताएं दी जाती है।



सभी कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी देय है जिसका अधिकतम सीमा 20 लाख रु. है। कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु 58 वर्ष है। भविष्य में होनेवाली वेतन वृद्धि को लेखा में दर्शाया जाता है जब देयता की गणना की जाती है। मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन में उचित ढंग से विचारा गया है। बीमांकिक मूल्यांकनों में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

ii) छुट्टी भुनाने का लाभ (अनिधिक)

निगम नियमित कर्मचारियों को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत होने पर वर्तमान कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ को वित्तीय विवरणी में अंतिम तिथि पर देयता प्रदान करता है।

बीमांकिक मूल्यांकन में अंगीकार एवं ब्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

iii) कर्मचारियों को भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि

भविष्यनिधि एवं पेंशन निधि के अंशदान को उस अविध के लिए मान्यता दी जाती है जिस अविध के दौरान कर्मचारियों ने सेवा दी है। भविष्यनिधि के अंशदान भारतीय पटसन निगम लि. के अंशदायी भविष्यनिधि ट्रस्ट के पास जमा होता है। कर्मचारियों के भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा होता है।

iv) छुट्टी यात्रा रियायत

जब कभी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जाता है तब उसे लेखा में दर्शाया जाता है।

2.8 राजस्व अभिज्ञान:

वित्तीय विवरण तैयार करने में आय/व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष उस राशि की वसूली/भुगतान साधारणतया निश्चित मालूम पड़ता है और/या निपटाई जाती है। निम्नलिखित मामलों के लिए आय/व्यय की मान्यता वास्तविक वसूली/या निपटान पर दी गई है।

- (ए) लिखित ऋणों पर ब्याज आय यदि कुछ हो।
- (बी) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज यदि कुछ हो।



- (सी) बीमा कंपनियों एवं अन्य एजेंसियों के पास दर्ज की गई अस्थायी दावे यदि कुछ हो। .
- (डी) ढुलाई लागत यदि कुछ हो।
- (ई) एमएसपी क्रिया-कलाप के लिए सरकार से आर्थिक सहायता को उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, यदि वह अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने से पहले प्राप्त होता है। यदि आर्थिक सहायता का सरकारी अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने के उपरांत प्राप्त होता है तब लेखा में उचित टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन प्राप्त होनेवाले वर्ष में दर्शाया जाता है।

2.9 वेतनमान का संशोधन करने के लिए देयता

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन/बढ़ोतरी के लिए देयता को उस वर्ष में ही मान्यता दी जाती है जिस वर्ष सरकार उसे अनुमोदित करता है तथा/या निगम को अधिसूचित करता है।

2.10 पूर्व अवधि का समायोजन

विगत वर्ष से संबंधित 10,000 रु. से अधिक का व्यक्तिगत लेन-देन को पूर्व अवधि का समायोजन लेखा के अंतर्गत दिखाया गया है।

2.11 चालू एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार योग्य लाभ पर विचार करने के उपरांत चालू कर के लिए प्रावधान बना है।

आस्थिगित कर को वर्ष के कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने की वजह से समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है और संभवत: एक या उससे अधिक वार आगामी अवधि में उल्टा हो जाता है (एएस 22 के अनुरूप)।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्ति को खराब के रूप में समझा गया जब परिसंपत्तियों को ढुलाई लागत उसकी वापसी योग्य कीमत से अधिक हो गया। हानि को वर्ष के लाभ-हानि खाता में दिखाया गया है जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रूप में चिह्नीत किया गया है। यदि वापसी योग्य कीमत का आकलन करने में परिवर्तन हुआ है तो लेखाकरण अवधि के पूर्व मान्यता दी गई हानि में उलट-फेर हुई है।

2.13 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां

विगत घटनाओं के फलस्वरूप जब वर्तमान दायित्व रहता है तब मापने में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधान को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि यह संसाधन से बाहर होगा। प्रासंगिक देयताओं को मान्यता दी गई है एवं उसे टिप्पणी में दिखाया गया है। प्रासंगिक परिसंपत्तियों को न तो माम्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणियों में दिखलाया गया है।



(राशि लाख में)

3(ए). : शेयर पूंजी

		31.03.2	2023 को		31.03.20)22 को
प्राधि	कृत					
	100 रु. के प्रत्येक इक्वीटी शेयर की 5,00,000 इक्वीटी शेयर		500	.00		500.00
			500	.00		500.00
जारी,	अभिदत्त एवं चुकता					
	100 रु. के प्रत्येक इक्वीटी शेयर की संपूर्ण चुकता 5,00,000 इक्वीटी शेयर		500	.00		500.00
			500	.00		500.00
(ए)	वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्वीटी शेयरों का समाधान					
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों	की सं.	राशि
	वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	5,00,000	500	.00 5,	00,000	500.00
	वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	- 1		-	-	-
	बाद : वर्ष के दौरान खरीदे गये शेयर	-		-	-	-
	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	5,00,000	500	.00 5,	00,000	500.00
(बी)	इक्वीटी शेयरों के साथ संलग्न नियम और अधिकार					
	कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी की इक्वीटी शेयर है जिसमें शेयर होल्डरों	शेयर होल्डर	31 मार्च,	2023 तक	31 मा	र्च, 2022 तक
	को शेयर के अनुरूप वोट देने का अधिकार है।	का नाम	, and the second			ŕ
	<u> </u>	·	शेयर की	होल्डिंग	शेयर व	ती होल्डिंग
(सी)	कंपनी में 5% शेयरों से अधिक रखने वाले शेयर होल्डरों का ब्यौरा	भारत के	सं.	का %	सं.	का %
		राष्ट्रपति	499998	99.99%	49999	99.99%



(राशि लाख में)

3(बी).: आरक्षित एवं अधिशेष

ब्योरा	31.03.2	023 को	31.03.20)22 को
अधिशेष				
विगत तुलन-पत्र के अनुसार	12,869.23		15,023.62	
योग : इस वर्ष का लाभ/(हानि)	1,000.60		(1,378.21)	
	13,869.83		13,645.41	
बाद : प्रदत्त लाभांश	-		776.18	
		13,869.83		12,869.23
शृद्ध अधिशेष		13,869.83		12,869.23

4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

ब्योंग	31.03.2023 को	31.03.2022 को
परियोजना निधि में जमा शेष राशि		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	83.97	80.32
बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	1.17	1.17
आई जे एस जी	13.98	13.95
भारत सरकार से रिबनर का विकास	138.06	132.10
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	2,257.13	2,167.74
अन्यान्य गैर-प्रचलित देयताएं		
बयाना राशि जमा	6.75	24.99
प्रतिभूति जमा राशि	2.42	16.55
व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता	152.65	119.64
ग्राहकों से अग्रिम	8.59	58.62
जेटीएम से अग्रिम	10.27	10.27
पायलट प्रोजेक्ट्स खाता	0.48	0.48
प्रोजेक्ट डेकोर्टिकेटर मशीन	10.88	10.88
प्रोजेक्ट संतृप्ति	48.39	48.39
कुल	2,734.74	2,685.10

5. दीर्घावधि प्रावधान

ब्योंग	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	251.68	308.27
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	713.23	556.69
कुल	964.91	864.96

6. अल्पावधि उधार

अन्य दीर्घावधि देयताएं	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भारतीय सेंट्रल बैंक से नकदी ऋण	1,478.85	0.02
पंजाब नेशनल बैंक से नकदी ऋण	1,366.59	-
कुल	2,845.44	0.02



(राशि लाख में)

7: व्यापारिक देय

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	8.58	66.19
स्र्क्षेम और लघुँ उद्यमों के ॲलावा अन्य की कुल बकाया राशि	1,067.27	874.46
कुल	1,076.25	940.65

7.1: व्यापारिक देय पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2023 को

ब्यौरा	भूगत	नान की देय तिथि	से निम्निटिखत	अवधि के लिए बव	ाया
6 द्यारा	१ वर्ष से कम	१-२ वर्ष	२-३ वर्ष	३ वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	7.92	1.06	-	-	8.98
अन्यान्य	945.82	112.59	4.11	4.75	1,067.27

7.2: व्यापारिक देय पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2022 को

	भूगत	नान की देय तिथि	से निम्नतिखित	अवधि के लिए बव	ा या
ब्योरा	१ वर्ष से कम	१-२ वर्ष	2-3 वर्ष	३ वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	65.87	0.32	-	-	66.19
अन्यान्य	858.53	4.43	-	11.50	874.46

8: अन्य चालू देयताएं

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सांविधिक बकाया		
पेंशन निधि देय	17.30	7.03
ईएसआई देय	0.91	0.78
भविष्य निधि देय	0.51	_
टीसीएस देय	3.69	0.09
टीडीएस देय	30.75	
प्रोफेशन टैक्स देय	0.42	0.36
जीएसटी देय	10.51	1.65
अन्य बकाया :		
बयाना राशि जमा	8.61	14.00
प्रतिभृति जमा राशि	292.85	251.43
प्रतिधारण राशि	98.04	83.19
व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता	359.35	
व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता परियोजना आई-केयर	951.15	1,078.28
ग्राहकों से अग्रिम	469.46	1 1
बैंक प्रभार देय	0.45	-
देय दावे	56.26	27.41
कुल	2,300.26	

9: अल्पावधि प्रावधान

ब्योरा	31.03.20)23 को	31.03.20)22 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान				
बोनस	21.63		22.15	
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	71.87		161.11	
ग्रैंच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	78.27		88.19	
		171.77		271.45
कुल		171.77		271.45



10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

										(राशि लाख में)
		क्टा	कूल ब्लॉक			भ <u>ू</u> टर	मूल्यहास		शूद्ध ब्लॉक	लॉक
			लोप,	2000000	000000	योग	त्रोप्	000000		
मूत पारसपात	31.03.2022	योग		31.03.2023	31.03.2022	वर्ष के	,	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2022
	[1	समायोजन	(a	લિણ	समायोजन	[[E	E
पट्टे पर परिसर	259.98	1	1	259.98	61.23	2.90	1	64.13	195.85	198.75
फर्नींचर एवं फिक्चर्स	42.86	0.43	8.14	35.15	40.48	0.45	8.14	32.79	2.36	2.38
कार्यालय का सामान	18.59	7.97	0.77	25.79	15.45	1.22	0.77	15.90	68.6	3.14
डीपीसी का सामान	17.92	4.09	0.20	21.81	9.97	0.61	0.20	10.38	11.43	7.95
कंप्यूटर	91.98	18.25	1.12	109.11	61.22	13.21	1.03	73.40	35.71	30.76
विद्युत संस्थापन	0.72	0.15	1	0.87	99.0	0.01	1	0.67	0.20	90.0
वातानुकूलित यंत्र	2.22	1	•	2.22	2.11	1	I	2.11	0.11	0.11
साइकिलें	1.16	1	1	1.16	1.16	'	1	1.16	ı	1
कुल(ए)	435.43	30.89	10.23	456.09	192.28	18.40	10.14	200.54	255.55	243.15
अमूर्त परिसंपत्ति										
कंप्यूटर साफ्टवेयर	5.58	ı	1	5.58	4.26	0.81	ı	5.07	0.51	1.32
वेबसाइट	1.15	1	•	1.15	0.29	0.23	I	0.52	0.63	0.86
ट्रेड मार्क	09.0	-	-	0.60	0.07	0.06	ı	0.13	0.47	0.52
कुल(बी)	7.33	ı	-	7.33	4.62	1.10	-	5.72	1.61	2.70
चालू वर्ष (ए+बी)	442.76	30.89	10.23	463.42	196.90	19.50	10.14	206.26	257.16	245.85
विगत वर्ष	447.65	30.43	35.32	442.76	211.88	19.48	34.46	196.90	245.85	235.76



(राशि लाख में)

11. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को	
प्रतिभूति जमा राशि			
असुरक्षित, खारा समझा गया	0.29		0.73
कुल	0.29		0.73

12. अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
अन्य पार्टियों को अग्रिम				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया	35.59		41.33	
असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया	0.69		1.97	
बाद : रखे गये प्रावधान	(0.69)	35.59	(1.97)	41.33
कुल		35.59		41.33

13. वस्तुसूची

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को	
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	8,531.12		53.07
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	7,277.99		228.30
जूट बीज	334.94		179.53
जूट विविध उत्पाद	33.88		33.09
कुल	16,177.93		493.99

14. व्यापारिक प्राप्य

ब्यौरा	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
छ: महीने से अधिक का बकाया				
असुरक्षित, खारा समझा गया	69.70		95.43	
असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया	3.69		3.73	
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	(3.69)	69.70	(3.73)	95.43
अन्यान्य		1,453.55		11.32
कुल		1,523.25		106.75

14.1: व्यापारिक प्राप्य पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2023 को

	भूगतान की देय तिथि से निम्नितिखित अविध के लिए बकाया				
ब्यौरा	६ महीने से कम	६ महीने - १ वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	३ वर्ष से अधिक
निर्विवाद खारा समझा गया	1,453.55	0.81	9.92	39.65	19.32
निर्विवाद संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	3.69



(राशि लाख में)

14.2: व्यापारिक प्राप्य पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2022 को

	भूगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				भ्रगतान की देय तिथि से निम्नतिखित अवधि के लिए ब		
ब्योरा	६ महीने से कम	६ महीने - १ वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	३ वर्ष से अधिक		
निर्विवाद खारा समझा गया	11.32	9.92	39.65	9.81	36.05		
निर्विवाद संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	3.73		

15. नकद एवं नकद के समतुल्य

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को	
नकद एवं नकद के समतुल्य	31.03.2023 4.1	31.03.2022 - 4.1	
बैंक में जमा शेष राशि:			
चालू खाते में	1,007.84	955.44	
बचत खाते में	384.66	1,474.82	
सावधि जमा खाते में	4,496.44	16,393.92	
हाथ में नकद	2.96	7.70	
कुल	5,891.89	18,831.88	

16. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2	.023 को	31.03.20	22 को
नकद या इसी प्रकार में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली				-
योग्य अग्रिम राशि				
स्टॉफ को अग्रिम		1.61		1.48
अन्य पार्टियों को अग्रिम				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया प्रीपेड खर्चे		11.43	-	9.25
		71.46		33.72
सीपीएफ ट्रस्ट को अग्रिम				172.99
जीएसटी प्राप्य		0.49		-
अग्रिम आयकर	8,600.97		8,548.83	
बाद : आयकर के लिए प्रावधान				
विगत लेखानुसार जमा शेष राशि	8,096.15		8,096.15	
वर्ष के दौरान योग	207.97		-	
		296.85	-	452.68
कुल		381.84		670.12

17. अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं	78.29	209.15
भारत सरकार से प्राप्ति योग्य आर्थिक सहायता	109.00	-
प्राप्ति योग्य बीमा दावे	7.96	9.50
कुल	195.25	218.65



(राशि लाख में)

18. परिचालन से राजस्व

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
विक्रय - मूल्य समर्थन	10,482.84	204.89
विक्रय - वाणिज्यिक	219.36	2,017.74
विक्रय - जूट विविध उत्पाद	143.18	87.61
विक्रय - जूट विविध उत्पाद (निर्यात)	0.65	24.73
विक्रय - जूट का पौधा	1.45	1.30
विक्रय - जूट बीज	509.09	798.67
बाद : दावे का भुगतान किया गया	(24.84)	(4.70)
	11,331.73	3,130.24
18.1 अन्य परिचालन वाले राजस्व		
भारत सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	2,900.00	2,454.00
कुल	14,231.73	5,584.24

19. अन्य आय

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
ब्याज आय	397.05	588.63
भाड़ा प्राप्त	1.91	-
ढुलाई लागत (मूल्य समर्थन)	7.62	3.48
देयता को अब लिखने की आवश्यकता नहीं	494.76	349.71
बीमा दावे	1.93	1.14
विविध आय	13.98	46.46
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	49.54	36.31
कुल	966.79	1,025.73



(राशि लाख में)

20. व्यापारिक वस्तुओं का लागत एवं प्रत्यक्ष खर्चे

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क्रय		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	16,528.00	26.27
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	7,745.14	708.82
जूट विविध उत्पाद	132.86	89.01
जूट का पौधा	0.50	0.45
जूट बीज	657.18	745.83
उप-कुल (ए)	25,063.68	1,570.38
प्रत्यक्ष खर्चे		
परिचालन खर्चे	628.50	22.88
कर एवं लेवी	206.48	83.20
उप-कुल (बी)	834.98	106.08
कुल	25,898.66	1,676.46

21. व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रारंभिक स्टॉक		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	53.07	146.82
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	228.30	1,124.52
जूट बीज	179.53	314.35
जूट विविध उत्पाद	33.09	35.30
कुल	493.99	1,620.99
अंतिम स्टॉक		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	8,531.12	53.07
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	7,277.99	228.30
जूट बीज	334.94	179.53
जूट विविध उत्पाद	33.88	33.09
कुल	16,177.93	493.99
शुद्ध (वृद्धि)/कमी	(15,683.94)	1,127.00



(राशि लाख में)

22. कर्मचारी लाभ खर्चे

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वेतन एवं भत्ते	1,231.86	1,234.26
मजदूरी	685.77	681.16
निदेशकों का पारिश्रमिक	77.75	68.21
बोनस	20.11	23.71
किराया आवासीय	2.32	4.50
पेंशन निधि में निगम का अंशदान	35.89	36.43
ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान	75.79	56.68
भविष्य निधि में निगम का अंशदान	97.32	102.56
ईएसआई में निगम का अंशदान	6.10	5.43
सटॉफ कल्याण खर्चे	27.87	31.53
सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने का लाभ	215.35	(134.15)
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	74.54	52.49
सीपीएफ का प्रशासनिक प्रभार	2.35	2.28
अवकाश यात्रा व्यय	4.07	5.49
कुल	2,557.09	2,170.58

23. वित्तीय लागत

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
नकद ऋण पर ब्याज	87.66	0.03
अन्यान्य	0.11	-
कुल	87.77	0.03

24. मूल्यहास एवं परिशोधन खर्चे

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
मूल्यहास	19.50	19.48
कुल	19.50	19.48



(राशि लाख में)

25. अन्य खर्चे

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
छपाई एवं लेखन सामग्री	11.78	10.75
विद्युत प्रभार	14.11	12.45
भाड़ा	14.20	20.05
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	186.52	144.45
मरम्मत एवं नवीनीकरण	40.86	44.44
कार्यालय का रख-रखाव खर्च	10.80	4.60
महसूल एवं कर	4.78	0.81
बीमा	59.46	42.18
जेडीपी के विकास खर्चे	24.85	-
क्लब खर्चे	2.93	-
भर्ती खर्च	81.36	-
यात्रा एवं यातायात	90.75	33.78
विधि एवं पेशेवर शुल्क	28.31	13.88
भाड़ा खर्चे	314.11	39.52
जीएसटी	4.69	3.08
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2.85	2.85
अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	1.58	1.77
दूरभाष एवं इंटरनेट प्रभार	14.07	11.72
डाक एवं कोरियर	1.21	0.83
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1.31	0.96
मनोरंजन खर्चे	0.54	0.89
सम्मेलन एवं बैठक खर्चे	16.80	5.06
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चे	41.13	27.30
विज्ञापन एवं प्रचार	6.98	3.52
कार खर्चे	55.83	39.89
अनुसंधान एवं विकास	-	4.00
बैंक प्रभार	1.84	0.62
कुल	1,033.65	469.40

26. विविध खर्चे

ब्यौरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
मानदेय एवं अन्य शुल्क	0.02	0.24
विविध जमा शेष राशि बहे खाते में	28.49	-
क्षे.का. खर्चे एवं प्र.का. खर्चे	64.15	49.42
सुरक्षा गार्ड खर्चे	5.53	1.57
कुल	98.19	51.23



31 मार्च, २०२३ को समाप्त वर्ष के लेखा की टिप्पणियां

27. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित प्रकटीकरण

i. ग्रेच्युटी (नियमित)

एलआईसीआई द्वारा की गई मांग के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता रु.60.90 लाख (विगत वर्ष रु.90.41 लाख) का भुगतान किया है।

ii. ग्रेच्युटी (आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट))

वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिंजेंट कर्मचारियों के लिए वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी देयता की जमा शेष राशि रु.329.96 लाख (विगत वर्ष रु.396.46 लाख) है। वास्तविक अंगीकार का आधार निम्न प्रकार हैं:

मूल्यांकन करने का आधार					
31.03.2023 31.03.2022					
छूट की दर प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि)	7.10 %	6.25 %			
वेतन में वृद्धि दर	14.00 %	14.00 %			
कर्मचारियों का कार्य जीवन अनुमानित औसतन रहेगा	20.65 वर्ष	20.29 वर्ष			

iii. छुट्टी भुनाने का लाभ

वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर्मचारियों के लिए वर्ष के अंत में छुट्टी भुनाने की देयता की जमा शेष रु.785.10 लाख (विगत वर्ष रु.717.80 लाख) है।

28. प्रासंगिक देयताएं

प्रासंगिक देयताओं (महत्वपूर्ण देयताओं को छोड़कर, यदि उसपर कुछ हो तो) को लेखा में नहीं दर्शाया गया है:

क्र. सं.	ब्यौरा	31.03.2023 (रु. लाख में)	31.03.2022 (रु. लाख में)
1.	निगम के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	1792.05	1777.09
2.	अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है।	1504.95	1504.95

अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है, में कंपनी द्वारा विवादित आयकर की मांग की कुल राशि रु.1504.95 लाख (विगत वर्ष रु.1504.95 लाख) शामिल है। यह मामला निर्धारण अधिकारी/ सीआईटी(ए)/आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष सुधार करने/ अपील के अधीन है एवं कंपनी अपने पक्ष में अपील का फैसला सुनने के लिए आशान्वित है।



29. सीएसआर खर्चे

कंपनी ने वर्ष के दौरान रु.41.13 लाख (विगत वर्ष रु.27.30 लाख) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए खर्च किया है जो कंपनी के सीएसआर की नीति के अनुरूप है और उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:

निगम उपरोक्त वित्तीय वर्ष के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15.67 लाख रुपये का संपूर्ण सीएसआर बजट खर्च करने में कामयाब रहा।

जैसाकि ऊपर बताया गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपूर्ण सीएसआर बजट खर्च करने के अलावा निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित राशियाँ भी खर्च की हैं:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर खर्चे - रु.24.46 लाख

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर खर्चे - रु.1.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अव्ययित सीएसआर बजट की राशि र्.26.87 लाख में से कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रु.24.46 लाख खर्च किया है। शेष अव्ययित राशि रु.2.41 लाख को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च करने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के अव्ययित सीएसआर बजट की राशि रु.2.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च करने की योजना बनाई गई है।

आज की तारीख में निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित अव्ययित राशियाँ खर्च करने की योजना बनाई है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए गणना की जाने वाली निगम के सीएसआर बजट के अतिरिक्त है।

2020-21 रु.2.00 लाख

2021-22 रु.2.41 लाख

30. परियोजनाओं से संबंधित प्रकटन

जूट प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु:

(रु. लाख में)

परियोजना का नाम		(३१ मार्च, २०२३ तक)				
		प्राप्त राशि	अर्जित ब्याज	संवितरण	बकाया शेष राशि	
(Ų)	जूट की गुणवत्ता में सुधार (रेटिंग टेक्नोलॉजी)	40.00	71.29	27.32	83.97	
		(40.00)	(66.87)	(26.55)	(80.32)	
(बी)	मैनुअल/पावर ड्राइवन रिबनर मशीन का विकास	34.00	119.97	15.91	138.06	
		(34.00)	(112.76)	(14.66)	(132.10)	



(सी)	बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग	9.00	-	7.83	1.17
		(9.00)	-	(7.83)	(1.17)
(डी)	जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	6005.00	2013.24	5761.11	2257.13
		(6005.00)	(1904.91)	(5742.17)	(2167.74)

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा हुआ है।

31. निदेशकों का परिश्रमिक नीचे समाविष्ट किया गया है जो लेखा से संबंधित शीर्षक के नामें हैं:

		31.03.2023 (रु. लाख में)	31.03.2022 (रु. लाख में)
ए.	वेतन	77.25	67.31
बी.	भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान	7.86	7.14
सी.	भाड़ा आवासीय	2.32	4.50
डी.	अन्यान्य	5.21	5.17
ई.	बैठक शुल्क	0.50	0.90
	कुल	93.14	85.02

32. निगम के प्रति शेयर उपार्जन को निम्न प्रकार से परिकलित किया गया है:

	31.03.2023	31.03.2022
	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)
वर्ष का (हानि)/लाभ	1000.60	(1378.21)
इक्वीटी शेयर की सं. का औसतन वजन	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर उपार्जन (मूल और मिश्रित) (रु. में)	200	(276)

33. आस्थगित कर

आस्थिगत कर परिसंपत्ति (डीटीए) – विगत वर्ष से डीटीए की समीक्षा को लाया गया है और चालू वर्ष में डीटीए को मान्यता दी गई है। लेखाकरण मानक-22 में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर डीटीए की वहन राशि की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है। यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि डीटीए को मान्यता दिया जाएगा और आगे लाया जाएगा, यदि पर्याप्त कर योग्य आय सही रूप में उचित हो जिसके विरूद्ध ऐसे डीटीए को वसूला जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप का संचालन करना है और यह कच्चे जूट के बाजार मूल्य की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यहां तक कि यदि एमएसपी क्रिया-कलाप होता है तो भी यह निश्चित नहीं है कि निगम एक सकारात्सक मार्जिन के साथ एमएसपी में शामिल लागत को वसूल करने में सक्ष्म होगा क्योंकि वह समय-समय पर लागू होने वाले



सरकारी निर्णय/नीति पर पूरी तरह निर्भर है। यद्यपि भारत सरकार सामान्य रूप से एमएसपी की कुछ लागत को पूरा करने के लिए निगम को प्रीफिक्सड वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रदान करता है लेकिन यह दोनों बुनियादी ढांचे की लागत एवं जूट की खरीद एवं संबंधित क्रिया-कलापों की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह सठीक रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होने का कोई उचित कारण नहीं है जो किसी भी पहले का और मान्यता प्राप्त डीटीए वसूला जा सके।

34. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन निम्न प्रकार हैं:

ब्यौरा	संबंधित पार्टी का नाम
	1. श्री अजय कुमार जॉली, (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक – 01.02.2022 से
	31.07.2022), (प्रबंध निदेशक – 01.08.2022 से)
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	2. श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त)
	3. श्री अभिक साहा, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक):

>>-0-0		राशि (रु. लाख में)		
लेन-देन की प्रवृत्ति	संबंध	2022-23	2021-22	
वेतन (मकान किराया सहित)				
श्री अजय कुमार जॉली	प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक -	47.90	43.38	
	01.02.2022 से 31.07.2022), (प्रबंध निदेशक –			
	01.08.2022 से)			
श्री अमिताभ सिन्हा	निदेशक(वित्त)	44.74	40.73	
श्री अभिक साहा	कंपनी सचिव	17.67	15.99	

35. व्यापार की गई सामानों से संबंधित सूचना

		2022-2023				2021-2022	2
	ब्यौरा	गांठ	विवं.	राशि (रु. लाख में)	गांठ	विवं.	राशि (रु. ताख में)
(y)	क्रय						
	कच्चा जूट	2,86,140	5,15,052	24273.14	7,191	12,944	735.09
	जूट बीज		6082	657.18		6,171.95	745.83
	विविध जूट उत्पाद			132.86			89.01
	जूट का पौधा			0.50			0.45



		2,86,140	5,21,134	25063.68	7,191	19,115.95	1570.38
(बी)	विक्रय						
	कच्चा जूट	1,07,493	1,93,488	10677.36	17,008	30,615	2217.93
	जूट बीज		4517.99	509.09		6,572.34	798.67
	विविध जूट उत्पाद			143.83			112.34
	जूट का पौधा			1.45			1.30
		1,07,493	1,98,005.99	11331.73	17,008	37,187.34	3130.24
(सी)	प्रारंभिक स्टॉक						
	कच्चा जूट	2,894	5,210	281.37	12,711	22,881	1271.35
	जूट बीज		2,457.33	179.53		2,857.72	314.34
	विविध जूट उत्पाद			33.09			35.30
		2,894	7,667.33	493.99	12,711	25,738.72	1620.99
(डी)	अंतिम स्टॉक						
	कच्चा जूट	1,81,541	3,26,774	15809.11	2,894	5,210	281.37
	जूट बीज		4021.34	334.94		2,457.33	179.53
	विविध जूट उत्पाद			33.88			33.09
		1,81,541	3,30,795.34	16177.93	2,894	7,667.33	493.99
(ई)	कच्चे जूट के वजन में (कमी)/वृद्धि	1010	1818		(552)	(993)	

लेखा में स्टॉक की मात्रा को 180 कि.ग्रा. प्रति गांठ में दर्शाया गया है.

- अन्य पार्टियों को अग्रिम में पार्टियों से प्राप्य रु.3.78 लाख को शामिल किया गया है जिसका साफ्टवेयर की त्रुटि की वजह से वित्तीय 36. वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक/त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ था। अभी रु.0.54 लाख की वसूली हुई है एवं 15.09.2023 तक रु.3.24 लाख बकाया है।
- नीचे उल्लिखित निम्नलिखित अनुपात को लेखा टिप्पणी में संलग्न किया गया है। **37.**
 - (ए) चालू अनुपात

- (बी) ऋण-इक्विटी अनुपात
- (सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात

- (डी) इक्विटी अनुपात पर वापसी
- अनुपात
- वस्तुसूची के कुल कारोबार का (एफ) प्राप्य व्यापार के कुल कारोबार का अनुपात
- (जी) देय व्यापार के कुल कारोबार का अनुपात
- (एच) शुद्ध पूंजी के कुल कारोबार का (आई) शुद्ध लाभ का अनुपात अनुपात

- (जे) नियोजित पूंजी पर रिटर्न संलग्न संलग्नक के अनुसार
- (के) निवेश पर रिटर्न

संलग्न संलग्नक के अनुसार

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से खरीदे गए कुल प्रमाणित जूट बीज में से 97.97 मीट्रिक टन को अगस्त 2021 में पुनर्वेधीकरण के लिए भेजा गया था। 97.97 मीट्रिक टन जूट बीज में से 78.30 मीट्रिक टन जूट बीज को पुनर्वेध किया गया था



और शेष 19.67 मीट्रिक टन जूट बीज को वैध नहीं किया गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 78.30 मीट्रिक टन पुनवैंध जूट बीज नहीं बेचे जा सके। यह ध्यान में रखते हुए कि इसे दोबारा वैध नहीं किया जा सकता है और बेचा नहीं जा सकता है इसलिए अविशष्ट मूल्य के रूप में कुल 97.97 मीट्रिक टन जूट बीज के मूल्य रु.3.92 लाख (रु.4/- प्रति किलो के हिसाब से) को लेखा बही दर्शाया गया है।

39. रिपोर्टिंग अविध की समाप्ति पर लाभांश को मान्यता नहीं दी गई है:

निदेशकगण ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को 143.70 रु. प्रति शेयर (विगत वर्ष शून्य) के हिसाब से लाभांश की संस्तुति की है। लाभांश के रूप में कुल जाने वाली राशि 718.50 लाख रुपये (विगत वर्ष शून्य) होगा। आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होने पर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

- 40. जहां भी जरूरत पड़ा है वहां विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष के आंकडे हैं।
- 41. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के आवश्यकतानुसार दी जानेवाली अपेक्षित अन्य सूचना को शून्य पढ़ा जाए।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.

कृते एवं बोर्ड की ओर से

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या:324892ई

(सौमित्र घोष)	(अभिक साहा)	(अमिताभ सिन्हा)	(अजय कुमार जॉली)
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं.055467)		डीआईएन : 09022866	डीआईएन : 08427305

स्थान : कोलकाता तिथि : 28.09.2023



(राशि लाख में)

अनुपात विश्लेषण

अनुपात विश्लेषण	श्लेषण	अंश	साश रु. में	साश रु. में	भाजक	साशि रु. में	साशिष्ठ. में	31.03.2023	31.03.2022	अभ्यूक्ति
चाल अनपात		चाल पश्सिपनियां	67-7707	77-1707	चाल देयताएं	67-7707	77-1707			
9					-6					
	10	वस्तुसूची	16177.93	493.99	वस्तुओं और सेवाओं के लिए लेनदार	1076.25	940.65			
	-	विविध देनदार	1523.25	106.75	नकद उधार	2845.44	0.02			
		नकद एवं नकद समतुल्य	5891.90	18831.88	अल्पावधि प्रावधान	171.77	271.45			
	JA	ऋण एवं अग्रिम	381.84	670.12	कोई अन्य चालू देयताएं	2300.26	2477.89			
	19	अन्य चालू परिसंपत्तियां	195.25	218.85						
			24170.17	20321.39		6393.72	3690.01	3.78	5.51	कच्चे जूट की एमएसपी पर खरीद
										के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में नकद
										ऋण सुविधा का लाभ उठाने के काग्ण वर्तमान देयनाएं बह गई हैं।
ऋण इकिवटी अनुपात		कल देयताएं			शेयरधारकों की इक्विटी					**
1	,	कुल बाहरी देयताएं	10093.38	7240.07	कुल शेयरधारकों की इक्विटी	14369.83	13369.23	0.70	0.54	कच्चे जूट की एमएसपी पर खरीद
		,			,					के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में नकद
										ऋण सुविधा का लाभ उठाने के
,	\rightarrow	Ç								कारण बाहरी देयताएँ बढ़ गई है।
ऋण सेवा कवरज अनुपात	\neg	गुद्ध प्रारमिक आय		,	ऋण सेवा			è	è	
(भारतीय लेखा मानक		कर के उपरांत शुद्ध लाभ+		,-	वतेमान ऋण का दायित्व (ब्याज			लागू नहीं	लागू नहीं	
कंपनियों के लिए अन्य		गैर-नकद परिचालन व्यय			और लीज का भुगतान+ मूलधन					
व्यापक आय से पहले लाभ)		जैसे मूल्यहास और अन्य		,-	की चुकौती)।					
	Ь	परिशोधन+ब्याज+अन्य								
	H	समायोजन जैसे अचल								
	Р 1	परिसंपत्तियों की बिक्री पर								
दिखेतरी के अनुपान पर	T	हानि आदि। हम्म अद्यक्षि के लिए लाध			औसतम शेरारधारकों की					
श्राचन्या ना राष्ट्रान रिटर्न					इक्विटी					
	10	कर के उपरांत शुद्ध लाभ -	1000.60	-1378.21	(प्रारंभिक शेयरधारकों की	13869.53	14446.42	0.07	(0.10)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान
	10	वरीयता लाभांश (यदि कुद हो)			इक्विटी+अंतिम शेयरधारकों की					असाधारण मदों को बट्टे खाते में
					इक्विटी) ÷ 2					डालने के कारण निगम को घाटा हुआ
										और वित्तीय वर्ष 22-23 में निगम ने
										लाभ अर्जित किया है।
वस्तुसूची के कुल कारोबार का अनपात		बेचे गए सामान की लागत		·	औसतन वस्तुसूची					
7		(प्रारंभिक स्टॉक+खरीद) - अंग्रिस स्टॉक	10214.72	2803.46	(प्रारंभिक स्टॉक+अंतिम स्टॉक)/2	8335.96	1057.49	1.23	2.65	31.03.23 को अंतिम स्टॉक में वृद्धि ने ननमा
	9	भावम स्टाक								क कार्या



अनुपात विश्लेषण

					5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	_				(राशि लाख में)
	अनुपात विश्लेषण	अंश	साशि रु. में 2022-23	राशि रु. में 2021-22	भाजक	राशि रु. में 2022-23	राशि रु. में 2021-22	31.03.2023	31.03.2022	अभ्यक्ति
9	व्यापार प्राप्य के कुल	गुद्ध विक्रय			औसतन व्यापार प्राप्ति योग्य					
	काराबार का अनुवाद	शुद्ध विक्रय	11331.73	3130.24	(प्रारंभिक व्यापार प्राप्ति	815.00	441.00	13.90	7.10	मार्च 2023 के अंतिम पखवाड़े में
		,			योग्य+अंतिम व्यापार प्राप्ति					पर्याप्त क्रेडिट बिक्री (एल/सी के
					योग्य) / 2					अंतर्गत) के कारण।
7		कुल क्रय			औसतन व्यापार देय					
	काराबार का अनुपात	वार्षिक शुद्ध क्रेडिट क्रय	25063.68	1570.38	(प्रारंभिक व्यापार देय+अंतिम	1008.45	978.63	24.85	1.60	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान
)			व्यापार देय) / 2					कच्चे जूट की खरीद और
										ऋणदाताओं को उसपर भुगतान में
										वृद्धि के कारण।
∞	शुद्ध पूंजी के कुल कारोबार का अनुपात	शुद्ध विक्रय			औसतन कार्यकारी पूंजी					
	,	कुल विक्रय - बिक्री रिटर्न	11331.73	3130.24	3130.24 चालू परिसंपत्तियां - चालू देयताएं	17776.45	16631.37	0.64	0.19	
										तुलना में वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल
					4					कारोबार में पर्याप्त वृद्धि के कारणा
6	शुद्ध लाभ का अनुपात	शुद्ध लाभ			शुद्ध विक्रय					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		कर के उपरांत लाभ	1000.60	-1378.21	विक्रय	11331.73	3130.24	0.09	(0.44)	वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान
										असाधारण मदों को बट्टे खाते में
										डालने के कारण निगम को घाटा
,	4	c c								हुआ
2	ानथा।जत पूजा पर ारटन	इबाआइटा त्याच गर्ने का में गरले लाध	1275 27	1379 19	नियाजितं पुजा निमिन्न मन्त्री — मर्ने घाट	24463.20	20600 20	20.0	(20 0)	विचीम दार्ष २१ २२ के द्रीमन
				01:0/61-	मन्य+कल ऋण+आम्थ्रीत	04:001-14	00.0007	9.5	(10:0)	
					कर देयता					डालने के कारण निगम को घाटा
										हुआ
==	निवेश पर रिटर्न	ईबीआईटी	1275.37	-1378.18	अचल परिसंपत्तियों में निवेश	257.16	245.85	4.96	(5.61)	l '
										असाधारण मदों को बट्टे खाते में
										डालने के कारण निगम को घाटा
										हुआ



अंतर्देशीय कच्चा जूट - मूल्य समर्थन

	2022-2023		202	1-2022
	गांठ	रु. लाख में	गांठ	रू. लाख में
आय				
विक्रय	1,05,624	10,458.51	1,598	204.46
ढुलाई खर्च		7.62		3.48
देयता अब बट्टे खाते में आवश्यक नहीं		494.76		349.71
ब्याज आय		397.05		587.82
बीमा दावे		1.93		1.14
विविध आय		13.98		46.45
भाड़ा प्राप्त		1.91		-
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)		31.81		32.45
सरकार से अनुदान/आर्थिक सहायता		2,900.00		2454.00
बंधे वजन में कमी	-	-	114	-
अंतिम स्टॉक	1,04,563	8,531.12	702	53.07
शुद्ध हानि		_		1,549.44
	2,10,187	22,838.68	2,414	5,282.02
व्यय		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
प्रारंभिक स्टॉक	702	53.07	2,084	146.82
क्रय	2,08,990	16,528.00	330	26.27
कर एवं लेवी		140.60		2.97
भाड़ा प्राप्त		305.50		1.16
परिचालन खर्चे		427.62		0.67
कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान		2,557.09		2,170.59
अन्य प्रशासनिक खर्चे		542.21		269.68
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार		87.77		0.03
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण		186.52		164.51
बीमा		31.35		2.76
मूल्यहास		19.50		19.48
जीएसटी		4.69		3.08
बट्टे पर अनुदान/आर्थिक सहायता		_		2,474.00
बंधे वजन में वृद्धि	495	-	-	-
शुद्ध लाभ		1,954.77		-
	2,10,187	22,838.68	2,414	5,282.02



अंतर्देशीय कच्चा जूट - वाणिज्यिक

	2022-2023		202	1-2022
	गांठ	रू. लाख में	गांठ	रु. लाख में
आय				
विक्रय	1,869	218.85	14,858	2,013.47
बीमा दावे		-		-
बंधे वजन में कमी	-	-	438	-
अंतिम स्टॉक	76,978	7,277.99	2,192	228.30
शुद्ध हानि		776.01		-
	78,847	8,272.85	17,488	2,241.78
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	2,192	228.30	10,627	1,124.52
क्रय	76,140	7,745.13	6,861	708.82
अंतर्देशीय कच्चा जूट मूल्य समर्थन से स्थानांतरण	-	-	-	-
कर एवं लेवी		65.89		80.22
भाड़ा		6.39		31.40
परिचालन खर्चे		200.38		18.08
बीमा		26.75		27.13
बंधे वजन में वृद्धि	515	-	-	-
शुद्ध लाभ		-		251.59
	78,847	8,272.85	17,488	2,241.78



जूट बीज

	20	22-2023	2021	1-2022
	विवं.	रू. लाख में	विवं.	रू. लाख में
आय				
विक्रय	4,518	509.09	6,573	798.67
सेवा प्रभार		17.74		3.86
अंतिम स्टॉक	4,021	334.94	2,457	179.53
शुद्ध हानि		_		88.89
	8,539	861.77	9,030	1,070.95
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	2,457	179.53	2,858	314.35
क्रय	6,082	657.18	6,172	745.83
जूट बीज की हैंडलिंग		0.50		0.01
भोंड़ा		0.22		-
बीमा		1.23		10.76
शुद्ध लाभ		23.11		
	8,539	861.77	9,030	1,070.95

विविध जूट उत्पाद

	2022-2023	2021-2022
		रू. लाख में
आय		
विक्रय	145.28	113.64
<u>ब्या</u> ज	-	0.81
अंतिम स्टॉक	33.88	33.09
	14.27	-
शुद्ध हानि	193.43	147.53
व्यय		
क्रय	133.36	89.46
प्रारंभिक स्टॉक	33.09	35.29
परिचालन खर्चे	-	4.12
भाड़ा	2.00	6.95
जेडीपी का विकास एवं अन्य खर्चे	24.85	0.80
बैंक प्रभार	-	0.17
बीमा	0.12	1.53
भाड़ा एवं रख-रखाव	-	0.69
	-	8.53
शुद्ध लाभ		
	193.43	147.53

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

15N, Nellie Sengupta Sarani, Kolkata-700 087

52nd ANNUAL REPORT

CONTENTS



AMERICAN STATES	1.	Vision & Mission	2		
	2.	Board of Directors	3		
	3.	Notice	5		
	4.	From the Desk of the Managing Director	6		
	5.	Director's Report	10		
	6.	Five Years Performance Trend	39		
	7.	Field Offices	41		
	8.	Auditors' Report	42		
	9.	Comments of the CAG on the Accounts			
	10.	Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash Flow Statement, Notes to Accounts forming part of Balance Sheet and Profit and Loss Account			
	11.	Trade Accounts :			
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		i Internal Raw Jute - Price Support	84		
		ii Internal Raw Jute - Commercial	85		
		iii Jute Seed	86		
10000		iv Diversified jute Products (Sonali)	86		













Vision

To be the spearhead in raw jute sector, to promote the interest of growers in particular and economy at large and to cater to National and international markets, with special focus on development of diversified jute business activity, which is environment friendly with the twin motives of self-Reliance and sustainable profitability.

Mission

- Implementation of the policy of the Government of India for providing Minimum Support Price (MSP) to the jute/mesta growers of the country.
- Serving as a price stabilising agency in the raw jute sector and taking the necessary measures in this respect.
- Undertaking various extension measures for implementation of different jute related projects.





THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

15N, Nellie Sengupta Sarani, Kolkata-700 087

BOARD OF DIRECTORS

1.	SRI A.K. JOLLY	:	MANAGING DIRECTOR (01.02.2019)	
2.	SRI GAURAV KUMAR	:	ECONOMIC ADVISOR, MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI, GOVT. NOMINEE DIRECTOR (08.12.2020)	
3.	SRI PURNESH GURURANI	:	DIRECTOR(JUTE), MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI, GOVT. NOMINEE DIRECTOR (22.06.2023)	
4.	SRI AMITAVA SINHA	:	DIRECTOR(FINANCE) (10.12.2020)	
5.	MS. PRAJAKTA L VERMA	:	JOINT SECRETARY, MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI, GOVT. NOMINEE DIRECTOR (15.07.2022 TO 22.06.2023)	
6.	SMT. PUJA VIDHANI		NON-OFFICIAL INDEPENDENT DIRECTOR (19.02.2020 TO 18.02.2023)	
7.	SRI SANJAY SHARAN	:	JOINT SECRETARY, MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI GOVT. NOMINEE DIRECTOR (14.02.2019 – 15.07.2022)	
		A	UDIT COMMITTEE	
1.	SRI GAURAV KUMAR	:	ECONOMIC ADVISOR, MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI, GOVT. NOMINEE DIRECTOR (08.12.2020), CHAIRMAN	
2.	SRI PURNESH GURURANI	:	DIRECTOR(JUTE), MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI, GOVT. NOMINEE DIRECTOR (22.06.2023), MEMBER	
3.	SRI A.K. JOLLY	:	MANAGING DIRECTOR (01.02.2019), MEMBER	
4.	MS. PRAJAKTA L VERMA		JOINT SECRETARY, MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI, GOVT. NOMINEE DIRECTOR (15.07.2022 TO 22.06.2023), MEMBER	
5.	SMT. PUJA VIDHANI	:	NON-OFFICIAL INDEPENDENT DIRECTOR (19.02.2020-18.02.2023), CHAIRPESON	
6.	SRI SANJAY SHARAN	:	JOINT SECRETARY, MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI (14.02.2019-15.07.2022), MEMBER	
		(CSR COMMITTEE	
1.	SRI GAURAV KUMAR	:	: ECONOMIC ADVISOR, MINISTRY OF TEXTILES, NEW DELHI, GOV NOMINEE DIRECTOR (08.12.2020), CHAIRMAN	
2.	SRI A.K. JOLLY	:	MANAGING DIRECTOR (01.02.2019), MEMBER	
3.	SRI AMITAVA SINHA	:	DIRECTOR(FINANCE) (10.12.2020), MEMBER	
4.	SMT. PUJA VIDHANI	:	NON-OFFICIAL INDEPENDENT DIRECTOR (19.02.2020-18.02.2023), CHAIRPERSON	
5.	Dr. S.K. PANDA	:	NON-OFFICIAL INDEPENDENT DIRECTOR (09.08.2018 TO 08.08.2021),	
SR	I A. SAHA	:	COMPANY SECRETARY (03.08.2016)	
AUI	DITORS	:	M/S. S.K. MALLICK & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS, BIKANER BUILDINGS (1ST FLOOR), 8-B, LALBAZAR STREET KOLKATA-700 001 WEST BENGAL, INDIA	
RE	GISTERED OFFICE	:	15N, NELLIE SENGUPTA SARANI, KOLKATA – 700 087. Website: www.jutecorp.in, E.mail: jci@jcimail.in	





SRI A.K. JOLLY Managing Director



SRI GAURAV KUMAR
Economic Advisor,
Ministry of Textiles
Govt. Nominee Director



SHRI PURNESH GURURANI
Director (Jute)
Ministry of Textiles
Govt. Nominee Director



SRI AMITAVA SINHA Director (Finance)



Dated: 16.11.2023

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED (A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE) 15N, NELLIE SENGUPTA SARANI, KOLKATA – 700 087.

No. No. JCI/52ndAGM/Sectt./2023-24

NOTICE OF THE 52nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Fifty Second Annual General Meeting of The Jute Corporation of India Limited will be held on Thursday, the 23rd of November, 2023, at 5.00 p.m at the Registered Office of the Corporation, 15N, Nellie Sengupta Sarani, Kolkata – 700 087, through Video conferencing, to transact the following business:

ORDINARYBUSINESS:

- 1. To consider and adopt the Financial Statements for the year ended 31stMarch, 2023 together with the Reports of Auditors and Directors thereon.
- 2. To note the appointment and to fix the remuneration of the Statutory Auditors.

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification the following Resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED

That pursuant to Section 139 of the Companies Act, 2013 ("The Act") M/s. J.K.V.S & CO, Chartered Accountants, has been appointed as the Statutory Auditors of the Corporation for the year 2023-24 by the Comptroller & Auditor General of India, Under Section 142 of the Act the Board of Directors of the Corporation be and are hereby authorized to fix the remuneration, out of pocket expenses, Statutory Taxes and other ancillary expenses of the auditors for the Financial Year 2023-24".

3. To declare a dividend of Rs.143.70 per share for the year ended 31stMarch, 2023.

By Order of the Board of Directors

(Avik Saha)
Company Secretary

Registered Office:

15N, Nellie Sengupta Sarani,

Kolkata - 700 087.

Note:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE FIFTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING MAY APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS BEHALF (SECTION 105). A PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE CORPORATION. A BLANK FORM OF PROXY IS ENCLOSED WHICH, IF USED, SHOULD BE RETURNED TO THE CORPORATION DULY COMPLETED NOT LATER THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING.



From the desk of the Managing Director

Dear Members,

It is my privilege to welcome you all on the occasion of the 52nd Annual General Meeting of your Corporation. I thank you all for making time to attend the 52nd AGM of your Corporation.

On behalf of the Board of Directors, I present the salient features of the performance of your Corporation during the F.Y 2022-23 along-with the Auditors Report and Audited Accounts for the year ended 31st March, 2023, and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon: :

FINANCIAL RESULTS:

During the Financial Year 2022-23, your Corporation earned a Net Profit of Rs.1000 lakhs. This is mainly due to occurrence of MSP leading to higher sales volume than previous year.

MARKET OUTLOOK

The crop year 2022-23 began with a carryover of 19.00 lakh bales from 2021-22. The forecast for total production of raw jute was 95 lakh bales (180 kgs. each) based on the jute crop estimates by the Expert Committee on Jute (ECJ). The increase in the Minimum Support Price (MSP) was by Rs.250/- (Rs.4500 – Rs.4750/-), as declared by the Govt. of India. The actual production stood at 91 lakh bales as against the actual production of 90 lakh bales for the year 2021-22. Import from Bangladesh was about 6.00 lakh bales. Out of this, the actual mill consumption was 76 lakh bales against estimated mill consumption 70 lakh bales. The domestic consumption stood at 15 lakh bales against the estimated consumption of 12 lakh bales. There was also exports amounting to 2.00 lakh bales. The carry forward for the crop year 2023-24 is 23.00 lakh bales. The crop price ruled at MSP during most of the crop year. As a result, there was a procurement of around 4.24 lakh quintals under MSP during the subject crop year. In addition, your Corporation also procured about 1.37 lakh quintals of raw jute under commercial operations.

During the ensuing crop year 2023-24, though there is a marginal decrease in the area under cultivation of raw jute, favourable weather conditions will make-up for such decrease and a robust harvest of raw jute crop can be expected.

MINIMUM SUPPORT PRICE OPERATION

The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture & Cooperation, Govt. of India, recommended the Minimum Support Price (MSP) for TD-3 (in lieu of TD5) all India basis which was accepted by the Government of India to Rs.4750/- per quintal for the crop year 2022-23. This MSP was higher by Rs.250/- per quintal than MSP of the crop year 2021-22. The Office of the Jute Commissioner, in turn, fixed the MSP of different varieties and grades of raw jute, based on the declared MSP.

Your Corporation procured 373984 antls. of raw jute under MSP operations in the F.Y 2022-23.



MoU FOR 2022-23

As informed by the Ministry of Textiles, the Inter-Ministerial Committee (IMC) in a Meeting held on 19.10.2022 observed that the principal mandate of JCI is price support operations for the economic support and welfare of jute farmers. Therefore, the IMC has decided to exempt your Corporation from the MoU process.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

Your Corporation discharges obligations under CSR activities in pursuance of Section 135 of the Companies Act. 2013 as it satisfies the conditions mentioned therein for compulsorily carrying out CSR activities. While determining the activities to be taken up under its CSR plan, your Corporation adheres to the guidelines on Corporate Social Responsibility (CSR) for Central Public Sector Enterprises (CPSE) issued by the Department of Public Enterprises, from time to time.

Your Corporation has constituted a CSR committee in compliance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, consisting of Smt. Puja Vidhani, Non-Official Independent Director as the Chairperson of the Committee, Sri Gaurav Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, Sri Ajay Kumar Jolly, MD, JCI and Sri Amitava Sinha, Director (Finance), JCI as its members.

During the Financial Year 2022-23, your Corporation had to spend an amount of Rs.15.67 lakh as per calculation in compliance with Section 135 of the Companies Act. 2013. The proposed activities within the given budget, as recommended by the CSR Committee and subsequently approved by the Board for the F.Y. 2022-23 are as under:

SL. NO.	ITEM	ACTIVITY	FUND RELEASED
1.	Contribution to Govt. / District hospitals in pursuance of Office Memorandum from DPE regarding "Alignment of CSR expenditure of CPSEs with National Priorities" approving 'Health and Nutrition' as common theme for CSR activities	of Health Services, Guwahati, Assam for National Blindness Control programme for purchase of 1 USG machine and 3 Nos. Cataract Instrument	Rs.3,00,000/-
	by CPSEs during the F.Y 2022-23 Budget : Rs. 13,17,000/-	Contribution to CHC Hospital, Barchana, Jajpur District, Odisha for purchase of one Diesel Generator & one water cooler purifier Aquaguard	Rs.6,23,990/-
		Contribution to the J.C. Bose General Hospital under the management of Cantonment Board, Barrackpore, Ministry of Defence, Govt. of India. For purchase of one patient ventilator	Rs.3,93,010/-



SL. NO	ITEM	ACTIVITY	FUND RELEASED
2.	Contribution for welfare Armed Forces Budget: Rs.2,50,000/-	Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) for the Welfare of Veterans, Widows and their Dependents	Rs.2,00,000/-
		7th ADM Adhar Kumar Chatterji Memorial Lecture Navy Foundation, Kolkata Chapter	Rs.50,000/-
	Total Budget : Rs.15,67,000/-		Rs.15,67,000/-

The entire budget allocated for CSR activities for the F.Y 2022-23 has been spent during the subject financial year.

CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation follows the existing Corporate Governance practices based on Companies Act, 2013 as well as the latest Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises, which are mandatory in nature, as your Corporation is a CPSE.A detailed report on Corporate Governance is given in the Director's Report.

Your Corporation is consistently making efforts to improve the Corporate Governance practices for utmost transparency and accountability in its operations, specifically keeping in mind the requirements of the new Companies Act, under which the concept of Corporate Governance has been elevated to a new level of importance and significance altogether. The President of India has appointed Independent Directors on the Board of the Corporation whose able guidance has helped the Corporation in strengthening its Corporate Governance practices in a more professional and forward looking manner and lent more objectivity in its decision making.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The Human Resource Department of your Corporation plays a key role in recruitment, placement, orientation and training etc. of the manpower of the Corporation. The success of your Corporation in its various endeavors including the all-important MSP operations, is very much dependent on the efficiency of the Human Resource Department. The Human Resource Department makes every effort to upgrade the knowledge and skill of the manpower of your Corporation by arranging workshops, trainings, seminars etc. on various topics. During the year under reviewed also the HR department had organized many such programmes on diverse topics like Remapping Organisational Boundaries: Role of HR, Contract Management, Dispute Resolution and Arbitration, Objective Quality Evaluation of Jute and Other Lignocellulosic Fibres, Workshop On Writing Effective Learning Objectives, Training on Pension and Other Retirement Benefits, Domestic & International Arbitration, Mindfulness, Workshop on GeM and CPPP Portal, Preventive Vigilance, N+(Basic Networking) and CISCO Certified Network Associate (200-301), Leading Effectively without Undue Stress and Anxiety and Remaining



Energy Surplus in face of Stretched Demands / Challenges and POSH

During the year, the Industrial Relations in your Corporation remained cordial.

LOOKING AHEAD

Your Corporation is constantly making efforts to diversify its activities as well as modernize them to keep up with the changing needs of the ever changing world.

It has taken up a number of projects which are expected to be fructified in the next few years and has the potential to take your Corporation to the next level. Projects like Implementation of Block Chain Technology in the raw jute supply chain, Provision of e-auction platform for trading of raw jute, Developing of Operational Software, Implementation of e-office, HRMS etc. have the promise of bringing about a new change in your Corporation as well as the jute industry in general. Your Corporation's project of distribution of aluminum coated eco-friendly jute bags at Tirupati Tirumala Devasthanam (TTD) has stabilized and is expected to improve further in times to come.

Your Corporation is continuing with the commercial distribution of certified jute seeds as a part of its alternate revenue generation plan.

The business of geo-textiles and agro-textiles and the e-commerce platform are also expected to bear fruits in coming days.

Your Corporation continues to discharge the responsibilities of Implementing Agency of the coveted Jute I-CARE Project of NJB in the interest jute farmers in particular and jute economy in general.

Your Corporation had participated in the Autumn Fair—2022 at NEC, Birmingham organized by the National Jute Board under the Export Market Promotion Activities (EMPA) Scheme and has already received a few business leads.

I am quite optimistic that in the environment of positivity all around the new India wave your Corporation will definitely live up to the expectations of the stakeholders including the all-important jute farmers and continue to serve the nation for many more years

ACKNOWLEDGEMENTS:

I express my gratitude to the Ministry of Textiles, Office of the Jute Commissioner, National Jute Board and Officials of all other jute related bodies for their unstinted support and patronage for the activities of your Corporation.

(Ajay Kumar Jolly)
Managing Director



Directors' Report for the year 2022-23

Dear Shareholders,

I feel privileged to welcome you all on the occasion of the 52nd Annual General Meeting of your Corporation. I present on behalf of the Board of Directors, the 52nd Annual Report on the performance of your Corporation, together with the Auditors Report and Audited Accounts for the year 31st March, 2023, and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

The significant points pertaining to the workings of your Corporation during the aforementioned period are being illustrated below:

1. RAW JUTE DEMAND - SUPPLY SCENARIO

The crop year 2022-23 began with a carryover of 19.00 lakh bales from 2021-22. The forecast for total production of raw jute was 95 lakh bales (180 kgs. each) based on the jute crop estimates by the Expert Committee on Jute (ECJ). The increase in the Minimum Support Price (MSP) was by Rs.250/- (Rs.4500 – Rs.4750/-), as declared by the Govt. of India. The actual production stood at 91 lakh bales as against the actual production of 90 lakh bales for the year 2021-22. Import from Bangladesh was about 6.00 lakh bales. Out of this, the actual mill consumption was 76 lakh bales against estimated mill consumption 70 lakh bales. The domestic consumption stood at 15 lakh bales against the estimated consumption of 12 lakh bales. There was also exports amounting to 2.00 lakh bales. The carry forward for the crop year 2023-24 is 23.00 lakh bales. The crop price ruled at MSP during most of the crop year. As a result, there was a procurement of around 4.24 lakh quintals under MSP during the subject crop year. In addition, your Corporation also procured about 1.37 lakh quintals of raw jute under commercial operations.

During the ensuing crop year 2023-24, though there is a marginal decrease in the area under cultivation of raw jute, favourable weather conditions will make-up for such decrease and a robust harvest of raw jute crop can be expected.

2. REVIEW OF OPERATION

2.1 Minimum Support Price Operation

The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture & Co-operation, Govt. of India, recommended the Minimum Support Price (MSP) for TD-3 (in lieu of TD5) all India basis which was accepted by the Government of India to Rs.4750/per quintal for the crop year 2022-23. This MSP was higher by Rs.250/- per quintal than MSP of the crop year 2021-22. The Office of the Jute Commissioner, in turn, fixed the MSP of different varieties and grades of raw jute, based on the declared MSP.



A summary of the Financial Position of MSP Operation for the year 2022-23 as per Annual Accounts as on 31st March, 2023 is as under:-

Purchase Quantity	Purchase Value
(In Qtls)	(Rs. in lakh)
373984.28	16490.40

2.2 Commercial Operation:

A summary of the Financial Position of Commercial Operation for the year 2022-23 as per Annual Accounts as on 31st March, 2023 is as under:-

Purchase Quantity	Purchase Value
(In Qtls)	(Rs. in lakh)
136813.52	7730.97

3. FINANCIAL REVIEW

- 3.1. During the year under review, your Corporation procured around 3.74 lakh qtls. of raw jute under MSP Operation and 1.37 lakh Qtls. under Commercial Operations.
- 3.2. The total turnover of your Corporation during 2022-23 was Rs. 15,198.52 lakh. The Operating result shows a Net Profit of Rs.1000.60 lakh after charging all Overhead Cost, Rent, Insurance, Interest, Depreciation and Provision for leave encashment benefit of retired employees. The Reserves & Surplus Account balance as shown in the Balance Sheet is Rs.13869.83 lakh at the end of the year.
- 3.3. Net Profit is Rs. 1000.60 lakh as compared to a Net Loss of Rs.1378.21 lakh for the previous year.
- 3.4. Corporation's earnings per share (Face Value Rs.100/-) for 2022-23 is Rs.200/- as compared to (-) Rs.276/- for the previous year.
- 3.5. Your Corporation has infrastructure and necessary working capital limit to achieve a reasonable raw jute turnover of nearly more than Rs.150 crore every year.
- 3.6. Proposed dividend for the year is Rs.718.50 lakh as compared to 'Nil' for the previous year.

The financial results of the year under review has been summarized in **Annexure-'A'**



4. GRANT OF SUBSIDY TO MAINTAIN INFRASTRUCTURE FOR MINIMUM SUPPORT PRICE (MSP) OPERATION OF THE CORPORATION.

As you are aware, your Corporation is the Nodal Agency of the Govt. of India for carrying out MSP operations in raw jute. It was set up in April 1971 primarily to protect the interest of the Jute Growers through procurement of Raw Jute under the MSP fixed by the Govt. of India from time to time and also to stabilize the raw jute market price to the possible extent for the benefit of the jute farmers and the jute economy as a whole.

The Govt. provides your Corporation with an Annual Grant of Subsidy for maintenance of Infrastructure and to meet its fixed overhead costs so that your Corporation is ever ready for carrying out MSP operations, whenever such situation arises.

As informed in the last year's Annual Report, the Govt. of India had approved the Grant of Subsidy of Rs. 245.87 Crore to your Corporation for the Financial Years 2021-22 to 2025-26.

During the year under review Govt. of India has released an amount of Rs.27.91 crores as grant of subsidy towards infrastructure maintenance for MSP operation.

5. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) – 2022-23

As informed by the Ministry of Textiles, the Inter-Ministerial Committee (IMC) in a Meeting held on 19.10.2022 observed that the principal mandate of JCI is price support operations for the economic support and welfare of jute farmers. Therefore, the IMC has decided to exempt your Corporation from the MoU process.

6. COMMERCIAL ACTIVITIES FOR MARKETING OF JUTE DIVERSIFIED PRODUCTS (JDPs).

Your Corporation is continuing with the business of supply of jute bags for distribution of prasadam at Tirupati Tirumala Devasthanam.

The e-commerce platform is being revamped as the same is being looked at as a viable channel for distribution of JDPs.

With the objective of expansion of its customer base, your Corporation has participated in several national and international fairs including the prestigious Autumn fair at Birmingham, UK, during the year under review.

7. SOCIAL COST- BENEFIT ANALYSIS

The concept of Minimum Support Price (MSP) of raw jute has been in vogue from the inception of the Corporation, to protect the interests of millions of jute farmers, mostly small and marginal, of the country. Under this scheme, procurement of raw jute is carried out by your Corporation when the ruling market prices of raw jute is at or below the aforesaid declared MSP levels. The Govt. has entrusted the responsibility of carrying out this MSP operation to your Corporation. Your Corporation is the Nodal Agency for MSP operations of raw jute in the country.



During the year under review, the market prices of raw jute ruled over the Govt. declared MSP for the first couple of months. During this period your Corporation undertook some judicious commercial operations. Subsequently, the ruling market prices fell below to bordering MSP level and your Corporation in line with its mandate procured a substantial quantity under MSP operations, as well.

Your Corporation has also taken initiative in distribution of certified Jute Seeds. Seeds were distributed with 50% subsidy under the Project Jute I-CARE, which included new varieties of HYV (high Yield Variety) type.

Apart from this, your Corporation has also undertaken the implementation part of Jute ICARE (Jute: Improved Cultivation and Advanced Retting Exercise) project, for the eighth consecutive year, which is executed under the aegis of NJB. The objective of this project is to reduce the cost of raw jute production while improving the productivity and fibre quality for better price realization and value addition. The project includes distribution of certified jute seeds at a subsidy to the registered farmers, conducting awareness camps, issuing agro-advisories and free distribution of advanced agronomic tools like seed drills and cycle weeders and retting accelerators like CRIJAF-SONA & NINFET SATHI.

The improved agronomic practices included in the project are – line sowing using seed drill, weed management in jute crop by a mechanical nail-weeder & Cycle weeder instead of hand weeding for reducing labour costs involved in the same and distribution of quality certified jute seeds.

Under this project the following support is extended to the registered jute growers:

- Providing 100% Certified Jute Seeds having a very high germination rate and higher productivity.
- ii. Demonstration of scientific jute cultivation practice for future adoption at farmers' field with mechanical intervention using seed drill, nail weeder/cycle weeder.
- iii. Demonstration/distribution of microbial retting using CRIJAF SONA, a microbial consortium (free of cost) to reduce the duration of retting and enhance the quality of fibre.

Activities under this project are being carried out in phases, every year, since 2015.

A brief of the progress made under Phase-VIII of ICARE during the year 2022-23 is tabulated below:

SL. NO.	PARTICULARS	ACTIVITY	
1	No. of Jute growing block / state covered	212 Blocks under W.B., Bihar, Assam,	
		Orissa, Meghalaya, A.P & Tripura	
2	Land covered (Ha)	38757	
3	No. of farmers covered	64862	



SL. NO.	PARTICULARS	ACTIVITY		
4	Certified Jute seed provided (CO-58/ JBO-2003H/JRO-204 / JROM-1/JBO-1/ JRC-532) variety in (MT)	193.54		
5	Seed drill machine/Jute seeder machine	800		
6	Nail Weeder machine/Cycle weeder	800		
7	Retting accelerator (CRIJAF sona powder/NINFET Sathi/IJIRA Subhra) in (MT)	598.50/69.95		
8	Sowing ,Weeding & Retting demo	2269		

8. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

a) Industry structure and developments

Provision of MSP rates administered by JCI is the lynchpin of Raw Jute market and Jute Industry. JCI takes a proactive role in extending the MSP support to the jute growers at the slightest indication of fall in raw jute prices towards MSP level. In the crop year 2022-23, the market price of raw jute was ruling above MSP for the first few months of the crop year and seizing the initiative, your Corporation undertook judicious Commercial operations by procuring about 136,813 quintals of raw jute. For rest of the year the market prices were hovering around the MSP level and your Corporation carried out a sizable procurement 373,984 quintals under MSP operations.

b) Opportunities and Threats / Risks & Concerns

♦ Opportunities

- With the declaration of the ban on single use plastic, there is an immense opportunity for proliferation of jute carry bags.
- Tirupati Tirumala Devasthanam (TTD): Though there is still an aftermath of the COVID-19 pandemic at the TTD Laddu Complex, things are bound to improve with every passing day. Enhanced awareness of use of eco-friendly jute bags among the public at large will also help the Corporation regain its lost ground in the near future and increase turnover with increased footfalls.
- The Geo Textiles and Agro Textiles businesses have already elicited encouraging responses and the Corporation has managed to generate some business in both the verticals.
- To scale up the traditional MSP operations, JCI is engaging cooperatives to procure on its behalf, thereby increasing both volume and turnover.



- JDP distribution and Commercial operations of raw jute have emerged as viable business propositions for the Corporation.
- Your Corporation is successfully carrying out commercial distribution of certified jute seeds.

♦ Risks & Concerns / Threats

- While as per mandate JCI is obliged to procure all kinds of raw jute under MSP operations including lower grades, but while disposing the same, the mills are reluctant to take the lower grade jute on the pretext that the same cannot be used for making B. Twill bags as per specifications laid down by Govt. of India. Higher grades seldom arrive at the Corporation as for the higher grades the prevailing market prices are always higher than MSP rates.
- Despite the influx of some freshers, there is severe shortage of skilled manpower. The freshers need a couple of seasons before acquiring the required expertise. With heavy MSP year gone and seems to be following, competency levels for procurement is an issue as procure volumes are large. Further, there is a constant exodus of trained manpower on account of retirement.
- It is becoming increasingly difficult by the day to retain the go downs as the owners are asking for ruling market rates for rent.

c) Outlook

- Your Corporation has taken all steps to purchase and store all the raw jute to be offered at MSP by the farmers. Your Corporation will use digital means in operations to streamline and have things done faster. E-office, Block Chain Technology and E-Auction would be the way forward.
- The issue of Recruitment at field level is also being addressed as per the comprehensive manpower planning of the Corporation.
- The Corporation would continue with its quest for excellence and would pursue ways and means to expand its business for self-sufficiency.

d) Internal control systems and their adequacy

Your Corporation has developed robust and comprehensive system of internal control towards achieving efficient resources, cost control, compliance with statutory requirements and ensuring reliability of financial reporting. The Audit Committee reviews the internal audit reports, financial performance of your Corporation and suggests improvements to strengthen internal control system.



e) Discussion on financial performance with respect to operational performance

The following are the significant areas of financial performance during the year under review:

- Procurement of raw jute under MSP was worth 16490.40 lakh during the year as compared to worth Rs. 26.27 lakh during the previous year.
- Procurement of raw jute under Commercial Operations was Rs.7730.97 lakh during the year as compared to Rs. 708.81 lakh during the previous year.
- Sale of raw jute procured under MSP was worth Rs. 10482.84 lakh during the year as compared to Rs. 204.88 lakh during the previous year.
- Sale of raw jute procured under Commercial Operations was worth Rs.219.36 lakh during the year as compared to Rs. 2017.74 lakh during the previous year.
- Your Corporation earned a net profit of Rs.1000.60 lakh during the F.Y 2022-23 whereas it had incurred a net loss of Rs.1378.21 lakh during the previous year. This is mainly due to occurrence of MSP leading to higher sales volume than previous year.

f) Human Resource and Industrial Relations

Your Corporation fosters the culture of continuous enhancement of competence, skill and knowledge of its manpower to enable them to adapt to the changing needs of the Industry and make them more competent and resourceful. Learning and development also helps them prepare for their future roles. In this direction regular training programmes on diverse subjects are arranged by the Human Resource Department.

Industrial relations generally remained harmonious during the year.

g) Cautionary Statement

Statement made in this section of the report is based on assumptions and expectations of further events. Actual results could, however, differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference include change in financial support to your Corporation by the government, change in government regulations, industrial relations environment in the industry and other factors like litigation.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Your Corporation discharges obligations under CSR activities in pursuance of Section 135 of the Companies Act. 2013 as it satisfies the conditions mentioned therein for compulsorily carrying out CSR activities. While determining the activities to be taken up under its CSR plan, your Corporation adheres to the guidelines on Corporate Social Responsibility (CSR) for Central Public Sector Enterprises (CPSE) issued by the Department of Public Enterprises, from time to time.



Your Corporation has constituted a CSR committee in compliance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, consisting of Smt. Puja Vidhani, Non-Official Independent Director as the Chairperson of the Committee, Sri Gaurav Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, Sri Ajay Kumar Jolly, MD, JCI and Sri Amitava Sinha, Director (Finance), JCI as its members.

During the Financial Year 2022-23, your Corporation had to spend an amount of Rs.15.67 lakh as per calculation in compliance with Section 135 of the Companies Act. 2013. The proposed activities within the given budget, as recommended by the CSR Committee and subsequently approved by the Board for the F.Y. 2022-23are as under:

SL. NO.	ITEM	ACTIVITY	FUND RELEASED
1.	Contribution to Govt. / District hospitals in pursuance of Office Memorandum from DPE regarding "Alignment of CSR expenditure of CPSEs with National Priorities" approving 'Health and Nutrition' as common theme for CSR activities by CPSEs during the F.Y 2022-23 Budget: Rs. 13,17,000/-	Contribution to the Directorate of Health Services, Guwahati, Assam for National Blindness Control programme for purchase of 1 USG machine and 3 Nos. Cataract Instrument Set (Titanium)	Rs.3,00,000/-
		Contribution to CHC Hospital, Barchana, Jajpur District, Odisha for purchase of one Diesel Generator & one water cooler purifier Aquaguard	Rs.6,23,990/-
		Contribution to the J.C. Bose General Hospital under the management of Cantonment Board, Barrackpore, Ministry of Defence, Govt. of India. For purchase of one patient ventilator	Rs.3,93,010/-
2.	Contribution for welfare Armed Forces Budget: Rs.2,50,000/-	Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) for the Welfare of Veterans, Widows and their Dependents	Rs.2,00,000/-
		7th ADM Adhar Kumar Chatterji Memorial Lecture Navy Foundation, Kolkata Chapter	Rs.50,000/-
	Total Budget : Rs.15,67,000/-		Rs.15,67,000/-



The entire budget allocated for CSR activities for the F.Y 2022-23 has been spent during the subject financial year.

As informed in the last Annual Report, your Corporation had taken up two new projects for Skill Development in production of Jute Diversified Products (JDP) for Women Self Help Groups (WSGs) during the financial year 2021-22. Two organizations had been selected for implementation of the subject project. The details of the same are as under:

NAME OF THE ORGANISATION	BUDGET ALLOCATION (RS. IN LAKH)
Chaplin Club, Paschim Midnapore, W.B	5.00
Digampur Angikar, Sandeshkhali, 24 Parganas (N), W.B	5.00.

Further, to the intimation in the last year's Annual Report, an amount of Rs. 6.52 lakhs had been released to National Institute of Fashion Technology (NIFT), Ministry of Textiles, Govt. of India from the CSR Budget for the F.Y 2021-22, towards a project for Study, Development of Designs and Handholding for Production of quality Jute Diversified Products (JDP) on a commercial scale.

Statement on CSR activities for the Financial Year 2022-23 is given as **Annexure-'C'**.

10. CORPORATE GOVERNANCE

- A) In 1971, your Corporation was incorporated as a Private Limited Government Company under the Companies Act, 1956(the Act). The main object was to provide a remunerative price to the growers in the form of Minimum Support Price (MSP) when the market price of the raw jute rules below or at the MSP. The fund provided by the Ministry of Textiles (MoT) is utilized for maintenance of infrastructure for MSP operation keeping in view its most efficient utilization. Your Corporation consistently sought to improve a better utilization of the Government grant with utmost transparency and accountability.
- B) Board of Directors as on 31.03.2023 Pursuant to the Articles of Association of your Corporation all the Directors are appointed by the President of India.
 - Record of Attendance of Members in Board Meetings.



Record of Attendance of Members in Board Meetings:

SL. NO.	NAME	DESIGNATION	TOTAL NO. OF BOARD MEETINGS	NO. OF BOARD MEETINGS DURING THE TENURE OF THE DIRECTOR	NO. OF BOARD MEETINGS ATTENDED	WHETHER LAST AGM ATTENDED (25.11.2022)
1.	Sri Ajay Kumar Jolly (DIN: 08427305) (from 01.02.2019)	MD	3	3	3	Yes
2.	Sri. Gaurav Kumar (DIN: 02819625) (from 08.12.2020)	Govt. Nominee Director	3	3	3	-
3.	Ms. Prajakta L Verma (DIN: 05117895 (from: 15.07.2022- 22.06.2023)	Govt. Nominee Director	3	2	1	Yes
4.	Sri. Amitava Sinha (DIN :09022866) (from 10.12.2021)	Director (Finance)	3	3	3	Yes
5.	Smt. Puja Vidhani (DIN: 08863071) (from 19.02.2020- 18.02.2023)	Non-Official Independent Director	3	2	2	-
6.	Sri Sanjay Sharan (from 14.02.2019 – 15.07.2022)	Govt. Nominee Director of Board Meetings:	3	1	0	-

C) Audit Committee as on 31.03.2023 – The Audit Committee of your Corporation was constituted in 2001 in accordance with Section 292A of the Act and regulations incidental/ancillary thereto to follow a good Corporate Governance Practice, keeping in view its basic requirements. The quorum of the Audit Committee is two members.

The composition of the Committee is as under:

- 1. Smt Puja Vidhani, Non-Official Independent Director-Chairperson (Upto 18.02.2023)
- 2. Ms. Prajkta L. Verma, Govt. Director - Member
- 3. Sri Gaurav Kumar, Govt. Director - Member
- 4. Sri Ajay Kumar Jolly, MD – Member

Director (Finance) is a permanent invitee to the meetings of the Audit Committee The Company Secretary acts as Secretary to the Committee.



A Brief description of terms of reference of the Committee is:

- a) Review of the Company's financial statements and other reports from time to time.
- b) Reviewing with the Management and the Auditors, the Annual Financial Statements and Reports before submission to the Board, focusing primarily on:
 - i) Any changes in Accounting Policies and Practices.
 - ii) Qualifications and significant adjustment arising out of Audit.
 - iii) The going concern assumption.
 - iv) Compliance with Accounting Standards.
 - v) Transactions of material nature involving Management or their relatives.
 - vi) To recommend to the Board for fixation of Audit fees.
 - vii) To approve the payment to Statutory Auditors for any other services rendered by them.
 - viii) To review with the Management and ensuring that the company's annual financial statements and audit are in compliance with applicable laws, regulations and company policies before submission to the Board for approval.
 - ix) To review with the Management the performance of Internal Auditors and adequacy of the Internal Control Systems.
 - x) To seek information from any employee of the Corporation.
 - xi) To secure help of outside legal or any other experts when necessary.
 - xii) To mitigate conflicts of interest by strengthening auditor independence.
 - xiii) To ensure the effectiveness of internal controls and risk management.
 - xiv) To protect employees and others who report infractions to the Internal Audit function or the external auditors (to protect whistle blowers).
 - xv) To review the management discussion and analysis of financial condition and results of operations.
 - xvi) Reviewing with the Management and Auditors, the adequacy of internal control systems, Internal Audit function, reporting structure coverage and frequency of Internal Audit.
 - xvii) Reviewing the Company's financial and other management policies.

To deal with such other matters as may be referred to it by the Board in writing or as it considers necessary in the interest of the Organisation.



Record of Attendance of Members in Audit Committee Meetings

NAME	DESIGNATION	TOTAL NO. OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS	NO. OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS DURING THE TENURE OF THE DIRECTOR	NO. OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS ATTENDED
Smt. Puja Vidhani (from 19.02.2020-18.02.2023)	Non-Official Independent Director	2	2	2
Ms. Prajkta L. Verma (from 15.07.2022- 22.06.2023)	Govt. Nominee Director	2	1	1
Sri Gaurav Kumar (from 08.12.2020)	Govt. Nominee Director	2	2	1
Sri Ajay Kumar Jolly (from 01.02.2019)	MD	2	2	2
Sri Sanjay Sharan (from 14.02.2019 – 15.07.2022)	Govt. Nominee Director	2	1	0
	Smt. Puja Vidhani (from 19.02.2020-18.02.2023) Ms. Prajkta L. Verma (from 15.07.2022-22.06.2023) Sri Gaurav Kumar (from 08.12.2020) Sri Ajay Kumar Jolly (from 01.02.2019) Sri Sanjay Sharan (from 14.02.2019 –	Smt. Puja Vidhani (from 19.02.2020-18.02.2023) Ms. Prajkta L. Verma (from 15.07.2022-22.06.2023) Sri Gaurav Kumar (from 08.12.2020) Sri Ajay Kumar Jolly (from 01.02.2019) Sri Sanjay Sharan (from 14.02.2019 – Non-Official Independent Director Govt. Nominee Director MD Govt. Nominee Director	NAME DESIGNATION OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS Non-Official Independent Director Ms. Prajkta L. Verma (from 15.07.2022-22.06.2023) Sri Gaurav Kumar (from 08.12.2020) Sri Ajay Kumar Jolly (from 01.02.2019) Sri Sanjay Sharan (from 14.02.2019 – Director Director OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS A Committee Meeting 2 Covt. Nominee Director 2 Govt. Nominee Director 2 Govt. Nominee Director 2 Govt. Nominee Director 2	NAME DESIGNATION TOTAL NO. OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS DURING THE TENURE OF THE DIRECTOR Smt. Puja Vidhani (from 19.02.2020-18.02.2023) Non-Official Independent Director 2 2 Ms. Prajkta L. Verma (from 15.07.2022-22.06.2023) Govt. Nominee Director 2 1 Sri Gaurav Kumar (from 08.12.2020) Govt. Nominee Director 2 2 Sri Ajay Kumar Jolly (from 01.02.2019) MD 2 2 Sri Sanjay Sharan (from 14.02.2019 — Govt. Nominee Director 2 1

Date of Audit Committee Meetings: 17.06.2022 & 18.10.2022

D) General Body Meetings:

		2019-20 (49TH AGM)	2020-21 (50TH AGM)	2021-22 (51ST AGM)
1.	Date	15.12.2020	14.12.2021	25.11.2022
2.	Time	11.00 A.M	3.00 P.M	3.00 P.M
3.	Venue	Registered Office of the Corporation at 15N,	Registered Office of the Corporation at 15N,	Registered Office of the Corporation at 15N,
		Nellie Sengupta Sarani, Kolkata- 700087 Through VC		Nellie Sengupta Sarani, Kolkata- 700087 Through VC

E) Disclosure:

- i. Disclosure required under the Companies Act, 2013, Accounting Standard Practice and other applicable Acts/Rules.
- ii. No penalties/stricture imposed on the Corporation during the last three years.
- iii. Employees are free to report of violation of Rules/Regulations to their Supervisors/



CVO/CMD.

- iv. The requirement as specified in the Guidelines have been complied with as far as possible/applicable to it.
- v. Presidential Directives issued by the Central Government have been complied with.
- vi. No such expenditure which is not for the purpose of the business booked in the Books of Account.
- vii. No personal expenditure is incurred but the expenditure incurred as accommodation charges etc. for the Directors in connection with Meetings.
- viii. Other Information:
 - i) Board/Audit Committee Meetings and procedure –

The Minimum Number of Meetings of Board/Audit Committee as required under the Companies Act, 2013 are held every year. The information usually placed before the Board includes:

- a) Confirmation of the Minutes.
- b) Follow-up Action.
- c) Report on Marketing of Raw Jute.
- d) Distribution of Jute Seeds.
- e) Legal Matters.
- f) Report on Vigilance.
- g) Report on Statutory Compliance.
- h) Annual Accounts.
- i) Auditors.
- ii) Agenda for Board/Audit Committee Meetings On fixation of dates of Board /Audit Committee Meetings, the Chairman-cum-Managing Director, makes a discussion with the Departmental Heads and directs about the Agenda papers which is submitted to the Company Secretary within a stipulated time. The Agenda papers are circulated to the Directors/Members. Similarly, Draft Minutes of the Meeting are circulated to the Directors/Members for their consideration.
- iii) Post Meeting Follow-up Mechanism Follow-up Report on the Decisions recorded in the drafts Minutes of the previous meeting are discussed at the immediately succeeding meeting of the Board/Committee.
- iv) Recording of Minutes at Board/Committee Meetings The Company Secretary records the Minutes of the proceedings of each Board/Committee Meeting. The



Minutes after being approved by the Chairman is put to circulation to all the Directors/Members. The Minutes is subsequently confirmed in the following Meeting of the Board/Committee and entered in the Minutes Book accordingly.

F) Quarterly Report:

Your Corporation files quarterly report to the Ministry of Textiles in the prescribed format stipulated by the Department of Public Enterprise, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise as a part of Corporate Governance. A consolidated report is also sent to the DPE.

 G) Adoption of Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management, Risk Management – Fraud Prevention Policy and Whistle Blower Policy as a part of Corporate Governance:

Your Corporation has evolved a Code of Conduct, Risk Management-Fraud Prevention Policy and Whistle Blower Policy based on the guidelines of the Corporate Governance of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) which were adopted by the Board of Directors. A copy of each such policy has been placed on the web-site : www.jutecorp.in

11. DIVIDEND

As you Corporation has earned a Net Profit during the year under review, the Directors, in compliance with the guidelines issued by DIPAM, Ministry of Finance, Govt. of India in this regard have recommended payment of dividend for the year ended 31st March, 2023 @ Rs.143.70 (P.Y. Nil) per share to its shareholder i.e. Govt. of India. The outgo in the form of dividend, will be Rs. 718.50 lakh (Previous Year Nil). The payment of dividend is subject to approval of the members in the ensuing Annual General Meeting.

12. AN OVER - VIEW OF THE FINANCIAL PERFORMANCE IN 52 YEARS

A scanning of the financial performance of your Corporation during 52 years since inception to 2022-23 with reference to Profit & Loss and Subsidy Account is given in **Annexure-'B'**.

13. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134 (3) (c) of the Companies Act 2013, the Board of Directors of your Corporation confirm that;

- (i) In the preparation of the Annual Accounts, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any, as indicated separately in Notes on Accounting Policy;
- (ii) They have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at 31st March, 2023 and of the profit and loss of the company for that period;



- (iii) They have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- (iv) They had prepared the Annual Accounts on a going concern basis.
- (v) The Company being unlisted, sub clause (e) of Section 134 (3) of the Companies Act, 2013, pertaining to laying down internal financial controls is not applicable to it
- (vi) They have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

14. AUDIT OBSERVATIONS AND COMMENTS ON ACCOUNTS

Observations of the Statutory Auditors under the Companies Act, 2013, as amended, on the Accounts of the Corporation for the year under review is being submitted.

15. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS

The Human Resource Department of your Corporation is continuously seeks to add value to its existing manpower by honing their skills and knowledge in their respective fields and making them ready to face the challenges of the changing business world. To achieve this end training requirements are identified and fresh and innovative tools of training are designed to serve the purpose of the manpower of the Corporation in the best possible manner. During the year under review many novel topics were covered along with the traditional subjects. Some of the topic covered were – Remapping Organisational Boundaries: Role of HR, Contract Management, Dispute Resolution and Arbitration, Objective Quality Evaluation of Jute and Other Lignocellulosic Fibres, Workshop On Writing Effective Learning Objectives, Training on Pension and Other Retirement Benefits, Domestic & International Arbitration, Mindfulness, Workshop on GeM and CPPP Portal, Preventive Vigilance, N+(Basic Networking) and CISCO Certified Network Associate (200-301), Leading Effectively without Undue Stress and Anxiety and Remaining Energy Surplus in face of Stretched Demands / Challenges and POSH

During the year, the Industrial Relations in your Corporation remained cordial.

16. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The provisions of the Right to Information Act, 2005 are strictly complied with, in your Corporation. In line with the provisions of the RTI Act, 2005, a Central Public Information Officer (CPIO) and First Appellate Authority (FAA) have been designated. The information sought for is supplied within stipulated time.

17. MANPOWER

There were 115 regular, 19 casual and 131 contractual employees in your Corporation as on 31.03.2023.



18. SC/ST/OBC STATUS

There were 15 SCs, 09 STs and 24 OBCs as permanent employees in the Corporation as on 31.03.2023.

19. FAMILY WELFARE

The Corporation made every effort to comply with instructions issued by the Government of India from time to time on family welfare measures.

20. COMPLIANCE WITH GOVT. DIRECTIVE ON SEXUAL HARASSMENT

Your Corporation has a duly constituted Internal Committee in compliance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, comprising of four senior employees of the Head Office of the Corporation, two of which are women.

21. A SUMMARY REGARDING ACTIVITIES UNDERTAKEN BY THE CORPORATION FOR THE WELFARE OF THE PERSONS WITH DISABILITY

Your Corporation has not been assigned any specific scheme for welfare of the Persons with Disability and no separate budget has been allocated for the same. However, expenditure on conveyance allowance to Persons with Disability is allowed at double the amount of conveyance allowance paid in normal cases.

As on 31.3.2023, 09(nine) number of Persons with Disability on regular role of your Corporation is benefited by this arrangement.

22. PROPAGATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Your Corporation has always been active in implementation of the Official Language Policy in pursuance of the Annual Programme drawn up by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

The employees at Head Office and Regional Offices are imparted trainings in Hindi on a regular basis. Use of Hindi in daily official work is encouraged. Hindi Pakhwada and Hindi Day are observed every year. During the year under review, Hindi Pakhwada was observed from 14.9.2022 to 29.09.2022. During this fortnight competitions in Hindi were organised in which the employees and their families took active part. Further, programmes in Hindi were also organised across all offices of the Corporation during this period. Hindi day was celebrated on 14th September, 2022. A Hindi Cultural Programme was also held as a part of the celebration. Prizes were given to the participants of various competitions and events to encourage more and more use of Hindi in Your Corporation. Furthermore, Quarterly Review Meetings are being held to review the progress of implementation of Hindi as an Official Language and the same is being regularly reported to the Board in its Meetings, as per norms.



23. PROGRAMME ON VIGILANCE AWARENESS

Vigilance Awareness Week was observed from 31.10.2022 to 06.11.2022. The Central Vigilance Commission (CVC) had adopted, "Corruption Free India for a Developed Nation" as the theme for the Vigilance Awareness Week for the year 2022-23. During the week, integrity pledge was taken by the Employees of the Corporation at the Head Office and Regional/Zonal offices. At Head Office, the pledge was administered by MD,JCI. An e-pledge was also taken by the employees through the CVC website. Various activities like Essay writing competition and Poster painting competitions were organised at schools. Pamphlets and banners regarding vigilance awareness week were distributed. Sensitization programmes and Grams Sabhas were also organised.

On the final day of the vigilance week, Sri Praveen Prakash Ambastha, Dy. Secretary, Ministry of Defence, Govt. of India, was delivered a lecture on the theme of the Vigilance Awareness Week and shared his views on vigilance issues.

24. BOARD OF DIRECTORS

The nomination of Sri Sanjay Sharan, Joint Secretary (Fibre), Ministry of Textiles, as a Govt. Nominee Director on the Board of the Corporation was withdrawn w.e.f. 15.07.2022 and Ms. Prajakta L Verma, Joint Secretary (Fibre), Ministry of Textiles, was nominated in his place w.e.f 15.07.2022.

The tenure of Smt. Puja Vidhani as a non-official Independent Director on the Board of the Corporation expired on 19.02.2023.

Subsequently, the nomination of Ms. Prajakta L Verma, Joint Secretary (Fibre), Ministry of Textiles, as a Govt. Nominee Director on the Board of the Corporation was withdrawn w.e.f. 22.06.2023 and Sri Purnesh Gururani, Director, Ministry of Textiles, was nominated in her place w.e.f 22.06.2023.



25. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Form No. MGT-9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2023

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I R	EGISTRATION AND OTHER DETAILS	
i)	CIN	U17232WB1971GOI027958
ii)	Registration Date	02/04/1971
iii)	Name of the Company	The Jute Corporation of India Limited
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Company Limited by shares / Union Government Company
v)	Address of the Registered office and contact details	15N-Nellie Sengupta Sarani, 7th Floor, Kolkata- 700 087 Telephone: 033 2252 7027 / 7028 Fax: 91 33 2252 1771 / 7390
vi)	Whether listed company Yes / No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY:

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SL. NO.	NAME AND DESCRIPTION OF MAIN PRODUCTS / SERVICES	NIC CODE OF THE PRODUCT/ SERVICE	% TO TOTAL TURNOVER OF THE COMPANY
1	Trading and distribution of jute seeds, jute & its allied products.		100 %

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

	SL. IO.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY / ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
١	NΑ	NA	NA	NA	NA	NA

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)



i) Category-wise Share Holding:

NO. OF SHARES HELD AT THE NO. OF SHARES HELD AT THE END OF								%	
CATEGORY OF		EGINNING O				THE Y			CHANGE
CATEGORY OF SHAREHOLDERS	DEMAT	PHYSICAL	TOTAL	% OF TOTAL SHARES	DEMAT	PHYSICAL	TOTAL	% OF TOTAL SHARES	DURING THE YEAR
A. Promoters	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(1) Indian									
a) Individual/ HUF	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Central Govt.	Nil	500000	500000	100	Nil	500000	500000	100	Nil
c) State Govt. (s)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) Bodies Corp.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
f) Any Other	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub-total (A) (1):-	Nil	500000	500000	100	Nil	500000	500000	100	Nil
(2) Foreign	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
a) NRIs - Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Other – Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Bodies Corp.	Nil Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil Nil	Nil Nil	Nil
d) Banks / FI		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1		Nil
e) Any Other	Nil Nil	Nil	Nil Nil	Nil Nil	Nil	Nil Nil	Nil	Nil	Nil
Sub-total (A) (2):- Total shareholding of		Nil	INII	INII	Nil	INII	Nil	Nil	Nil
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1)+(A) (2)	Nil	500000	500000	100	Nil	500000	500000	100	Nil
B. Public Shareholding									
Institutions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
a) Mutual Funds	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Banks / FI	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c) Central Govt	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
d) State Govt(s)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
e) Venture Capital Funds	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
f) Insurance Companies	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
g) FIIs	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
h) Foreign Venture Capital									
Fund	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
i) Others (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub-total (B)(1):-									
2. Non-Institutions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
a) Bodies Corp.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
i) Indian	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Overseas	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b) Individuals	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
i Individual shareholders									
holding nominal share	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
capital upto Rs. 1 lakh									
ii Individual shareholders									
holding nominal share		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
capital in excess of Rs 1	. 411	1411	1 411	. 411	. ***	. ***	. ***	. ***	. ***
lakh									
c) Others (specify)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Sub-total (B)(2):-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Total Public Shareholding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(B)=(B)(1)+ (B)(2)									
C. Shares held by Custodian	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
for GDRs & ADRs Grand Total (A+B+C)			500000	100	Niii	500000	500000	100	Niii
Granu Iolai (A+D+C)	Nil	500000	500000	100	Nil	500000	500000	100	Nil



(ii) Shareholding of Promoters

		SHAREHOLDING AT THE BEGINNING OF THE YEAR			SHARE	% CHANGE			
SL. NO.	SHAREHOLDER'S NAME	NO. OF SHARES	% OF TOTAL SHARES OF THE COMPANY	%OF SHARES PLEDGED / ENCUMBERED TO TOTAL SHARES	NO. OF SHARES	% OF TOTAL SHARES OF THE COMPANY	%OF SHARES PLEDGED / ENCUMBERED TO TOTAL SHARES	IN SHARE HOLDING DURING THE YEAR	
1.	President of India	500000	100	Nil	500000	100	Nil	Nil	
	Total	500000	100	Nil	500000	100	Nil	Nil	

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

SR. NO.			LDING AT THE G OF THE YEAR	CUMULATIVE SHAREHOLDING DURING THE YEAR		
		NO. OF SHARES	% OF TOTAL SHARES OF THE COMPANY	NO. OF SHARES	% OF TOTAL SHARES OF THE COMPANY	
	At the beginning of the year	NA	NA	NA	NA	
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	NA	NA	NA	NA	
	At the End of the year	NA	NA	NA	NA	

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

SL. NO.		SHAREHOLDING AT OF THE		CUMULATIVE SHAREHOLDING DURING THE YEAR	
	PRESIDENT OF INDIA	NO. OF SHARES	% OF TOTAL SHARES OF THE COMPANY	NO. OF SHARES	% OF TOTAL SHARES OF THE COMPANY
	At the beginning of the year	500000	100	500000	100
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	NA	NA	NA	NA
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	NA	NA	NA	NA



(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

FOR EACH OF THE DIRECTORS AND KMP		EHOLDING AT THE NING OF THE YEAR	CUMULATIVE SHAREHOLDING DURING THE YEAR		
	NO. OF SHARES	% OF TOTAL SHARES OF THE COMPANY	NO. OF SHARES	% OF TOTAL SHARES OF THE COMPANY	
At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	
Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	Nil	Nil	Nil	Nil	
At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	Nil	Nil	Nil	Nil	

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	SECURED LOANS EXCLUDING DEPOSITS	UNSECURED LOANS	DEPOSITS	TOTAL INDEBTEDNESS
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Rs.0.02	-	-	Rs.0.02
Total (i + ii + iii)	Rs.0.02			Rs.0.02
Change in Indebtedness during the financial year	Rs.2845.42	<u>-</u>	<u>-</u>	Rs.2845.42
Net Change	Rs.2845.42			Rs.2845.42
Indebtedness at the end of the financial year: i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Rs.2845.44 -	- - -	- - -	Rs. 2845.44 -
Total (i + ii + iii)	Rs. 2845.44			Rs. 2845.44

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Your Corporation being a Central Public Sector Enterprise (Government Company), the appointment and performance evaluation of Directors both executive and non-executive are made by the Govt. of India. Remuneration to the functional Directors are made as per terms of their appointment by Govt. of India.



VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

TYPE	SECTION	BRIEF	DETAILS OF	AUTHORITY	APPEAL MADE,
	OF THE	DESCRIPTION	PENALTY /	[RD/NCLT/	IF ANY (GIVE
	COMPANIES		PUNISHMENT/	COURT]	DETAILS)
	ACT		COMPOUNDING		
			FEES IMPOSED		
A. COMPANY:					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B. DIRECTORS:					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
C. OTHER OFFIC	ERS IN DEFAULT	•			
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

26. FOREIGN TOUR

(i) Birmingham (U.K):

Your Corporation had participated in the prestigious Autumn Fair – 2022 at NEC, Birmingham organized by the National Jute Board under the Export Market Promotion Activities (EMPA) Scheme and the Buyer-Seller Meet in London from 4th September, 2022 to 12th September, 2022.

Participation in the aforementioned fair was a part of the Corporation's endeavor to generate alternate sources of revenue by increasing turnover through marketing and export of JDPs. One of the important instruments for getting enquiries for export orders is participation in International Trade Fairs, where the Corporation gets opportunity to showcase the products marketed by it and directly interact with the prospective international customers.

Two Senior Officials of the Corporation GM (Operations/Marketing) and Chief Manager (Finance) were nominated to represent the Corporation in the aforesaid event and explore opportunities on offer, for expanding its business.

A number of prospective customers have been identified and communications with them have been initiated for sending over of samples and securing orders. It is hoped that quite a few of the prospective business proposals will materialize in the near future.



(ii) Bangladesh:

It is widely accepted and well documented fact that the quality of raw jute being produced in Bangladesh is superior to the quality produced in India. Therefore, your Corporation had sent a 4 member delegate, three belonging to the Marketing Cadre and one from the Finance Department to Bangladesh for observing the process of quality jute production alongwith pre and post-harvest management of jute and to understand the demography of Bangladesh in relation to jute cultivation and analyse the practices being adopted by the farmers of Bangladesh. The delegate also observed and explored the possibilities of exchange of knowledge and idea for production of better quality of jute fibre.

The delegate has submitted its report and it is hoped that in future the Corporation will be able to benefit from the visit.

27. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO.

As informed in earlier reports, your Corporation has always been conscious of the positive effects of conservation of energy and in this regard it has always been receptive to various measures of energy conservation. Presently, it uses LED lights in all its offices. Solar light system is also being used in many of its Regional Offices/RLDs and DPCs. All electrical equipment in offices of your Corporation are compulsorily shut down after working hours. While choosing electrical equipment for office use, their energy efficiency is ensured. Your Corporation conducts awareness programs for reducing power consumption across all offices. Your Corporation religiously adheres to the guidelines regarding "Energy Conservation in Building Space Cooling through recommended optimum temperature setting" issued by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power.

28. STATUTORY AUDITORS

M/s. J.K.V.S., Kolkata, has been appointed as the Statutory Auditors of your Corporation for the Year 2023-24 by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139 of the Companies Act, 2013, as amended.

Your Corporation is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013.

29. ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors are grateful to various Ministries of the Government of India particularly the Ministry of Textiles, the Ministry of Finance, the Department of Public Enterprises, the Office of the Jute



commissioner and the National Jute Board for their support and guidance to your Corporation from time to time. They are also grateful for the co-operation received from the Commission for Agricultural Costs and Prices, State Governments, Agriculture and Co-operation Departments, State Apex Co-operative Organisations, the Directorate of Jute Development. The Directors thank the Reserve Bank of India, the State Bank of India, the Central Bank of India, the Punjab National Bank, the HDFC Bank Ltd and other Bankers for their association and necessary support. The Directors are also thankful to M/s. SPAN & Associates., Chartered Accountants, Internal Auditors, S.K. Mallick & Co., Chartered Accountants, the Statutory Auditors, the Principal Director of Commercial Audit and the Office of the Registrar of Companies and the Ministry of Corporate Affairs for their support and guidance.

Finally, your Directors wish to place on record their appreciation for the co-operation shown by the Staff, Officers and other stakeholders of your Corporation

.

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 23.11.2023 Place: Kolkata

(Ajay Kumar Jolly)
Managing Director



FINANCIAL RESULTS 2022-23

(₹ in Lakh)

	INTERNAL RAW JUTE DIVERSIEIED			(K in Lakn)	
	PRICE SUPPORT	COMMERCIAL	JUTE SEED	DIVERSIFIED JUTE PRODUCTS	TOTAL
	INCO	ME			
Sales	10458.51	218.85	509.09	145.28	11331.73
Interest	397.05	0.00	0.00	0.00	397.05
Subsidy from Govt of India	2900.00	0.00	0.00	0.00	2900.00
Other Credits	552.00	0.00	17.74	0.00	569.74
Transfer to Internal Raw Jute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Stock	8531.12	7277.99	334.94	33.88	16177.93
Prior Period Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	22838.68	7496.84	861.77	179.16	31376.45
	EXPEND	ITURE			
Opening Stock	53.07	228.30	179.53	33.09	493.99
Purchase	16528.00	7745.13	657.18	133.36	25063.67
Trading Expenses	873.71	272.67	0.72	2.01	1149.11
Godown Rent & Insurance	217.87	26.75	1.23	0.12	245.97
Transfer from Internal Raw Jute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Overhead	3103.99	0.00	0.00	24.85	3128.84
Prior period adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	20776.64	8272.85	838.66	193.43	30081.58
Surplus (+)/Deficit (-) one year's	2062.04	-776.01	23.11	-14.27	1294.87
Operation Before Interest and Depreciation					.20
Depreciation					
Interest	87.77	0.00	0.00	0.00	87.77
Depreciation and Amortisation	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
Provision for Income Tax	307.80	-122.19	3.64	-2.25	187.00
Profit (+)/loss(-) for the Year	1646.97	-653.82	19.47	-12.02	1000.60
Proposed Dividend	0.00	0.00	0.00	0.00	718.50
Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Surplus for the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserve & Surplus as on 31.03.2022					12869.23
Reserve & Surplus as on 31.03.2023					13869.83



Annexure - 'B'

SCANNING OF THE PROFIT & LOSS SINCE INCEPTION - 52 YEARS (FROM 1971-72 TO 2022-23)

(₹ in Crore)

		CUMULATIVE UP TO 2022-23	PERCENTAGE OF VARIOUS ITEMS TO TOTAL EXPENDITURE OF ₹ 5666.94
I.	Income		
	Sales	3915.41	
	Subsidy from Government (MSP)	803.53	
	Subsidy from Government (Seeds)	14.93	
	Special subsidy from West Bengal (MSP)	1.55	
	Other Income	296.31	
	Closing Stock	161.78	
		5193.51	92
II.	Expenditure(Excluding Overhead & Interest)		
	Purchase	3297.42	
	Trading & Operational Expenses	348.05	
	Warehousing	102.07	
	Insurance	34.45	
	Prior period & other adjustments	16.20	
	Exceptional Item	24.74	
		3822.93	67
III.	Surplus before overhead & Interest (I-II)	1370.58	
IV.	Less : Overhead	1258.46	22
V.	Surplus/(Deficit) before interest(III-IV)	112.12	
VI.	Add : Interest on borrowings	(586.46)	10
		(474.34)	
VII.	Income Tax (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17,2017-18,2018-19, 2019-20,2020-21 & 2022-23)	82.58	
	Fringe Benefit Tax (2005-06 to 2008-09)	0.37	
	Dividend to Govt. including distribution tax(1971-72, 1973-74, 2016-17,2017-18,2018-19,2019-20, 2020-21, 2021-22 & 2022-23)	26.34	
	Loss:	(583.63)	
VIII.	Subsidy credited in Accounts (up to 2002-03)	555.20	
IX.	Accumulated Loss up to 2002-03 written off as a result of Financial Restructuring	144.17	
Χ.	Capital Profit as a result of Financial Restructuring	22.96	
XI.	Profit (balancing figure) up to Financial Year 2022-23 carried over in the Balance Sheet (VIII+IX+X-VII)	138.70	



ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

1 A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programmes proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programmes.

JCI being a profit making organization has to carry out CSR activities under Section 135 of the Companies Act. 2013. The CSR activities of the Corporation are carried out keeping in mind the CSR policy recommended by the CSR Committee and approved by the Board in its 252nd meeting held on 25.06.2019. Additionally, the Corporation is also obliged to involve in CSR activities as per guidelines on Corporate Social Responsibility (CSR) for Central Public Sector Enterprises (CPSE) circulated by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Public Enterprises) from Time to Time.

CSR Policy of the Corporation

Jute Corporation of India Limited (JCI), a Central Public Sector Enterprise (CPSE), was set up by the Government of India with the main objective of safeguarding the interest of the jute growers by giving a reasonable value for the jute grown in general and avoiding any distress sale in particular. In addition to taking up the Minimum Support Price (MSP) operation, JCI also takes up commercial purchase and sale keeping in view the market conditions. Accordingly, welfare of the jute growers, who are largely small and marginal farmers with limited income, may be the focus and guiding factor of its CSR policy.

The management shall endeavour to spend 2 (two) percent of the average net profit of the previous three years on CSR activities, listed in the schedule VII of the Companies Act 2013,

The directives issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Corporate Affairs as well as the Ministry of Textiles (administrative ministry), if any, shall be kept in view while identifying and implementing CSR activities in a particular year.

Empowering the jute growers/ weavers with new skill and technology for improving their earnings and economic conditions as well as assistance for educational empowerment of the wards of the jute growers/ weavers shall be given special attention.

Efforts shall be made for supplementing the ongoing health care facility including drinking water, sanitation, and mother and child health care immunisation etc. for the jute growers / weavers.

Amount, which may remain unspent at the end of the year, shall be carried over to the next financial year.

Programmes planned and budgeted during F.Y 2022-23

- Contribution to Govt. / District hospitals in pursuance of Office Memorandum from DPE regarding "Alignment of CSR expenditure of CPSEs with National Priorities" approving 'Health and Nutrition' as common theme for CSR activities by CPSEs during the F.Y 2022-23.
- 2. Contribution to Armed Forces Flag Day Fund.
- 3. Sponsorship to 7th ADM Adhar Kumar Chatterji Memorial Lecture Navy Foundation, Kolkata Chapter



2	The composition of the CSR Committee	 Smt. Puja Vidhani, Non-Official Independent Director-Chairperson (upto 18.02.2023) Shri A.K. Jolly, CMD-Member Shri Gaurav Kumar, Economic Advisor, MoT-Member Shri Amitava Sinha, Director (Finance)-Member
3	Average Profit Before Tax of the company for last three financial years (2019-20, 2020-21 & 2021-22)	Rs. 7,83,33,333/-
4	Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in term 3 above)	Rs. 15,67,000/-
5	Details of CSR spent during the financial year	
	Total amount to be spent for the financial year	Rs. 15,67,000/-
	2) Amount unspent, if any;	Rs.2.00 lakh from CSR budget for the F.Y 2020-21 Rs. 2.41 lakh from CSR budget for the F.Y 2021-22
	3) Manner in which the amount spent during the financial year	The manner in which the amount spent is detailed in Table below:

Table - Details of CSR amount spent for 2022-23

SL.	CSR PROJECT	SECTOR	PROJECT STATE/ DISTRICT	AMOUNT (IN RS.)
I	Contribution to the Directorate of Health Services, Guwahati, Assam for National Blindness Control programme for purchase of 1 USG machine and 3 Nos. Cataract Instrument Set (Titanium)	Health	Assam	3,00,000/-
II	Contribution to CHC Hospital, Barchana, Jajpur District, Odisha for purchase of one Diesel Generator & one water cooler purifier Aquaguard	Health	Odisha	6,23,990/-
III	Contribution to the J.C. Bose General Hospital under the management of Cantonment Board, Barrackpore, Ministry of Defence, Govt. of India. For purchase of one patient ventilator	Health	West Bengal	3,93,010/-
IV	Contribution to Armed Forces Flag Day Fund	Measures for the benefit of Armed Forces veterans, war widows and their dependents	All India	2,00,000/-
V	7th ADM Adhar Kumar Chatterji Memorial Lecture Navy Foundation, Kolkata Chapter	Measures for the benefit of Armed Forces	All India	50,000/-



VI	,	Skill Development of Jute Diversified)	Promoting employment enhancing vocational skills among women and children	West Bengal & Andhra Pradesh	9,00,000/-
VI	for Health Car Aspirational Di the Corporati identified by t	n of CSR projects re related activities in stricts / Districts where on has Operations, the CSR Committee, OPE guideline in this	Health	West Bengal & Assam	9,95,990/-
		sign Development for P in collaboration with	Promoting education including special education	All India	6,50,000/-
		TOTAL			41,12,990/-
6	Reason for not spending the amount earmarked	for women self-help groups were planned during the F.Y 2021-22 and accordingly two organisations were selected for implementation of the same. Payment of final instalments			
7	Statement from the CSR Committee	The CSR Committee confirms that the expenditure on CSR has been carried out in conformity with CSR activities outlined as briefed in Para-1.			



FINANCIAL PERFORMANCE

(Rs in Lakh)

		(No iii Eakil)				
SL. NO.	PARTICULARS	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23
Α	OPERATING STATISTICS					
	Turnover	18433.84	12786.83	11577.60	3130.24	11331.73
	Other Income	6388.77	4820.68	3920.26	3479.73	3866.79
	Expenditure	22789.88	15478.48	13898.41	5514.18	14010.92
	Prior Period Adjustment (Net)	-18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	Exceptional Items	0.00	0.00	0.00	-2474.00	0.00
	Profit before Tax	2051.39	2129.03	1599.44	-1378.21	1187.60
	Tax	891.46	589.48	384.21	0.00	187.00
	Deferred Tax Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profit After Tax (PAT)	1159.93	1539.55	1215.23	-1378.21	1000.60
	Dividend Paid including Dividend Distribution Tax	419.53	462.00	776.18	0.00	0.00
	Amount transfer to General Reserve	740.40	1077.55	439.05	-1378.21	1000.60
В	FINANCIAL POSITION					
	Capital Employed	13650.37	14770.39	15523.62	13369.23	14369.83
	Non - Current Assets	252.31	396.70	330.26	287.91	293.04
	Current Assets	21865.66	21290.29	22910.69	20321.39	24170.16
	Equity & Liabilities:					
	i) Share Capital	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	ii) Reserve & Surplus	13150.37	14270.39	15023.62	12869.23	13869.83
	Non Current Liabilities	3731.46	3988.10	4008.68	3550.06	3699.65
	Current Liabilities	4736.14	2928.51	3708.65	3690.01	6393.72
С	RATIOS					
	PBT/Turnover	0.11	0.17	0.14	-0.44	0.10
	PAT/Turnover	0.06	0.12	0.10	-0.44	0.09
	PBT/ Capital Employed	0.15	0.14	0.10	-0.10	0.08
	PAT/ Net Worth	0.08	0.10	0.08	-0.10	0.07
	Turnover/ Net Worth (Number of times)	1.35	0.87	0.75	0.23	0.79
	Trade Receivable/Turnover (%)	10.78	13.71	6.70	3.41	13.44



CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To
The Members,
The Jute Corporation of India Limited,
I5N, Nellie Sengupta Sarani,
Kolkata — 700 087

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by The Jute Corporation of India Limited (the "Company") for the year ended 31" March, 2023 as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance (the "guidelines") for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises, Govt. of India vide OM No. I8(8)/2005-GM dated 14th May, 2010.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is responsibility of the Management of the Company. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure compliance with the conditions of the Corporate Governance. Our examination has been limited to review of procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance as stipulated in the guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us by the Management, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the said quidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to further viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For S.K. Mallick & Co. Chartered Accountants Firm Registration No.: 324892E

Soumitra Ghose Partner (M.N. 055467) UDIN:23055467BGWXHZ9566

Place : Kolkata Dated : 28.09.2023



FIELD OFFICES As on 31-03-2023

STATE	HO/RO/RLD	NO. OF DPCS / SCS	STATE-WISE TOTAL DPCS/SCS
	Kolkata RLD	12	
	Siliguri RO	6	
	Coochbehar RO	6	
West Bengal	Tulshihata RLD	9	69
	Krishnagar RO	14	
	Berhampore RO	12	
	Bethuadahari RLD	10	
	Guwahati RO	7	
Assam	Gouripur RLD	5	19
	Nagaon RO	7	
Bihar	Forbeshganj RLD	12	12
Odisha	Bhadrak RLD	6	6
Andhra Pradesh	Pervatipuram RLD	2	2
Tripura	Agartala RO	2	2
Total		110	110



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of The Jute Corporation of India Ltd ("the Company"), which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2023 the Statement of Profit and Loss, and the Statement of Cash Flows for the year ended and notes to the financial statement, on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribe under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023, the profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion:

We conducted our audit of the Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provision of the Act and Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters:

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significant in our audit of the Financial Statements of the current period. These matters were addressed



in the context of our audit of the financial statement as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In the audit of the current period, we have not observed any key audit matters required to be reported separately.

Other Matters:

We bring to the attention of the users that the audit of the financial statements has been performed in the aforesaid conditions.

We have determined the other matters described below to be communicated in our report

- I. Note No. 4 & 30 to the financial statements include interest earned during the year amounting to Rs.1,19,99,465/- on Short Term Deposits relating to projects has been credited to respective project fund. However, the interest income has been offered to income tax and accordingly TDS on such interest has been claimed by the company.
- 2. Note No. 14 to the financial statements indicate Trade Receivables of Rs 15,26,93,800/- (previous balance Rs. 1,10,47,789) include balances amounting to Rs. 23,00,547/- which are outstanding for more than three years.
- 3. Note No. 36 to the financial statements stating an amount of Rs. 1,54,138 /-has been realized during the FY 2022-23, out of the receivable amount of Rs. 5,32,181 /-from other Parties to whom excess/erroneous payment was made during the FY 2017-18 due to software error.
- 4. Disclaimer of Opinion:

We observe in the area of Fixed Assets, Fixed Asset register although is available for last few years, in the Computerised form, but Fixed Asset register for the period prior to that has not been maintained, in proper manner and the scope of upgradation and maintenance of Fixed Asset register in computerised manner is yet to be done but work is in process

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon:

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other



information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.

This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statement, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statement:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- ♦ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- ♦ Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- ♦ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- ♦ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- ♦ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,



and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

As required by section 143(3) of the Act, based on our audit, we report that:

We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
- b) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.
- In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the AS specified under Section 133 of the Act.
- d) The Company has disclosed the financial data in absolute number in its financial statements under schedule III of the Company Act 2013.
- e) In terms of Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), the provisions regarding disqualification of Directors under Section 164 (2) of the Act are not applicable to the Company.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

With respect to the other matters included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rule 2016, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us:

- a) The Company does not have any pending litigation which would impact its financial position.
- b) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses under the applicable law or



- accounting standards.
- c) There has been no delay in transferring amounts if applicable, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company
- 2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
- 3. As required under section 143(5) of the Companies Act 2013, we give in the "Annexure B", a statement on the Directions/Sub-Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India after complying the suggested methodology of Audit, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the Company.

For S. K. Mallick & Co. Chartered Accountants

Firm Registration Number: 324892E

(Soumitra Ghose)

Partner (M.N. 055467)

UDIN: 23055467BGWXHQ6207

Place: Kolkata

Dated: 28-09-2023



ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

Statement on the matters specified in the Companies (Auditor's Report) Order, 2020

To the best of our information and according to the explanations provided to us by the company and the books and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

- (i) (a) The Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Plant and Equipment.
 - (b) The Company has a programme of physical verification of Property, Plant and Equipment to cover all assets once every year which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the company and nature of its assets. Pursuant to the programme all Property, Plant and Equipment were due for verification during the year and were physically verified by the management during the year.
 - (c) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment.
 - (d) Based on the information and explanations furnished to us, no proceedings have been initiated during the year or are pending against the company as at 31st March 2023 for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.
- (ii) (a) Physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management. The coverage and procedure of such verification by the management is appropriate and no material discrepancies were noticed on such verification.
 - (b) The company has been sanctioned working capital limits (cash credit) during the year in excess of Rs. 5 crores, in aggregate, at any point of time during the year from banks on the basis of security of current assets. The quarterly returns/statements filed by the company with such banks are in agreement with the books of accounts of the Company.
- (iii) The Company has not made investments in or provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships, and granted unsecured loans to other parties, during the year. Accordingly reporting under (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of the order is not applicable.
- (iv) The Company does not have loans, investments, guarantee and security involving the provisions of Section 185 and Section 186 of the Companies Act.
- (v) The Company has not accepted deposits attracting the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under. No order has been passed by Company Law



- Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other Tribunal requiring compliance.
- (vi) The maintenance of cost records for the products of the Company has not been specified by the Central Government under section 148(1) of the Companies Act 2013. Accordingly, provision of clause 3(vi) of the order is not applicable to the company.
- (vii) (a) The Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues of Income tax, EPF, ESI, GST and any other statutory dues with the appropriate authorities.
 - (b) There is income tax demand of Rs. 896.76 Lacs for AY 2009-10, Rs. 84.02 Lacs for AY 2011-12, Rs. 195.45 Lacs for AY 2013-14, Rs. 188.29 Lacs for AY 2018-19 and Rs. 140.42 Lacs for AY 2019.20 under appeal before IT Authorities.
- (viii) There were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act,1961.
- (ix) (a) The Company has not taken any loans or other borrowings from any lender. Hence reporting under clause 3(ix) (a) of the Order is not applicable.
 - (b) The Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or any government or any government authority.
 - (c) The Company has not taken any term loan during the year and there is no outstanding term loan at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3(ix) (c) of the Order is not applicable.
 - (d) The Company has not raised any fund on short term during the year and hence reporting on clause 3(ix) (c) of the Order is not applicable.
 - (e) The Company has not taken any funds from any entity during the year and hence reporting on clause 3(ix) (e) of the Order is not applicable.
 - (f) The Company has not raised any loans during the year and hence reporting on clause 3(ix) (f) of the Order is not applicable.
- (x) (a) The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments during the year and hence reporting under clause 3(x) (a) of the Order is not applicable.
 - (b) During the year Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x) (b) of the Order is not applicable.
- (xi) (a) Mr. Krishnendu Basu (Emp No 1963) Computer Operator-I was found guilty of taking bribes related to recruitment. Initially he was suspended vide order no JCI/HO/Pers.2047/87 dated 26.06.2022. Further after necessary disciplinary proceedings and subsequent issuance of speaking order dated 21st October, 2022 which was



- duly accepted by the Appointing authority on 31st October, 2022 Sri Basu has been removed from the services of the Corporation with effect from 31st October, 2022.
- (b) No report under sub section 12 of section 143 of the Companies Act 2013 has been filled in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government during the year and up to the date of this report.
- (c) We have not been informed by the company any complaints raised by whistle blower and received by the company during the year (and up to the date of this report) and hence reporting under clause 3(xi) (c) of the Order is not applicable.
- (xii) The Company is not a Nidhi company hence reporting under clause 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) There has been no payment under section 177 and 188 of the Companies Act 2013 and hence clause (xiii) of the order is not applicable.
- (xiv) (a) In our opinion the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.
 - (b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
- (xv) In our opinion during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected with its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- (xvi) (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
 - (b) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the order is not applicable.
- (xvii) The Company has incurred cash losses during the financial year and there was no cash loss during the immediately preceding financial year.
- (xviii) This being a public sector undertaking the Central Government appoints the auditors and hence reporting under clause 3 (xviii) of the Order is not applicable.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence



supporting the assumptions, nothing has come to our notice which causes us to believe that material uncertainties exists as on the date of the audit that company is capable of meeting its liabilities existing as on the date of the balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due. We however further state that there is no assurance as to future viability of the company.

- (xx) (a) The Company has spent the required amount in respect of other than ongoing project as specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act.
 - (b) Since the company is not dealing with any ongoing project clause 3(xx)(b) of the Order is not applicable.
- (xxi) Clause (xxi) of the Order is not applicable.

For S. K. Mallick & Co. Chartered Accountants

Firm Registration Number: 324892E

(Soumitra Ghose)

Partner (M.N. 055467)

UDIN: 23055467BGWXHQ6207

Place: Kolkata

Dated: 28-09-2023



ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Annexure referred to in our report in terms of Section 143(5) of the Companies Act, 2013 to the members of THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED ('the Company') for the year ended on 31st March 2023.

General Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013

SL. NO.	DIRECTIONS	AUDITOR'S COMMENTS
1.	through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside	The Company maintains its Books of Accounts on IT System – Tally ERP 9. All accounting transactions are processed through Tally ERP 9. We did not notice any transaction which was
2.	existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability	Based on our verification and as per the information and explanation obtained from the management, there were no restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	The Company has received Grant/Subsidy to maintain its infrastructure for MSP of raw jute. According to the information and explanation of given to us and based on our examination of

For S. K. Mallick & Co. Chartered Accountants Firm Registration Number: 324892E

(Soumitra Ghose)

Partner (M.N. 055467) UDIN: 23055467BGWXHQ6207

Place: Kolkata Dated: 28-09-2023



ANNEXURE-C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act')

We have audited the internal financial controls over financial reporting of THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED (hereinafter referred as 'the Company') as of 31st March 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures thatt:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company.



- Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation
 of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that
 receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations
 of management and directors of the Company; and
- Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal controls stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For S. K. Mallick & Co. Chartered Accountants Firm Registration Number: 324892E

(Soumitra Ghose)

Partner (M.N. 055467) UDIN: 23055467BGWXHQ6207

Place: Kolkata Dated: 28-09-2023



MANAGEMENT REPLY TO THE OTHER MATTERS MADE BY THE STATUTORY AUDITOR ON THE CORPORATION FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23

SL NO	AUDIT OBSERVATION	MANAGEMENT REPLY
Oth	er Matters	
1.	Note No. 4 & 30 to the financial statements include interest earned during the year amounting to Rs. 1,19,99,465/- on Short Term Deposits relating to projects has been credited to respective project fund. However, the interest income has been offered to income tax and accordingly TDS on such interest has been claimed by the company.	JCI is the implementation agency of these projects. Therefore, JCI is not claiming the income generated from interest earned on such term deposits. However, as these term deposits are in the name of JCI and TDS being deducted by Banks against PAN of JCI, necessary income tax accounting entries between accounts of JCI and accounts of related projects have been passed. The same has already been disclosed under Note No. 4 and 30 of the Annual Accounts.
2.	Note No. 14 to the financial statements indicate Trade Receivable of Rs. 15,26,93,800/- (previous balances Rs 1,10,47,789/-) include balances amounting to Rs.23,00,547/- which are outstanding for more than three years.	JCI had witnessed MSP during Financial Year 2022-23 considering such MSP sales reached a peak during the last half of March, 2023 which resulted in higher trade payable than usual. The matter related to balances over three years is under continuous monitoring, review, and reconciliation. JCI upon continuous monitoring and reconciliation with its customers was able to bring down the figure of more than three years receivable by 53%. Corrective measures for the balance receivable, if any, will be taken during the Financial Year 2023-24.



SL NO	AUDIT OBSERVATION	MANAGEMENT REPLY
3.	Note No. 36 to the financial statements stating an amount of Rs. 1,54,138/- has been realized during the Financial Year 2022-23, out of the receivable amount of Rs. 5,32,181/- from other Parties to whom excess/erroneous payment was made during the Financial Year 2017-18 due to software error.	The Corporation had taken initiative to disburse payment to jute growers directly through online mode (NEFT/ RTGS) against raw jute purchase under MSP. To execute this process, system software was adopted and purchase input data were also processed for payment to jute growers. However, due to an unexpected error which occurred beyond the normal risks that could not be foreseen while computerization, an amount of Rs. 1.45 Crore was transferred to unknown beneficiaries during initial period of online payment execution. Management has promptly taken up the matter with our bankers and made concerted efforts in realising the amounts that went to wrong beneficiaries. During the F.Y.2017-18 to 2021-22 Rs.139.68 Lakh has been recovered and the opening balance as on FY 2022-23 was Rs 5.32 Lakh. Further, we have realized an amount of Rs. 1.54 lakh during the current year under audit and the closing balance being Rs 3.78 Lakh as on 31.03.2023. Further an amount of Rs 0.54 Lakh has already been realized from 01.04.2023 to 15.09.2023. Also, we are continuously following up this matter with the Banks for realising the balance amount and expecting to realise the outstanding amount. Further details have been provided in Note No.36 to accounts.
4.	Disclaimer of Opinion: We observe in the area of Fixed Assets, Fixed Asset register although is available for last few years, in the Computerised form, but Fixed Asset register for the period prior to that has not been maintained, in proper manner and the scope of upgradation and maintenance of Fixed Asset register in computerised manner is yet to be done but work is in process.	JCI has already undertaken the work of complete digitisation of files. The same is expected to be completed at the earliest.



COMMENTS OF THE COMPTROLLER ANIJ AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial sta tements of The Jute Corpora tion of India Limited for the year end ed 3 1 March 20 23 in accorda nce with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for express ing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent au dit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(1 0) of the Act. This is stated to have been done by them vide the ir Aud it Report dated 28 September 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Audito r General of India, have decided not to conduct the supplementa ry audit of the financial statements of The Jute Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143 (6) (a) of the Act.

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata

Date: 17 October., 2023

(Bibhudutta Basantia)

Director General of Audit (Mines)

Kolkata



BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023

(Amount in Lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO.	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
I. EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
Share Capital	3(A)	500.00	500.00
Reserves and Surplus	3(B)	13,869.83	12,869.23
Non-Current Liabilities			
Other Long Term Liabilities	4	2,734.74	2,685.10
Long Term Provisions	5	964.91	864.96
Current Liabilities			
Short-Term Borrowings	6	2,845.44	0.02
Trade Payables			
a. Total outstanding dues of Micro & Small Enterprises	7	8.98	66.19
b. Total outstanding dues of Creditors other than Micro	7	1,067.27	874.46
& Small Enterprises			
Other Current Liabilities	8	2,300.26	2,477.89
Short-Term Provisions	9	171.77	271.45
TOTAL		24,463.20	20,609.30
II. ASSETS			
Non-Current Assets			
Property, Plant & Equipments	10	255.55	243.15
Intangible Assets	10	1.61	2.70
Long Term Loans and Advances	11	0.29	0.73
Other non-current assets	12	35.59	41.33
Current Assets			
Inventories	13	16,177.93	493.99
Trade Receivables	14	1,523.25	106.75
Cash and Cash Equivalents	15	5,891.89	18,831.88
Short term Loans and Advances	16	381.84	670.12
Other Current Assets	17	195.25	218.65
TOTAL		24,463.20	20,609.30

As Per our Report of even date

For S. K. Mallick & Co.

Chartered Accountants Firm Registration Number: 324892E For and on behalf of the Board

(Soumitra Ghose)	(Avik Saha)	(Amitava Sinha)	(Ajay Kumar Jolly)
Partner	Company Secretary	Director (Finance)	Managing Director
(M.N. 055467)		DIN: 09022866	DIN: 08427305



STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Amount in Lakhs)

		ì	Amount in Lakins)
PARTICULARS	NOTE NO.	AS AT	AS AT
I. Davienie		31/03/2023	31/03/2022
I. Revenue	40	44.004.70	5 504 04
Revenue from Operations	18	14,231.73	5,584.24
Other Income	19	966.79	1,025.73
Total Revenue		15,198.52	6,609.97
II. Expenses			
Cost of Trading Goods & Direct Expences	20	25,898.66	1,676.46
Changes in Inventories of Trading Goods	21	(15,683.94)	1,127.00
Employee Benefits Expenses	22	2,557.09	2,170.58
Finance Cost	23	87.77	0.03
Depreciation & Amortisation Expense	24	19.50	19.48
Other Expenses	25	1,033.65	469.40
Miscellaneous Expenses	26	98.19	51.23
Total Expenses		14,010.92	5,514.18
Profit before exceptional and extraordinary expenses		1,187.60	1,095.79
Exceptional items		-	2,474.00
Extraordinary items		-	-
Profit before Tax		1,187.60	(1,378.21)
Tax Expense:		,	
Current Tax		(187.00)	-
Deferred Tax		`	-
Profit/(Loss) for the Period		1,000.60	(1,378.21)
Average No. of Equity Share (Face value of Rs.100 each)		500000	5,00,000
Basic Earnings Per Share		200	(276)
Diluted Earnings Per Share		200	(276)
General Information & Significant Accounting Policies	1&2	200	(=: 0)
Other Notes to Financial Statement	27-41		

The notes referred to above form integral part of these financial Statement. As Per our Report of even date

For S. K. Mallick & Co.

Chartered Accountants For and on behalf of the Board

Firm Registration Number: 324892E

(Soumitra Ghose)(Avik Saha)(Amitava Sinha)(Ajay Kumar Jolly)PartnerCompany SecretaryDirector (Finance)Managing Director(M.N. 055467)DIN: 09022866DIN: 08427305



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2023

(Amounts in Lakhs)

PARTICULARS	2022-2023	2021-2022
A. Cash Flow From Operating Activities		
Profit/(Loss) before tax and prior period Adjustment	1,187.60	1,095.79
Adjustment for:		
Exceptional Item	-	(2,474.00)
Depreciation & Amortisation Expense	19.50	19.48
Profit on sale of Fixed Asset	(1.33)	(1.52)
Interest Income	(397.05)	(588.63)
Finance Cost	87.77	0.03
Operating profit before working capital change	896.49	(1,948.85)
(Increase)/Decrease in Inventory	(15,683.94)	1,127.00
(Increase)/Decrease in Sundry Debtors	(1,416.50)	668.51
(Increase)/Decrease in Loans and Advances	162.02	4,625.15
Increase/(Decrease) in Liabilities & Provisions	(70.17)	(567.56)
	(16,112.10)	3,904.25
Less: Income Tax Paid	52.13	267.41
Net Cash Flow From Operating Activities	(16,164.23)	3,636.84
Cash Flow From Investing Activities		
Purchase of Property, Plant & Equipments/Intangible Assets	(30.89)	(30.43)
Sale/Realisation of Property, Plant & Equipments/Intangible Assets	1.42	2.39
Interest Received	397.05	588.62
Net Cash Flow From Investing Activities	367.58	560.58
Cash Flow From Financing Activities		
Short Term Loan Taken/(Repaid)	2,845.41	0.02
Finance Cost	(87.77)	(0.03)
Dividend Paid including Distribution Tax	-	(776.18)
Net Cash Flow From Financing Activities	2,757.64	(776.19)
Net Increase/Decrease in Cash & Cash Equivelant	(13,039.01)	3,421.23
Cash & Cash Equivelant at the beginning of the year	16,436.60	13,015.37
Cash & Cash Equivelant at the End of the year	3,397.59	16,436.60

As Per our Report of even date

For S. K. Mallick & Co.

Chartered Accountants Firm Registration Number: 324892E For and on behalf of the Board

(Soumitra Ghose)
Partner
(M.N. 055467)

(Avik Saha) Company Secretary (Amitava Sinha) Director (Finance) DIN: 09022866 (Ajay Kumar Jolly)
Managing Director
DIN: 08427305



NOTE TO CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(Amounts in Lakhs)

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH	2022-2023	2021-2022
CASH & CASH EQUIVALENT		
As per Balance Sheet -Cash & Cash Equivalents	5,891.89	18,831.88
Less:Cash,Bank & Term Deposits:		
Retting Tank (Govt. of India)	83.97	80.32
Bio-Technological Retting Technology	1.17	1.17
IJSG	13.97	13.95
Development of Ribboner from GOI	138.06	132.10
Jute Technology Mission	2,257.13	2,167.74
Total Cash & Cash Equivalent	3,397.59	16,436.60



Note: -

1. GENERAL INFORMATION

The Jute Corporation of India Limited (JCI), a Central Public Sector Enterprise, under the Ministry of Textile (MOT), was set up in 1971 to act as a nodal agency for MSP operation of Raw Jute in India. Initially JCI has started its operation as a small trading agency but then slowly it expanded its network across the Jute growing areas of India and now has spread over successfully in 6 states (West Bengal, Bihar, Assam, Tripura, Orissa, and Andhra Pradesh) of India. JCI operates through its 110 Departmental Purchase Centres and 14 Regional Offices/Regional Lead DPC's with Head Office at Kolkata.

JCI is responsible for executing the Minimum Support Price (MSP) operations for jute procurement and serves as a stabilizing agency in the raw jute market. JCI's price-support operation involve procuring raw jute from farmers, usually small and marginal farmers, at MSP without any quantitative limit, as and when the prevailing market price of jute is at or below the MSP. These operations help to create a notional buffer in the market by siphoning off excess supply, in order to arrest inter-seasonal volatility in raw jute prices. It also denotes the floor price at which a jute farmer can sell his produce.

Besides Minimum Support Price Operation (MSP), JCI also undertakes Commercial operation of Raw Jute, trading in Jute Diversified Products and Distribution of Certified Jute Seeds.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis of accounting and preparation of financial statements.

The accounts have been prepared to comply in all material aspects with applicable accounting principles in India, the applicable Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 and the relevant provisions thereof. All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Corporation's normal operating cycle and other criteria set out in Schedule III to the Companies Act, 2013.

The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those of previous year.

2.2 Property, Plant & Equipment & Depreciation.

- i) Property, Plant & Equipment (PPE) are stated at cost of acquisition less depreciation.
- ii) Cost of Leasehold Premises is amortized over the period of lease.
- iii) Depreciation on Property, Plant & Equipment (PPE), other than Leasehold Premises, is provided on straight-line basis over the useful life and in the



manner prescribed in Schedule - II of the Companies Act, 2013.

iv) Computer under Property, Plant & Equipment (PPE) includes Mobile Phones as end user device.

2.3 Intangible assets and amortization.

- Intangible Assets like Computer Software etc. as defined in Accounting Standard 26 issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) are stated at cost of acquisition less amortization.
- ii) Intangible Assets are amortized Straight-line basis over a period of five to ten years considering in useful life and in conformity with the AS-26 issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

2.4 Inventories

- Raw Jute stock procured is valued at weighted average cost or net realizable value, whichever is lower.
- ii) Jute diversified products are valued at cost or net realizable value, whichever is lower.
- iii) Jute seed are valued at cost or net realizable value, whichever is lower.
- iv) Raw Jute stock quantities as stated in the Accounts are bales of 180 Kg per bale.

2.5 Cash & Cash equivalents.

Cash comprises cash-in-hand, balances with banks that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.6 Cash Flow Statement.

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit before exceptional and extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transaction of known cash nature. Cash flows from operation, investing and financing activities of the Corporation are segregated based on the available information and complied with Accounting Standard 3.

2.7 Employees Benefit.

i) Gratuity.

a) Regular Employees

The Corporation makes regular contribution to Group Gratuity Fund administered by the Life Insurance Corporation of India and discharges Gratuity liability to the regular employees from such Fund.



b) Casual, Contractual, Outsourced and Contingent Employees

The Corporation provides the liability for Gratuity of casual, contractual, outsourced and contingent employees in the financial statement on the basis of actuarial valuation and discharges the Gratuity liabilities to the casual, contractual, outsourced and contingent employees are made on retirement by the Corporation on its own.

Gratuity is payable to all employees subject to a maximum limit of Rs.20 Lacs. Retirement age of employees is taken at 58 years. Progression of future salary is taken into account while calculating the liability. Increase in Dearness Allowances (DA) has also been considered appropriately in Actuarial Valuation. The assumption and methodology used in actuarial valuations are consistent with the requirements of Accounting Standard 15 (revised in 2005)

ii) Leave Encashment Benefit (Non-Funded).

The Corporation provides the liability for leave encashment benefit for regular employees on retirement in the financial statements on the basis of actuarial valuation for existing employees on the closing date.

The assumption and methodology used in actuarial valuations are consistent with the requirements of Accounting Standard 15 (revised in 2005).

iii) Provident Fund and Family Pension Fund to employees

Contribution to Provident Fund and Pension Fund is recognized during the period in which the employees are under service. Contributions for Provident Fund are deposited with Contributory Provident Fund Trust of The Jute Corporation of India Ltd. Contributions to Pension Fund are deposited to Regional Provident Fund Commissioner, as per provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952.

iv) Leave Travel Concession

Leave Travel Concession is accounted for as and when the same is claimed by the employee.

2.8 Revenue Recognition.

In preparation of financial statements, income/expenditure is recognized in the year in which realization/payment thereof is reasonably ascertained and/or settled except otherwise stated. For following cases recognition of income /expenditure are made on actual realization/settlement basis.

- (a) Interest income on book debts, if any.
- (b) Interest on advances to employees, if any.



- (c) Provisional claims lodged with insurers and other agencies, if any.
- (d) Carrying cost, if any
- (e) Subsidy from Government for MSP Operation is accounted for in the year for which it is approved by Government, if such approval is obtained before finalization of accounts of that year. In case, Government approval of subsidy is obtained after finalization of accounts of the year for which it is approved then, it is accounted for in the year in which the approval is obtained with a suitable note to accounts.

2.9 Liability for Revision of Pay Scales

Liability for revision/increase in employees' pay and allowances is recognized in the year in which the Government approves the same and/or notifies to the Corporation.

2.10 Prior Period Adjustment

Individual transaction exceeding Rs.10,000/- relating to earlier years are accounted for under Prior Period Adjustment account.

2.11 Provision for Current and Deferred tax.

Provision for current tax is made after taking into consideration benefits admissible under the provision of the Income Tax Act, 1961

Deferred Tax is recognized on timing differences being the difference between taxable income and accounting income for the year and is likely to reversed in one or more subsequent periods (in conformity with AS 22)

2.12 Impairment of Assets.

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged into Profit and Loss Accounts in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable value..

2.13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Provision involving substantial degree of estimation in measurement is recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are recognized but are disclosed in the notes. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements..



(Amounts in Lakhs)

3(A). : Share Capital

		AS AT 3	1/03/2023		AS AT 3	1/03/2	2022
Aut	horised						
	5,00,000 Equity Shares of Rs.100/- each		500	.00			500.00
			500	.00			500.00
Issu	ed, Subscribed and Paid-up						
	5,00,000 Equity Shares of Rs.100/- each fully paid up.		500	.00			500.00
			500	.00			500.00
(a)	Reconciliation of Equity shares outstanding at the end of the year						
		No. of Shares	Amoun		lo. of hares	Ar	mount
	Shares outstanding at the beginning of the Year	5,00,000	500	.00 5	5,00,000		500.00
	Shares issued during the year	-		-	-		-
	Less Shares bought back during the year	-		-	-		-
	Shares outstanding at the end of the Year	5,00,000	500	.00	5,00,000		500.00
(b)	Terms and rights attached to equity shares	Name of					
	The Company has only one class of equity shares with voting right proportionate to the share holding of the share holders	the Share Holder			s on arch,		
(C)	Details of shareholders holding more than 5% of the shares in the company	more than 5% of President of India		% of the Holdin	No. Sha	rο	% of the Holding
		Oi iiiuia	499998	99.99%	4999	98	99.99%



(Amounts in Lakhs)

3(B).: Reserves and Surplus

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023		AS AT 31	/03/2022
<u>Surplus</u>				
As per last Balance Sheet	12,869.23		15,023.62	
Add: Profit / (Loss) for the year	1,000.60		(1,378.21)	
	13,869.83		13,645.41	
Less:Dividend Paid	-		776.18	
		13,869.83		12,869.23
Net Surplus		13,869.83		12,869.23

4. Other Long Term Liabilities

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023		AS AT 31/03/2022	
Balance in Project Funds				
Retting Tank (Govt. of India)		83.97		80.32
Bio-Technological Retting Technology		1.17		1.17
IJSG		13.98		13.95
Development of Ribboner from GOI		138.06		132.10
Jute Technology Mission		2,257.13		2,167.74
Others Non Current Liabilities				
Earnest Money Deposit		6.75		24.99
Security Deposit		2.42		16.55
Liability for Expenses and other Payables		152.65		119.64
Advance from Customers		8.59		58.62
Advance from JTM		10.27		10.27
Pilot Projects A/C		0.48		0.48
Project Decorticator Machine		10.88		10.88
Project Saturation		48.39		48.39
Total		2,734.74		2,685.10

5. Long term Provisions

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31	/03/2022
Provision for Employee Benefits			
Gratuity (Casual Employee)	251.68		308.27
Leave Salary(Regular Employee)	713.23		556.69
Total	964.91		864.96

6. Short-Term Borrowings

OTHER LONG TERM LIABILITIES	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Cash Credit from Central Bank of India	1,478.85	0.02
Cash Credit from Punjab National Bank	1,366.59	-
Total	2,845.44	0.02



(Amounts in Lakh)

7: Trade Payables

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Total Outstanding dues of micro and small	8.58	66.19
enterprises		
Total Outstanding dues of other than micro and	1,067.27	874.46
small enterprises		
Total	1,076.25	940.65

7.1: Trade Payables ageing schedule: As at 31st March, 2023

711. Trado i dyabioo agomy contoadio. Ao at o fot maron, 2020								
		OUTSTANDING FOR FOLLOWING PERIODS FROM DUE DATE OF PAYMENT LESS THAN 1 YEAR 1-2 YEARS 2-3 YEARS 3 YEARS TOTAL						
PARTIC	JLARS							
MSME		7.92	1.06	-	-	8.98		
Others		945.82	112.59	4.11	4.75	1,067.27		

7.2: Trade Payables ageing schedule: As at 31st March, 2022

,	OUTSTANDING	FOR FOLLOW	ING PERIODS F	ROM DUE DATE	OF PAYMENT
PARTICULARS	LESS THAN 1 YEAR	1-2 YEARS	2-3 YEARS	MORE THAN 3 YEARS	TOTAL
MSME	65.87	0.32	-	-	66.19
Others	858.53	4.43	-	11.50	874.46

8: Other Current Liabilities

PARTICULARS	AS AT 31	1/03/2023	AS AT 31	/03/2022
Statutory Dues:				
Pension Fund Payable		17.30		7.03
ESI Payable		0.91		0.78
Provident Fund Payable		0.51		-
TCS Payable		3.69		0.09
TDS Payable		30.75		21.31
Profession Tax Payable		0.42		0.36
GST Payable		10.51		1.65
Other Dues:				
Earnest Money Deposit		8.61		14.00
Security Deposit		292.85		251.43
Retention Money		98.04		83.19
Liability for Expenses and Other Payables		359.35		733.69
Project I-Care		951.15		1,078.28
Advance From Customers		469.46		258.67
Bank Charge Payable		0.45		-
Claims Payable		56.26		27.41
Total		2,300.26		2,477.89

9: Short-term Provisions

PARTICULARS	AS AT 3	AS AT 31/03/2023		/03/2022
Provision for Employee Benefits:				
Bonus	21.63		22.15	
Leave Salary (Regular Employee)	71.87		161.11	
Gratuity (Casual Employee)	78.27		88.19	
		171.77		271.45
Total		171.77		271.45



10. Property Plants & Equipments

(Amounts in Lakhs)

		GROSS BLOCK	BLOCK			DEPRE	DEPRECIATION		NET BLOCK	LOCK
TANGIBLE ASSET	AS AT	CITOL	DELETION/	AS AT	AS AT	ADDI- TIONS	DELETION/	AS AT	AS AT	AS AT
	31/03/2022	ADDIIIONS	ADJUS I –	31/03/2023	31/03/2022	FOR THE Year	ADJUST- MENTS	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2022
LEASEHOLD PREMISES	259.98	I	I	259.98	61.23	2.90	I	64.13	195.85	198.75
FURNITURE & FIXTURE	42.86	0.43	8.14	35.15	40.48	0.45	8.14	32.79	2.36	2.38
OFFICE EQUIPMENT	18.59	7.97	0.77	25.79	15.45	1.22	0.77	15.90	68'6	3.14
DPC EQUIPMENT	17.92	4.09	0.20	21.81	9.97	0.61	0.20	10.38	11.43	7.95
COMPUTER	91.98	18.25	1.12	109.11	61.22	13.21	1.03	73.40	35.71	30.76
ELECTRICAL INSTALLATION	0.72	0.15	I	0.87	99'0	0.01	I	0.67	0.20	90.0
AIR-CONDITIONER	2.22	I	I	2.22	2.11	I	I	2.11	0.11	0.11
CYCLES	1.16	I	_	1.16	1.16	I	Ι	1.16	I	I
Total(A)	435.43	30.89	10.23	456.09	192.28	18.40	10.14	200.54	255.55	243.15
Intangible Asset										
COMPUTER SOFTWARE	5.58	I	I	5.58	4.26	0.81	I	5.07	0.51	1.32
WEBSITE	1.15	I	I	1.15	0.29	0.23	I	0.52	0.63	0.86
TRADE MARK	09.0	I	I	09.0	0.07	0.00	I	0.13	0.47	0.52
Total(B)	7.33	1	1	7.33	4.62	1.10	ı	5.72	1.61	2.70
		,								
Current Year(A+B)	442.76	30.89	10.23	463.42	196.90	19.50	10.14	206.26	257.16	245.85
Previous Year	447.65	30.43	35.32	442.76	211.88	19.48	34.46	196.90	245.85	235.76



(Amounts in Lakhs)

11. Long Term Loans and Advances

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023		AS AT 31/03/2022	
Security Deposits				
Unsecured, Considered good		0.29		0.73
Total		0.29		0.73

12. Other non-current assets

PARTICULARS	AS AT 3	AS AT 31/03/2023		1/03/2022
Advance to other Parties				
Unsecured and Considered Good	35.59		41.33	
Unsecured and Considered doubtful	0.69		1.97	
Less:Provision Held	(0.69)	35.59	(1.97)	41.33
Total		35.59		41.33

13. Inventory

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Raw Jute - Price support	8,531.12	53.07
Raw Jute - Commercial	7,277.99	228.30
Jute Seed	334.94	179.53
Jute Diversified Products	33.88	33.09
Total	16,177.93	493.99

14. Trade Receivables

PARTICULARS	AS AT 3	1/03/2023	AS AT 3	1/03/2022
Outstanding for more than Six Month				
Unsecured,considered good	69.70		95.43	
Unsecured and considered doubtful	3.69		3.73	
Provision for Doubtful Debt	(3.69)	69.70	(3.73)	95.43
Others		1,453.55		11.32
Total		1,523.25		106.75

14.1: Trade Receivables ageing schedule: As at 31st March,2023

	OUTSTANDING	FOR FOLLOWIN	G PERIODS FR	OM DUE DATI	E OF PAYMENT
PARTICULARS	LESS THAN 6 MONTHS	6 MONTHS - 1 YEAR	1 - 2 YEARS	2 - 3 YEARS	MORE THAN 3 YEARS
Undisputed considered good	1,453.55	0.81	9.92	39.65	19.32
Undisputed considered doubtful	-	-	-	-	3.69



(Amounts in Lakhs)

14.2: Trade Receivables ageing schedule: As at 31st March,2022

	OUTSTANDING	FOR FOLLOWIN	IG PERIODS FR	OM DUE DATE	OF PAYMENT
PARTICULARS	LESS THAN 6 MONTHS	6 MONTHS - 1 YEAR	1 - 2 YEARS	2 - 3 YEARS	MORE THAN 3 YEARS
Undisputed considered good	11.32	9.92	39.65	9.81	36.05
Undisputed considered doubtful	-	-	-	-	3.73

15. Cash and Cash Equivalents

PARTICULARS	AS AT	31/03/2023	AS AT	31/03/2022
Cash & Cash Equivalents				
Balances with Banks:				
In Current Accounts		1,007.84		955.44
In Saving Accounts		384.66		1,474.82
In Term Deposit Accounts		4,496.44		16,393.92
Cash in Hand		2.96		7.70
Total		5,891.89		18,831.88

16. Short Term Loans and Advances

PARTICULARS	AS AT 3	31/03/2023	AS AT 31	/03/2022
Advances Recoverable in cash or in kind or				-
for value to be received				
Advance to Staff		1.61		1.48
Advance to Other Parties				
Unsecured and Considered Good		11.43	-	9.25
Prepaid Expenses		71.46		33.72
Advance to CPF Trust				172.99
GST Receivables		0.49		-
Advance Income Tax	8,600.97		8,548.83	
Less: Provision for Income Tax				
Balance as per Last Account	8,096.15		8,096.15	
Addition during the year	207.97			
		296.85	-	452.68
Total		381.84		670.12

17. Other Current Assets

PARTICULARS	AS AT 31/0	03/2023	AS AT 31	/03/2022
Interest accrued but not due		78.29		209.15
Subsidy Receivable from GOI		109.00		-
Insurance Claim Receivable		7.96		9.50
Total		195.25		218.65



(Amounts in Lakhs)

18. Revenue from Operations

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Sales - Price Support	10,482.84	204.89
Sales - Commercial	219.36	2,017.74
Sales- Jute Diversified Products	143.18	87.61
Sales - Jute Diversified Products (Export)	0.65	24.73
Sales - Jute Plant	1.45	1.30
Sales - Jute Seeds	509.09	798.67
Less : Claim paid	(24.84)	(4.70)
	11,331.73	3,130.24
18.1 Other operating Revenues		
Subsidy from GOI. (MSP)	2,900.00	2,454.00
Total	14,231.73	5,584.24

19. Other Income

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Interest Income	397.05	588.63
Rent Received	1.91	-
Carrying Cost (Price Support)	7.62	3.48
Liability no Longer Required (Written Back)	494.76	349.71
Insurance Claim	1.93	1.14
Misc. Income	13.98	46.46
Supervision Charges (Projects)	49.54	36.31
Total	966.79	1,025.73



(Amounts in Lakhs)

20. Cost of Trading Goods & Direct Expences

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
PURCHASE		
Raw Jute - Price Support	16,528.00	26.27
Raw Jute - Commercial	7,745.14	708.82
Jute Diversified Products	132.86	89.01
Jute Plant	0.50	0.45
Jute Seeds	657.18	745.83
Sub-total (a)	25,063.68	1,570.38
DIRECT EXPENSES		
Operational Expenses	628.50	22.88
Taxes & Levy	206.48	83.20
Sub-total (b)	834.98	106.08
Total	25,898.66	1,676.46

21. Changes in Inventories of Trading Goods

PARTICULARS		AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Opening Stock			
Raw Jute - Price Support		53.07	146.82
Raw Jute - Commercial		228.30	1,124.52
Jute Seed		179.53	314.35
Jute Diversified Products		33.09	35.30
	Total	493.99	1,620.99
Closing Stock			
Raw Jute - Price Support		8,531.12	53.07
Raw Jute - Commercial		7,277.99	228.30
Jute Seed		334.94	179.53
Jute Diversified Products		33.88	33.09
	Total	16,177.93	493.99
Net (Increase) / Decrease		(15,683.94)	1,127.00



(Amounts in Lakhs)

22. Employee Benefits Expenses

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Salaries & Allowances	1,231.86	1,234.26
Wages	685.77	681.16
Directors Remuneration	77.75	68.21
Bonus	20.11	23.71
Rent Residential	2.32	4.50
Corporation's Contribution to Pension Funds	35.89	36.43
Corporation's Contribution to Gratuity Funds	75.79	56.68
Corporation's Contribution to Provident Funds	97.32	102.56
Corporation's Contribution to ESI	6.10	5.43
Staff Welfare Expenses	27.87	31.53
Leave Encashment Benefit on Retirement	215.35	(134.15)
Medical Expenses Re-imbursement	74.54	52.49
Administrative Charges of CPF	2.35	2.28
Leave Travel Expenses	4.07	5.49
Total	2,557.09	2,170.58

23. Finance Cost

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Interest on Cash Credit	87.66	0.03
Others	0.11	-
Total	87.77	0.03

24. Depreciation & Amortisation Expense

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Depreciation	19.50	19.48
Total	19.50	19.48



(Amounts in Lakhs)

25. Other Expenses

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Printing & Stationery	11.78	10.75
Electricity Charges	14.11	12.45
Rent	14.20	20.05
Godown Rent & Storage	186.52	144.45
Repairs & Renewals	40.86	44.44
Office Maintenance Expenses	10.80	4.60
Rates and Taxes	4.78	0.81
Insurance	59.46	42.18
JDP Development Expenses	24.85	-
Club Expenses	2.93	-
Recruitment Expenses	81.36	-
Travelling and Conveyance	90.75	33.78
Legal & Professional Fees	28.31	13.88
Freight Expenses	314.11	39.52
GST	4.69	3.08
Statutory Audit Fees	2.85	2.85
Other Audit Fees	1.58	1.77
Telephone & Internet Charges	14.07	11.72
Postage & Courier	1.21	0.83
Books & Periodicals	1.31	0.96
Entertainment Expenses	0.54	0.89
Conference and Meeting Expenses	16.80	5.06
Corporate Social Responsibility Expenses	41.13	27.30
Advertisement & Publicity	6.98	3.52
Car Expenses	55.83	39.89
Research & Developmet	-	4.00
Bank Charges	1.84	0.62
Total	1,033.65	469.40

26. Miscellaneous Expenses

PARTICULARS	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
Honorarium and Other Fees	0.02	0.24
Sundry Balances written off	28.49	-
RO Expenses & HO Expenses	64.15	49.42
Security Guard Expenses	5.53	1.57
Total	98.19	51.23



NOTES TO ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023.

27. Disclosure with respect to Retirement Benefit to Employees

i. Gratuity (Regular)

During the year, the Corporation has paid for its gratuity liability Rs.60.90 lakhs (previous year Rs. 90.41 lakhs) for regular employees as per demand raised by LIC.

ii. Gratuity (Casual, Contractual, Outsourced and Contingent)

Balance of gratuity liability at the end of the year is Rs. 329.96 lakhs (previous year Rs. 396.46 lakhs) for casual, Contractual, Outsourced and Contingent employees based on actuarial valuation. Basis of actuarial assumptions are as follows.

BASIS OF VALUATION:			
	31.03.2023	31.03.2022	
Discount Rate Per Annum (Compounded)	7.10 %	6.25 %	
Rate of Increase in salaries	14.00 %	14.00 %	
Expected Average remaining Working	20.65 yrs	20.29 yrs	

iii. Leave Encashment Benefit

Balance of Leave encashment liability at the end of the year is Rs.785.10 lakhs (previous year Rs. 717.80 lakhs) for regular employees based on actuarial valuation.

28. Contingent Liabilities

Contingent Liabilities (excluding consequential liabilities, if any thereon) not provided for in the accounts:

SL. NO.	PARTICULARS	31.03.2023 (RS. IN LAKHS)	31.03.2022 (RS. IN LAKHS)
1.	Claims against the Corporation not acknowledged as Debts	1792.05	1777.09
2.	Other money for which the Corporation is contingently Liable.	1504.95	1504.95

Other money for which the Corporation is contingently liable shows income tax demand disputed by the Company aggregating to Rs.1504.95 Lakhs (P.Y- 1504.95 Lakhs). The matter is under rectification/appeal before Assessing Officer /CIT(A)/Income Tax Appellate Tribunal and company is hopeful of same being adjudicated in their favour.



29. CSR Expenses:

The Corporation has spent Rs. 41.13 lakhs (P.Y. 27.30 lakhs) during the year towards Corporate Social Responsibility (C.S.R) Expenses in line with C.S.R Policy of the Company as detailed below:

The Corporation has managed to spend the entire CSR budget of Rs. 15.67 lakhs for F.Y. 2022-23 during the aforesaid financial year itself.

In addition to spending the entire CSR budget for the F.Y. 2022-23, as informed above, the Corporation has also spent the following amounts during the F.Y. 2022-23:

CSR Expenses for FY-2021-22 - Rs. 24.46 lakhs

CSR Expenses for FY-2019-20 - Rs. 1.00 lakh

For F.Y. 2021-22, out of the unspent CSR Budget of Rs 26.87 lakhs the Company has spent Rs. 24.46 lakhs during the F.Y. 2022-23. The balance unspent amount of Rs. 2.41 lakhs is planned to be spent during F.Y. 2023-24.

Further, the unspent CSR Budget of Rs.2.00 lakhs from the F.Y. 2020-21 is also planned to be spent during the F.Y. 2023-24.

As on date, the Corporation plans to spend the following unspent amounts during the F.Y. 2023-24, in addition to the CSR budget of the Corporation for the subject financial year to be calculated as per provisions of the Companies Act, 2013.

2020-21 Rs. 2.00 Lacs

2021-22 Rs. 2.41 lakhs

30. Disclosure in respect of projects:

For grant received from GOI for up-gradation of Jute Technology:

(Rs. In lakhs)

PROJECT NAME			(UPTO 31S	Г MARCH, 2023)	
		AMOUNT RECEIVED	INTEREST EARNED	DISBURSEMENT	BALANCE OUTSTANDING
(a)	Jute quality Improvement (Retting Technology)	40.00	71.29	27.32	83.97
		(40.00)	(66.87)	(26.55)	(80.32)
(b)	Development of Manual Power Driven Ribboner Machine	34.00	119.97	15.91	138.06
		(34.00)	(112.76)	(14.66)	(132.10)



(c)	Bio Technological Retting	9.00	-	7.83	1.17
		(9.00)	-	(7.83)	(1.17)
(d)	Jute Technology Mission (JTM)	6005.00	2013.24	5761.11	2257.13
		(6005.00)	(1904.91)	(5742.17)	(2167.74)

Interest earned on Short Term Deposits relating to above projects have been credited to respective project fund.

31. Directors' Remuneration comprises of the following, which has been debited to respective head of accounts:

		31.03.2023 (RS. IN LAKHS)	31.03.2022 (RS. IN LAKHS)
a.	Salaries	77.25	67.31
b.	Contribution to Provident Fund, Pension & Gratuity	7.86	7.14
C.	Rent Residential	2.32	4.50
d.	Others	5.21	5.17
e.	Sitting Fees	0.50	0.90
	Total	93.14	85.02

32. Earnings per share of the Corporation has been computed in the following manner:

	31.03.2023 (RS. IN LAKHS)	31.03.2022 (RS. IN LAKHS)
(Loss) /Profit for the year	1000.60	(1378.21)
Weighted Average of No. of equity share	5,00,000	5,00,000
Earnings Per Share (Basic and Diluted) (in Rs.)	200	(276)

33. Deferred Tax

Deferred Tax Asset (DTA) – Review of DTA carried forward from previous year as well as recognition of DTA in the current year.

Accounting Standard-22 specifies the requirement of the carrying amount of DTA at each Balance Sheet date. It also specifies that the DTA to be recognized and carried forward only if there be a reasonable certainly of sufficient future taxable income against which such DTA can be realized.

The major objective of the Corporation to conduct the Minimum Support Price (MSP) operation of raw jute and the same depends on the volatility of market price of raw jute. Also even if there is MSP operation it is not certain that the Corporation will be able to



recover the cost involved in MSP with a positive margin, as the same is totally dependent on Government decision/policy as applicable from time to time. Though Govt. of India normally provides to the Corporation a prefixed annual monetary support to meet some cost of MSP but the same may not be sufficient for meeting both infrastructure cost as well as cost pertaining to Jute procurement and allied activities. In such a situation it can may well be said that there is no reasonable certainly of having sufficient taxable income in future to realize any carried forward and freshly recognized DTA.

34. As per Accounting Standard 18, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the disclosures of transaction with related parties are as follows,

PARTICULARS	NAME OF RELATED PARTY.
Key Managerial Personnel	 Shri Ajay Kumar Jolly, (Chairman cum Managing Director – from 01-02-2022 to 31-07-2022), (Managing Director – From 01-08-2022 onwards)
Ney Managenal Fersonner	2. Shri Amitava Sinha, Director Finance
	3. Shri Avik Saha, Company Secretary

Transaction during the year with related parties (Key Managerial Personnel):

NATURE OF TRANSACTION	RELATIONSHIP	AMOUNT	ΓIN RS.
NATURE OF TRANSACTION	RELATIONSHIP	2022-23	2021-22
Remuneration (incl. house rent)			
Shri Ajay Kumar Jolly	Managing Director (Chairman cum Managing Director – from 01-02-2022 to 31-07-2022), (Managing Director – From 01- 08-2022 onwards)	47.90	43.38
Shri Amitava Sinha	Director Finance	44.74	40.73
Shri Avik Saha	Company Secretary	17.67	15.99

35. Information in respect of goods traded

			2022-20)23		22	
	PARTICULARS	BALES	QNTLS.	AMOUNT (RS. IN LAKHS)	BALES	QNTLS.	AMOUNT (RS. IN LAKHS)
(a)	Purchase						
	Raw Jute	2,86,140	5,15,052	24273.14	7,191	12,944	735.09
	Jute Seeds		6082	657.18		6,171.95	745.83
	Diversified jute products			132.86			89.01
	Jute Plant			0.50			0.45



		2,86,140	5,21,134	25063.68	7,191	19,115.95	1570.38
(b)	Sales						
	Raw Jute	1,07,493	1,93,488	10677.36	17,008	30,615	2217.93
	Jute Seeds		4517.99	509.09		6,572.34	798.67
	Diversified jute products			143.83			112.34
	Jute Plant			1.45			1.30
		1,07,493	1,98,005.99	11331.73	17,008	37,187.34	3130.24
(c)	Opening Stock						
	Raw Jute	2,894	5,210	281.37	12,711	22,881	1271.35
	Jute Seeds		2,457.33	179.53		2,857.72	314.34
	Diversified jute products			33.09			35.30
		2,894	7,667.33	493.99	12,711	25,738.72	1620.99
(d)	Closing Stock						
	Raw Jute	1,81,541	3,26,774	15809.11	2,894	5,210	281.37
	Jute Seeds		4021.34	334.94		2,457.33	179.53
	Diversified jute products			33.88			33.09
		1,81,541	3,30,795.34	16177.93	2,894	7,667.33	493.99
(e)	(Loss)/Gain in Weight of Raw Jute	1010	1818		(552)	(993)	

Stock quantities are stated in the accounts in Bales of 180 Kgs per bale.

- **36.** Advance to other parties includes an amount of Rs 3.78 lakhs receivable from Parties to whom excess/erroneous payment was made during the F.Y.17-18 due to software error. An amount of Rs 0.54 lakhs has since been realized and outstanding as on 15.09.2023 is Rs 3.24 lakhs.
- 37. The following ratio's mentioned below have been annexed to the notes to accounts
- (a) Current ratio,
- (b) Debt-Equity ratio,
- (c) Debt Service Coverage ratio,

- (d) Return on Equity ratio,
- (e) Inventory turnover (f) ratio,
- Trade Receivables turnover ratio

- (g) Trade payables turnover (h) ratio,
- Net capital turnover (i) ratio,
- Net profit ratio,

- (j) Return on Capital (k) employed,
 - Return on investment.

AS PER ANNEXURE ATTACHED

38. Out of the total certified jute seeds purchased from National Seeds Corporation Ltd.



during FY 2020-21, 97.97 MT was sent for revalidation in Aug 2021. Out of 97.97 MT jute seeds, 78.30 MT jute seed was revalidated and remaining 19.67 MT jute seed not be revalidated. However, 78.30 MT revalidated jute seeds could not be sold during F.Y. 2022-23. Considering that It may not be revalidated again and may not get sold, the value of total 97.97 MT jute seed has been considered in the Books of Accounts for Rs. 3.92 lakhs (@ Rs. 4/- per Kg.) as residual value.

39. Dividends not recognized at the end of reporting period:

Your directors recommend a dividend for the year ended 31st March, 2023 @ Rs. 143.70/-per share (P.Y. Nil) to its shareholder i.e. Govt. of India. The total outgo in the form of dividend will be Rs. 718.50 lakhs (P.Y. Nil). The payment of dividend is subject to approval of the members in the ensuing Annual General Meeting.

- 40. Figures for the previous year have been regrouped and rearranged wherever necessary. Figures in brackets represent previous year's figures.
- 41. Other information required to be given as per the requirement of Schedule III of the Companies Act 2013 may be read as nil.

For S. K. Mallick & Co.

For and on behalf of the Board

Chartered Accountants

Firm Registration Number: 324892E

(Soumitra Ghose) (Avik Saha)
Partner Company Secretary
(M.N. 055467)

(Amitava Sinha) Director (Finance) DIN: 09022866 (Ajay Kumar Jolly) Managing Director DIN: 08427305



RATIO ANALYSIS

(Amounts in Lakhs)

	RATIO ANALYSIS	NUMURATOR	AMOUNT IN RS. 2022–23	AMOUNT IN RS. 2021–22	DENOMINATOR	AMOUNT IN RS. 2022–23	AMOUNT IN RS. 2021–22	31.03.2023	31.03.2022	REMARKS
-	Current Ratio	Current Assets			Current Liabilities					
		Inventories	16177.93	493.99	Craditorsfor goods and services	1076.25	940.65			
		Sandry Debtors	1523.25	106.75	Cash Credit	2845.44	0.02			
		Cash and Cash Equivalent	5891.90	18831.88	Short–Term Provisions	171.77	271.45			
		Loans and Advances	381.84	670.12	Any other current liabilities	2300.26	2477.89			
		Other current assets	195.25	218.85						
			24170.17	20321.39		6393.72	3690.01	3.78	5.51	Due to availment of Cash Credit facility in F.Y. 22–23 for MSP procurement of raw jute, current liabilities have increased.
2	Debit Equity Ratio	Total Liabilities			Shareholder's Equity					
		Total Outside Liabilities	10093.38	7240.07	Total Shareholders Equity	14369.83	13369.23	0.70	0.54	Due to availment of Cash Credit facitity in F.Y. 22–23 for MSP procurement of raw jute, outside liabilities have increased.
က	Debit Service Coverage Ratio	Net Operating Income			Debit Service					
	(For Ind AS Companies Profit before OCI)	Net Profit after tax + non-cash operating expenses Nice depreciation and other amortizetions + Interest + other adjestments like loss on sale of fixed assets etc.			Current Debt Obligation (Interest & Lease payment + Principal Repayment.)			N.A.	N.A.	
4	Return on Equity Ratio	Profit for the period			Avg. Shareholders Equity					
		Net Profit after taxes — preference dividend (If any:)	1000.60	-1378.21	(Beginning shareholders' equity + Ending shareholders' equity) + 2	13869.53	14446.42	0.07	(0.10)	Due to the exceptional items written off during the F.Y. 2021–22, resulting into losses to the Corporation and in F.Y. 22–23 Corporation has earned profit.
ນ	Inventory Turnover Ratio	Cost of Goods sold			Average Inventory					
		(Opening Stock + Purchases) – Closing Stock	10214.72	2803.46	(Opening Stock + Closing Stock)/2	8335.96	1057.49	1.23	2.65	Due to increased of Closing stock as on 31.03.23.



RATIO ANALYSIS

(Amounts in Lakhs)

	RATIO ANALYSIS	NUMURATOR	AMOUNT IN RS. 2022–23	AMOUNT IN RS. 2021–22	DENOMINATOR	AMOUNT IN RS. 2022–23	AMOUNT IN RS. 2021–22	31.03.2023	31.03.2022	REMARKS
9	Trade Receivables Turnover Ratio	Net Sales			Average Trade Receivables					
		Net Sales	11331.73	3130.24	(Beginning Trade Receivables + Ending Trade Receivables)/2	815.00	441.00	13.90	7.10	Due Substantial credit sales (under L/C) in the last fortnight of March 2023.
7	Trade Payables Turnover Ratio	Total Purchases			Average Trade Paybles					
		Annual Net Credit Purchases	25063.68	1570.38	(Beginning Trade Payables + Ending Trade Payables)/2	1008.45	978.63	24.85	1.60	Due to increase in raw jute purchase and payment thereron to the creditors during the FY. 2022–23
∞ i	Net Capital Turnover Ratio	Net Sales			Average Working Capital					
		Total Sales–Sales Return	11331.73	3130.24	Current Assets – Current Liabilities	17776.45	16631.37	0.64	0.19	0.19 Due to substantial increase in turover in FY. 22–23, over the previous F.Y. 21–22.
6	Trade Profit Ratio	Trade Profit			Net Sales					
		Profit After Tax	1000.60	-1378.21	Sales	11331.73	3130.24	0.09	(0.44)	Due to exceptional items written off during F.Y. 21–22 year, resulted into losses to the Corporation.
9	10 Return on Capital employed	EBIT			Capital Employed					
		Profit before interest and Taxes	1275.37	-1378.18	Capital Employed = Tangible Net Worth + Total Debt +Deterred Tax Liability	24463.20	20609.30	0.05	(0.07)	Due to exceptional items written off during FY.21–22 year, resulted into losses to the Corporation.
=	Return on Investment	ЕВІТ	1275.37	-1378.18	Investment in Fixed Assets	257.16	245.85	4.96	(5.61)	Due to exceptional items written off during FY.21–22 year, resulted into losses to the Corporation.



INTERNAL RAW JUTE - PRICE SUPPORT

	20	022-2023	202	21-2022
	BALES	RS IN LAKH	BALES	RS IN LAKH
INCOME				
Sales	1,05,624	10,458.51	1,598	204.46
Carrying Cost		7.62		3.48
Liability No longer Required Written Back		494.76		349.71
Interest Income		397.05		587.82
Insurance Claim		1.93		1.14
Misc Income		13.98		46.45
Rent Received		1.91		-
Supervision charges (Projects)		31.81		32.45
Grant/Subsidy from the Government		2,900.00		2454.00
Loss in Packed Weight	-	-	114	-
Closing Stock	1,04,563	8,531.12	702	53.07
Net Loss		-		1,549.44
	2,10,187	22,838.68	2,414	5,282.02
EXPENDITURE				
Opening Stock	702	53.07	2,084	146.82
Purchases	2,08,990	16,528.00	330	26.27
Tax and Levy		140.60		2.97
Freight		305.50		1.16
Operational Expenses		427.62		0.67
Payment to and Provision for Employees		2,557.09		2,170.59
Other Administrative Expenses		542.21		269.68
Interest and other financial charges		87.77		0.03
Godown Rent and Storage		186.52		164.51
Insurance		31.35		2.76
Depreciation		19.50		19.48
GST		4.69		3.08
Grant/Subsidy Written off		-		2,474.00
Gain in Packed Weight	495	-	-	-
Net Profit		1,954.77		-
	2,10,187	22,838.68	2,414	5,282.02



INTERNAL RAW JUTE - COMMERCIAL

	2	022-2023	202	1-2022
	BALES	RS IN LAKH	BALES	RS IN LAKH
INCOME				
Sales	1,869	218.85	14,858	2,013.47
Insurance Claims		-		-
Loss in Packed weight	-	-	438	-
Closing Stock	76,978	7,277.99	2,192	228.30
Net Loss		776.01		-
	78,847	8,272.85	17,488	2,241.78
EXPENDITURE				
Opening Stock	2,192	228.30	10,627	1,124.52
Purchase	76,140	7,745.13	6,861	708.82
Transfer from Internal Raw Jute Price Support	-	-	-	-
Tax and Levy		65.89		80.22
Freight		6.39		31.40
Operational Expenses		200.38		18.08
Insurance		26.75		27.13
Gain in Packed weight	515	-	-	-
Net Profit		-		251.59
	78,847	8,272.85	17,488	2,241.78



JUTE SEED

	2022-2023		2021-2022	
	QTLS.	RS IN LAKH	QTLS.	RS IN LAKH
INCOME				
Sales	4,518	509.09	6,573	798.67
Service Charge		17.74		3.86
Closing Stock	4,021	334.94	2,457	179.53
Net Loss		-		88.89
	8,539	861.77	9,030	1,070.95
EXPENDITURE				
Opening Stock	2,457	179.53	2,858	314.35
Purchase	6,082	657.18	6,172	745.83
Handling of Jute Seeds		0.50		0.01
Freight		0.22		-
Insurance		1.23		10.76
Net Profit		23.11		
	8,539	861.77	9,030	1,070.95

DIVERSIFIED JUTE PRODUCTS

	2022-2023	2021-2022	
	AMOUNT RS	AMOUNT RS	
INCOME		 -	
Sales	145.28	113.64	
Interest	-	0.81	
Closing Stock	33.88	33.09	
Net Loss	14.27	-	
	193.43	147.53	
EXPENDITURE			
Purchases	133.36	89.46	
Opening Stock	33.09	35.29	
Operational Expenses	-	4.12	
Freight	2.00	6.95	
JDP Development & Other Expenses	24.85	0.80	
Bank Chrges	-	0.17	
Insurance	0.12	1.53	
Rent and Maintanance	-	0.69	
Net Profit	-	8.53	
	193.43	147.53	



Signing of Mou with ISRO for development of Jute Crop Information System



Inauguration of Common Facility Centre for Instrumental Jute Grading at Katwa DPC, West Bengal



Distribution of Free Jute Bags for creating awareness during Swachhata HI SEVA Campaign



भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise) 15N, Nellie Sengupta Sarani Kolkata - 700 097